खण्ड–507, अंक–08
गुरुवार, 25 माघ, शक संवत् 1940
(14 फरवरी, 2019 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2019)

(खण्ड 507 में 10 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2019

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

54 L.A. 14-02-2019 (1-176)

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	. .	1-6
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ घटित घटना का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक मुकदमें दर्ज होने के प्रकरण पर चर्चा कराये जाने की मांग (जारी)	...	7-8
प्रश्नोत्तर (जारी)	...	8-16
श्री सुखदेव राजभर द्वारा पीठ के सम्मान हेतु श्री अध्यक्ष के खड़े होने पर सभी सदस्यों को बैठ जाने का अनुरोध	...	16-17
प्रश्नोत्तर	...	17-42
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ घटित घटना का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक मुकदमें दर्ज होने के प्रकरण पर चर्चा कराये जाने की मांग (जारी)	...	42-50
प्रमुख सचिव सहकारिता द्वारा श्री उमेश मलिक को समुचित प्रोटोकाल न दिये जाने सम्बन्धी उनके द्वारा व्यवस्था के अन्तर्गत उठाया गया प्रकरण	...	50-51
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ घटित घटना का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक मुकदमें दर्ज होने के प्रकरण पर चर्चा कराये जाने की मांग	...	51-55
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	55-57
आगरा कैण्ट में आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से बयाना कोटा रेलवे स्टेशन मार्ग पर बारह खम्भा रेलवे फाटक पर आर0ओ0बी0 बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	57
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड के अन्तर्गत ग्राम सभा भीमपुरा को विकास खण्ड के रूप में सृजित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	58
जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत वर्ष 2004 में मैत्रेय परियोजना से सम्बन्धित की गयी भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	58
जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा अन्तर्गत गजरौला में ट्रामा सेन्टर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	58-59
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में विद्युत के जर्जर तारों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	59

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मड़ियाहू, रामपुर और रामनगर के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	59-60
जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महाराजगंज तहसील सगड़ी में ग्राम सभा देवारा हरखपुरा (कटान बाजार) में पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	60-61
सी0एम0ओ0, सम्भल कार्यालय में प्रकरण को दबाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	61
जनपद सीतापुर के अन्तर्गत महमूदाबाद रेउसा बहराइच मार्ग स्थित शारदा सहायक नहर पर डबल पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	61
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगौही के ग्राम हमजापुर में बिजली के तार गिरने से हुई भैंस की मृत्यु का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	62
जनपद आजमगढ़ के निर्माण खण्ड-2 के अन्तर्गत 20 अदद व्यापार विकास निधि योजना के तहत 2016-17 की स्वीकृत निर्माणाधीन पिच मार्गों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	62-63
जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ रोड सिटी पेट्रोल पम्प के नेशनल हाई-वे 58 के पुल के नीचे सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	63
जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भियाँव अन्तर्गत नेवादा-कला चौराहा से जैतपुर सोसाइटी तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	63-64
जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत बेवान कुर्चा रोड की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	64
जनपद सहारनपुर के ग्राम मिरगपुर में स्थित बाबा फरीका दास मन्दिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	64
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के ग्राम नुनिया टोला में अधूरे पड़े मिनी सचिवालय को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	65

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत सहारनपुर देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर कस्बा गागालेड़ी में मुख्य तिराहे पर क्षतिग्रस्त महात्मा ज्योतिबाफूले चौक व मूर्ति के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	65-66
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में गरीब मुसहर परिवार व अन्य दलित गरीब लोगों की भूमि को दबंग मुसहर परिवार व अन्य दलित गरीब लोगों की भूमि को दबंग भू-माफियाओं के अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	66
गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वसुन्धरा इन्क्लेव आवासीय योजना का मण्डलायुक्त द्वारा जांच के उपरान्त कार्यवाही न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	67
बलरामपुर सदन के अन्तर्गत सुआव नाला की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	67-68
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं ...	68
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-175/ग्यारह-9(42)-17-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (01)-2019, दिनांक 22 जनवरी, 2019 ...	68
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-176/ग्यारह-9(42)-17-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (02)-2019, दिनांक 22 जनवरी, 2019 ...	68
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-177/ग्यारह-9(42)/17-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (03)-2019, दिनांक 22 जनवरी, 2019 ...	69
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-178/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(04)-2019, दिनांक 22 जनवरी, 2019 ...	69
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-179/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(05)-2019, दिनांक 22 जनवरी, 2019 ...	69
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-189/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(07)-2019, दिनांक 24 जनवरी, 2019 ...	69

विषय		पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018	...	70
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-19-2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)..		70
उत्तर प्रदेश वन निगम का वार्षिक लेखा विवरण 2015-2016	...	70
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2017-18) का 16वां प्रतिवेदन	...	70
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2017-18) का 17वां प्रतिवेदन	...	71
उ0प्र0 विधान सभा की याचिका समिति (2017-2018) का आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्बन्धित प्रथम प्रतिवेदन	...	71
श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित कुल 6 हस्ताक्षरित याचिकायें (स्थगित)	...	71-72
श्री पंकज गुप्ता सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद उन्नाव से सम्बन्धित कुल 2 याचिकायें (स्थगित)	...	72
श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा द्वारा इटावा शहरी क्षेत्र एवं यमुना पार के क्षेत्रों से सम्बन्धित हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	...	72-73
श्री नागेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद फर्रूखाबाद से सम्बन्धित हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	...	73
श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित हस्ताक्षरित कुल 2 याचिकाएं (उपस्थित की गयी)	...	73
श्री संजय सिंह गंगवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)	...	73
श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद गोण्डा के बिसुही नदी पर सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	...	73-74
श्री रामफेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	...	74
श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर से सम्बन्धित कुल 2 याचिकायें (उपस्थित की गयी)	...	74
प्रिन्स वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित कुल 3 हस्ताक्षरित याचिकायें (उपस्थित की गयी)	...	74-75

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा के लिखित अनुरोध पर जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित कुल 5 हस्ताक्षरित याचिकायें (स्थगित) ...	75-76
श्री रितेश पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित कुल 4 याचिकायें (स्थगित) ...	76
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण विषयक प्रस्ताव की सिफारिशें (स्वीकृत) ...	77-78
उत्तर प्रदेश विधान सभा की वित्तीय वर्ष 2019-2020 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित निर्धारण की सूचना ...	78-79
उत्तर प्रदेश विधान सभा की वित्तीय वर्ष 2019-2020 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति तथा पंचायती राज समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	79-80
कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की सूचनाएं ...	80-88
नेता प्रतिपक्ष के सदन से बहिर्गमन किये जाने के कारण नेता कांग्रेस द्वारा बजट चर्चा शुरू कराये जाने की मांग ...	88-95
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं ...	95-98
जनपद-फिरोजाबाद के निर्माणाधीन मेडिकल कालेज में कैंसर यूनिट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2019 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य ...	98-99
जनपद-लखनऊ के नरपतखेड़ा में पी0एच0सी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2019 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य ...	99-100

विषय		पृष्ठ-संख्या
जनपद-बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में कतिपय पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 श्याम बिहारी लाल द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2019 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	...	100-101
जनपद-बुलन्दशहर के गांव शरीफपुर के मजरा फतेहपुर में जल निकासी की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2019 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य	...	101-102
जनपद-मिर्जापुर में पुलिस की उदासीनता के चलते बैकों से अवैध रूप से धन निकाले जाने के सम्बन्ध में श्री रमाशंकर पटेल द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2019 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य	...	102-103
जनपद-मुजफ्फरनगर में हीमोफीलिया नामक बीमारी की रोकथाम किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद उटवाल द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2019 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य	...	104-105
जनपद-फतेहपुर में जरौली के अन्तर्गत रजवाहे के दोनों किनारे पटरियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा पासवान द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2019 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	...	106

उत्तर प्रदेश विधान सभा
सत्रहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 14 फरवरी, 2019 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-315

1. अक्षयवर लाल गोंड, श्री — बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
4. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
5. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
6. अजय प्रताप सिंह, ''लल्ला भइया'' कुंवर — गोण्डा
7. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
8. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
9. अजीत पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
10. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
12. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
13. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
14. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकर नगर
15. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
16. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
17. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
18. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
19. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
20. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
21. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
22. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
23. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
24. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
25. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
26. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
27. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
28. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
29. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
30. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
31. असलम अली, श्री — हापुड़
32. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
33. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
34. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
35. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
36. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री — हरदोई
37. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
38. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
39. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
40. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
41. उज्जवल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
42. उदयभान सिंह, चौ0 — आगरा
43. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
44. उपेन्द्र सिंह, श्री — बाराबंकी
45. उमाशंकर सिंह, श्री — बलिया
46. उमेश मलिक, श्री — मुजफ्फरनगर

47. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
48. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
49. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
50. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
51. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
52. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
53. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
54. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
55. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
56. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
57. काली प्रसाद, श्री देवरिया
58. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
59. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
60. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
61. केसर सिंह, श्री बरेली
62. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
63. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
64. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
65. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
66. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
67. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
68. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
69. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
70. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
71. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
72. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
73. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
74. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
75. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
76. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
77. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
78. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
79. जयमंगल, श्री महाराजगंज
80. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
81. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
82. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
83. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
84. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
85. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
86. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
87. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
88. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
89. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
90. दल बहादुर, श्री रायबरेली
91. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
92. दिनेश खटीक, श्री मेरठ
93. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
94. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
95. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
96. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
97. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
98. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
99. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
100. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
101. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
102. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
103. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
104. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
105. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
106. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर

107. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
108. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
109. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
110. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
111. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
112. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
113. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
114. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
115. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
116. नाहिद हसन, श्री शामली
117. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
118. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
119. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
120. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
121. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
122. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
123. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
124. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
125. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
126. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
127. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
128. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
129. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
130. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
131. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
132. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
133. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
134. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
135. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
136. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
137. फागू चौहान, श्री मऊ
138. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
139. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
140. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
141. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
142. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
143. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
144. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
145. बावन सिंह, श्री गोण्डा
146. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
147. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
148. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
149. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
150. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
151. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
152. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
153. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
154. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
155. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
156. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
157. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
158. मन्जू शिवाज, डॉ0 गाजियाबाद
159. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
160. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
161. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
162. महबूब अली, श्री अमरोहा
163. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
164. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
165. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
166. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
167. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
168. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच

169. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
170. मो0 आजम खां, श्री रामपुर
171. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
172. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
173. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
174. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
175. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
176. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
177. योगेश धामा, श्री बागपत
178. योगेश वर्मा, श्री खीरी
179. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
180. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
181. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
182. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
183. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
184. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
185. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
186. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
187. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
188. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
189. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
190. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
191. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
192. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
193. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
194. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
195. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
196. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
197. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
198. राजबाला, श्रीमती रामपुर
199. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
200. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
201. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
202. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
203. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
204. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
205. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
206. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
207. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
208. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
209. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
210. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
211. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
212. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
213. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
214. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
215. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
216. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
217. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
218. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
219. रितेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
220. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
221. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
222. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
223. लाखन सिंह, श्री औरैया
224. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
225. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
226. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
227. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
228. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर

229. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
230. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
231. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
232. विजय पाल (आढती), श्री हापुड़
233. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
234. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
235. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
236. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
237. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
238. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
239. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
240. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
241. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
242. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
243. वीरेन्द्र, श्री एटा
244. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
245. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
246. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
247. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
248. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
249. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
250. शीतला प्रसाद, ''पप्पू पटेल'' श्री कौशाम्बी
251. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
252. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
253. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
254. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
255. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
256. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
257. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
258. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
259. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
260. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
261. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
262. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
263. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
264. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
265. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
266. संजय, श्री बुलन्दशहर
267. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
268. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
269. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
270. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
271. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
272. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकर नगर
273. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
274. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
275. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
276. सत्यपाल सिंह बघेल, श्री फिरोजाबाद
277. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
278. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
279. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
280. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
281. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
282. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
283. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
284. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
285. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
286. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
287. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
288. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
289. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
290. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद

291. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
292. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
293. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
294. सुरेश कुमार, श्री शामली
295. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
296. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
297. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
298. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
299. सुरेश राही, श्री सीतापुर
300. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
301. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
302. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
303. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
304. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
305. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
306. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
307. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
308. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
309. हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
310. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
311. हरीराम, श्री सोनभद्र
312. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
313. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
314. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
315. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोट :-उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य) एवं पंचायती राज मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ घटित घटना का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक मुकदमें दर्ज होने के प्रकरण पर चर्चा कराये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष सुचारु रूप से सदन को चलाना चाहता है। ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि कभी-कभी सदन को अव्यवस्थित होना पड़ता है। कल आपकी कृपा से, डिटेल आपने सुना, संविधान में हमको अधिकार है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न हो जाने देते।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, बस एक मिनट। संविधान में हमको अधिकार है कि अपनी बात अहिंसात्मक तरीके से धरना-प्रदर्शन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन के माध्यम से हम सरकार का ध्यान जनता की समस्याओं की तरफ आकर्षित करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो घटना हुई, उसके बदले में पूरे प्रदेश में यह स्वाभाविक भी है, चाहे इन्हीं के कोई नेता हों।

श्री अध्यक्ष-

मगर क्या इस विषय को हम लोग इस समय प्रश्नकाल में डिस्कस करें ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, सारे जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर क्रिमिनल धाराओं में केस दायर हो रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इस पर सुनें, सुन लें केवल। जब सुनें, सुन लें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, संविधान में अपनी बात शान्तिपूर्ण तरीके से ही कहने का अधिकार है, तोड़-फोड़ करना, शान्ति भंग करना, अराजकता फैलाना इसका अधिकार न है और न यह बर्दाश्त किया जायेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यही बात मैंने भी कही कि संविधान ने हमको अधिकार दिया है, अहिंसात्मक तरीके से धरना-प्रदर्शन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, इसी पर अंग्रेजों को इस देश के लोगों ने भगाया था। आप अंग्रेजों से अधिक तानाशाह जब हो जायेंगे तो कैसे सदन चलेगा, कैसे प्रदेश की राजनीति होगी ? आज आप कर रहे हैं, कल दूसरा करेगा। ऐसी कोई परम्परा मत डालिये कि राजनीति के लिये दुश्वार हो जाये। मैंने आपसे मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से

यह कहना चाहता हूं कि ऐसी परम्परा मत डालिये कि हर राजनीतिक नेता और कार्यकर्ताओं के लिये भविष्य के लिये जो दुश्वारी हो जाये। आपका भी कोई नेता गिरफ्तार होगा तो स्वाभाविक है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुआ, अगर वह आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हो, मुख्य मंत्री के साथ हो, प्रधानमंत्री के साथ हो तो स्वाभाविक है कि आपके कार्यकर्ता, आपके नेता उग्र होंगे। धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आप एक नई परम्परा डाल रहे हैं कि हम क्रिमिनल धाराओं में मुकदमा करेंगे, अध्यक्ष जी यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

जिस तरह से आप कह रहे वह वास्तव में ठीक नहीं है। इस विषय पर कल भी आपकी तरफ से पक्ष आया था और सरकार का भी पक्ष आया और इधर से लगभग आठ सदस्य बोले। इस समय प्रश्न काल है, प्रश्न काल में भी बार-बार बोलने के लिये आना और उसको बाधित करने जैसा प्रयास करना इसमें आप सबमें वरिष्ठ हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आप इस पर सुने तो हम लोगों को पहले सुन लीजिये यह तो प्रार्थना मैं पहले ही शुरू में किया हूं। अब प्रश्न काल चला ही है, लेकिन सुन तो लीजिये हम लोगों को। आप हमारे मालिक हैं। आप लोकतंत्र के रक्षक हैं, संविधान के संरक्षक हैं। सभी पार्टियों के आप संरक्षक हैं। विधान सभा में जितनी भी पार्टियां हैं उन सभी के आप संरक्षक हैं।

श्री अध्यक्ष-

हम सब आप मिलकर इस आदरणीय सदन की गरिमा के संरक्षक हैं। इस समय प्रश्नकाल है। अगर यह चलने दिया जाये तो उचित होगा। आपने जो अभी बात उठाई है इस विषय को मैं नियम-56 में सुन लूंगा। अगर आपको और कोई धारा अच्छी लगती हो तो उसमें मैं सुन लूंगा।

प्रश्नोत्तर

नत्थी ''क''

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के सर्वांगीण विकास के दृष्टिगत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को रुपये पांच करोड़ के आवंटन एवं उसके उपयोग के सम्बन्ध में

****1-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री त्रिवेणी राम, श्री वीरेन्द्र यादव, श्री संजय गर्ग तथा इंजी0 बृजेश कठेरिया-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा प्रदेश के सर्वांगीण विकास के दृष्टिगत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को रुपये पांच करोड़ मात्र की धनराशि आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो उक्त धनराशि को खर्च करने के लिये क्षेत्रीय विधायकों की सहमति सरकार आवश्यक करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

जी हां।

प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हेतु विकास कार्य किया जा रहा है।

विकास कार्यों में मा0 जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को वरीयता प्रदान की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मोहम्मद असलम। यहां पर आपका नम्बर एक पर लग गया।

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं अन्य सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देने से पहले कल 16वीं लोकसभा का अन्तिम दिन और अन्तिम सत्र था उसमें इस सदन के कई बार सदस्य रहे और यहां पर मुख्य मंत्री रहे, उन्होंने प्रधानमंत्री को बधाई दी।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

अध्यक्ष जी, मा0 उप मुख्य मंत्री जी खड़े हैं और उत्तर दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर देने का प्रयास करना और उसमें बाधा डालना यह उचित नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 उप मुख्य मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं तो उसको सुनिये।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर आ जाने दीजिये, तब आप आपत्ति करिये। अभी तो उत्तर आया नहीं है। आप उप मुख्य मंत्री को उत्तर देने से रोक रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने जो कहा वह देश की भावना थी। पूरे देश की भावना यही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही बने। इसमें गलत क्या है ? इन्हें बधाई देना चाहिये और इन लोगों को स्वागत करना चाहिये। जिन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई उन्हें स्वागत करना चाहिये।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि देश की भावनाओं को मुलायम सिंह ने जागृत कर दिया लोक सभा में। आदमी कोई भी हो जब उसकी मृत्यु हो जाये तो कह दे कि यह अच्छा ही आदमी था।

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

मैं तो प्रश्न का उत्तर देने के लिये खड़ा हुआ हूं। लेकिन देश के जन-मन की बात इस सदन का बहुत समय से जो नेतृत्व किये थे आदरणीय मुलायम सिंह जी, मैं उसके लिये उनको बधाई देते हुए अपने प्रश्न का उत्तर देता हूं तो आपको परेशानी क्यों हो रही है ? क्या आप आदरणीय मुलायम सिंह जी के विरोधी है, हम उनका स्वागत कर रहे हैं और आप उसका विरोध कर रहे हैं क्या। हम उत्तर दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 केशव जी, आप उत्तर पढ़िये।

श्री लाल जी वर्मा-

केवल जो लिखा हुआ उत्तर है उसको पढ़े मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

मैं वही कह रहा हूं।

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिये जो लोक सभा सदन में बात कही गई उसकी बधाई देते हुए प्रश्न का उत्तर पढ़ता हूं। प्रश्न के उत्तर में पहले 'जी', 'हां' ख में यह प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिये, विकास कार्य किया जा रहा है। उसका विवरण भी जिन लोगों ने मेरे पास दिया है उनके विधान सभा क्षेत्रवार भी मेरे पास रिकार्ड है वह मैं अभी आपको बता दूंगा।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, आजकल पिछले 5 वर्षों से एक नारा बहुत प्रचलित हो रहा है कि सबका साथ सबका विकास लेकिन मेरा आपसे कृपापूर्वक अनुरोध है कि इस नारे को बदलकर अपना साथ अपना विकास कराने की कृपा करें। मा0 अध्यक्ष जी, यदि आपने प्रेम किया हो तो यह उसी पर है। हमें थोड़ा सा एक मौका दीजियेगा। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को तीन-चार साल बहुत प्यार प्रेम करता है और आकाश से चांद-सितारे तक तोड़ने की बात करता है, लेकिन जब उस प्रेमिका की शादी या इन्गेजमेण्ट किसी और से हो जाती है तो उसको वही पुराना प्रेमी, हमसफर आंख में पड़े कांच के टुकड़े जैसा गड़ने लगता है।

श्री अध्यक्ष-

इधर किसकी इंगेजमेण्ट हो गई है ?

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, ठीक उसी प्रकार आजकल मा0 मुख्य मंत्री जी की आंखों में हम लोग गड़ रहे हैं तो क्या हम लोग आपके परिवार के सदस्य नहीं हैं ? मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के विकास के लिये जो 5-5 करोड़ रुपये दिये गये हैं, उसमें कितने प्रस्ताव विपक्ष के मा0 विधायकों के स्वीकार किये गये और कितने प्रस्ताव सत्तापक्ष के विधायकों के स्वीकार किये गये हैं, कृपापूर्वक यह बताने की कृपा करें। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करते हुए केवल दो प्रश्न करूंगा। हम केवल आपसे कृपापूर्वक कह सकते हैं, लड़ाई कहां कर सकते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मेरा मा0 मुख्य मंत्री जी से दूसरा प्रश्न यह है कि वे आज पूरे सदन को बताने की कृपा करें कि मैं विपक्ष के मा0 सदस्यों को इस सदन का सदस्य नहीं मानता हूं, विपक्षी सदस्यों से नफरत करता हूं और न तो उनसे 5 करोड़ रुपये के प्रस्ताव लूंगा और न ही उन मा0 सदस्यों को रहने की भूमि आवंटित करूंगा। मा0 अध्यक्ष जी, यदि मा0 मुख्य मंत्री जी की ऐसी सोच है तो वे सदन में यह घोषणा करें कि विपक्ष के प्रति कोई शंका हो तो विपक्षी सदस्य मा0 मुख्य मंत्री जी से विचार नहीं करते हैं। मैं एक कविता के माध्यम से अपने मा0 मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि-

सितम के हाथ तो बैक हो नहीं सकते,
अब इम्तेहां की घड़ी है टाल दूं कैसे,
होता अगर पांव मैं कांटा तो निकाल सकते थे,
किसी के जहन का कांटा निकाल दूं कैसे।

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्य को बताना चाहूंगा कि राइनी साहब के विधान सभा क्षेत्र में 7 करोड़ 68 लाख रुपये के नये काम स्वीकृत हुए हैं और वहां काम कराये भी जा रहे हैं। आपके विधान सभा क्षेत्र में प्रस्ताव के अनुसार 7 करोड़ 68 लाख रुपये के नये काम हो रहे हैं। पुराने काम जो हमने रिपेयर आदि के किये हैं, हम उनको छोड़ रहे हैं उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने ये 7 करोड़ 68 लाख रुपये के नये काम कराये हैं। दूसरा जहां तक मा0 सदस्यों का सवाल है तो मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुसार इस सदन के मा0 सदस्यों को यह कहा गया था कि वे अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों में 5-5 करोड़ रुपये के कार्यों के प्रस्ताव देने का काम करेंगे। अभी तक हमारे पास 357 मा0 सदस्यों के प्रस्ताव आये हैं जिनमें से 318 प्रस्ताव हमने आगे प्रेषित भी कर दिये, उनमें

अग्रिम कार्यवाही भी चल रही है। अब इन 357 प्रस्तावों के अतिरिक्त जिन मा0 सदस्यों के प्रस्ताव नहीं दिये हैं, उसकी डीटेल मैं नहीं लाया हूं लेकिन अगर आप चाहेंगे तो हम उसको भी भिजवा देंगे, भिजवाने का काम करेंगे। लेकिन हमारी तरफ से, हमारी सरकार की ओर से **सबका साथ सबका विकास** है और **सबको स्थान सबको सम्मान** देते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र के आप जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे यहां भेदभाव न हुआ है और न होगा लेकिन माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के समय 05 ऐसे सेतु थे, जिनका माननीय मुलायम सिंह जी ने शिलान्यास किया था। आदरणीय अखिलेश यादव जी यहां मुख्य मंत्री के रूप में आकर चले गये परन्तु उसके बाद भी वह काम अधूरा छोड़ कर गये थे, लेकिन हमने उस काम को भी पूरा किया। जो जर्जर सड़कें थी उनको भी हमने बनाने का काम किया आप उसकी सूची चाहेंगे तो वह भी मैं उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन माननीय सदस्यों के साथ कोई भेदभाव न हमारी पार्टी करती है, न हमारी सरकार करती है और न ही हमारी सरकार की ओर से ऐसा होगा। जो प्रस्ताव आये हैं उनको स्वीकार किया जायेगा।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें माननीय सदस्य का स्पेस्फिक प्रश्न था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की थी जिसके लिये विधान सभा ने बजट पास किया था कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 05 करोड़ के प्रस्ताव, विकास के कार्य कराये जायेंगे। उसके लिये विभागीय बजट के अलावा एक अलग बजट पास किया था, जिसमें हम लोगों ने पहली बार में 15 सौ करोड़ रुपये का बजट पास किया था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने विस्तार दे दिया कि जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर, तो इसमें ग्राम प्रधान भी जनप्रतिनिधि है, बी0डी0सी0 सदस्य भी जनप्रतिनिधि है, जिला पंचायत सदस्य भी जनप्रतिनिधि है, बी0डी0सी0 सदस्य में ग्राम सभा के वार्ड का सदस्य भी जनप्रतिनिधि है, सांसद भी जनप्रतिनिधि है और विधायक भी जनप्रतिनिधि है। मान्यवर, हमारा स्पेस्फिक प्रश्न है कि क्या माननीय उप मुख्य मंत्री जी माननीय विधायकों को उनके विधान सभा क्षेत्र में जो भी विधायक है चाहे वह पक्ष या विपक्ष किसी भी पक्ष का हो, उस माननीय सदस्य विधान सभा के क्षेत्र में उन्हें प्रस्ताव को स्वीकार करने का काम इस योजना के तहत करेंगे या नहीं करेंगे ? मान्यवर, इसका स्पष्ट उत्तर नहीं आया। दूसरा, अब इन्होंने विस्तार दे दिया कि 357 माननीय सदस्यों का प्रस्ताव आया। अध्यक्ष जी, इसमें अवगत कराना है कि हम लोगों के प्रस्ताव गये थे उसको निरस्त कर दिया गया तथा उसकी जगह पर दूसरा प्रस्ताव मांग लिया गया परन्तु किससे मांग लिया गया उसका जिक्र मैं नहीं करना चाहूंगा लेकिन मैं स्पेस्फिक पूछ रहा हूं कि क्या सदस्य विधान सभा से जो 05 करोड़ जिसके लिये हमने 15 सौ करोड़ रुपये

का बजट पास किया है उस योजना में विपक्ष के माननीय सदस्य विधान सभा का प्रस्ताव लिया जायेगा या नहीं लिया जायेगा ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

आदरणीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो जो प्रस्ताव आए हैं उसमें हमारे आदरणीय सदस्य राइनी जी के प्रस्ताव अभी तक हमको प्राप्त ही नहीं हुए हैं, जो सूची मेरे पास है।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रस्ताव दिये हैं उसकी रिसीविंग मेरे पास है।

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य मेरी बात को सुन लें। सदन के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की है उसमें हमारे यहां भेदभाव नहीं किया जाता। जो प्रस्ताव आये होंगे या तो प्रोसेस में होंगे, या आपने प्रस्ताव दिये नहीं होंगे और जिन्होंने प्रस्ताव अपनी विधान सभा के नहीं दिये हैं वह प्रस्ताव दे दें। हमारी सरकार इसके लिये कृतसंकल्प है प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 05 करोड़ तक के प्रस्ताव लिये जायेंगे।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, क्या प्रस्ताव को आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री के पास भिजवा दूं।

(विपक्ष के कई सदस्यों का अपने-अपने स्थान से एक साथ अपनी बात कहने पर व्यवधान)

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रस्ताव तो छोड़ दीजिये मेरा तो प्रस्ताव पहले गया और बाद में यह हुआ कि आपका प्रस्ताव नहीं लिया जायेगा। मुझे सम्बन्धित अधिकारी ने सूचना दी कि इसके लिये कहा जा रहा है कि केवल सांसद का प्रस्ताव लिया जाये। मैं आपके सामने सदन में कह रहा हूं कि यह बात यदि झूठी हो जाये।

(व्यवधान जारी)

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी दूसरी बात सुन लें। मुझे तो पुरवा विधान सभा क्षेत्र के माननीय सदस्य ने भी बताया कि उनके क्षेत्र में भी उनका प्रस्ताव न लेकर सांसद का प्रस्ताव ले लिया गया तो इसी तरह से सभी क्षेत्र के विधायकों की यही स्थिति है। सभी ने प्रस्ताव दिया था। यदि माननीय उप मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रस्ताव नहीं मिला तो वह स्वयं बता दें कि कहां हमें प्रस्ताव देना है और कितने दिन में प्रस्ताव देना है, वह प्रस्ताव वहां तत्काल पहुंच जायेगा।

मान्यवर, हम लोगों ने मुख्य मंत्री के आफिस में भेजा। हम लोगों को बताया गया कि प्रस्ताव मुख्य मंत्री के आफिस में भेजना है। मुख्य मंत्री के आफिस में सभी मा0 सदस्यों ने

प्रस्ताव भेज दिये। पहले प्रस्ताव के आधार पर हमने डायरेक्ट पी0डब्लू0डी0 के इंजीनियर को भी दिया था, उसने जे0ई0, आर0ई0एस0 विभाग को दे दिया कि उनको स्टीमेट बनाया जाय। फिर वहां से आदेश हुआ कि आपका प्रस्ताव निरस्त किया जाता है। उसकी जगह पर सांसद का प्रस्ताव लिया जायेगा। इस तरह से मान्यवर, सदन को गुमराह किया जा रहा है। इसलिये मैं आपके माध्यम से स्पष्ट यह जानना चाहता हूं कि आज मा0 उप मुख्य मंत्री जी यह घोषणा कर दें कि सभी मा0 सदस्य, विधान सभा के प्रस्तावों को उस 5 करोड़ की योजना में लेने का काम किया जाय।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यही बात तो आप भी कहेंगे, न जो वर्मा जी कहे हैं इससे नई बात हो तो सुने। बात तो वही है आप सब खड़े हो गये तो वह वक्तव्य मान लिया जायेगा। फिर विषयान्तर हो जायेगा।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

खेल, युवा कल्याण मंत्री (श्री उपेन्द्र तिवारी)-

मा0 अध्यक्ष जी, जब हम 2012 से 2017 तक इस विधान सभा में थे तो ये सुनने का अवसर मिलता था मा0 मुलायम सिंह के कार्यकाल में मा0 विधायक और मा0 मंत्रियों के सहयोग से सुदृढ़ीकरण भी होता था और सड़क भी बनता था। लेकिन 2012 से 2017 तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विधायक निधि के अलावा एक भी प्रस्ताव हम लोगों के कहने पर अगर मा0 अखिलेश यादव की सरकार ने देने का काम किया हो तो बता दें। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आप रिकार्ड निकलवाकर देख लीजिये। यहां तक जब कहीं जांच होने लगती थी तो दलित वोट लेने के लिये जिनको चुनाव हराया था उनका प्रतिनिधि जाकर देता था ये भी अवसर जनप्रतिनिधि होकर के हम लोगों को सपा की सरकार में नहीं मिलता था। इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, यही लोग इस रास्ते को खराब किये।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आपका विषय क्या है ?

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री उपेन्द्र तिवारी-

आप लोग गवाह रहे हैं। बड़े भाई भी गवाह रहे हैं। लेकिन वो भी मजबूर हो जाते थे।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मा0 पारसनाथ जी आप बैठ जाईये। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आपने क्या कहा ? क्योंकि हम कुछ सुन नहीं पाये।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, हम यह कहना चाह रहे थे कि जब 2012 से 2017 तक इस सदन में हम लोग थे तब यह सुनने को मिलता था कि मा0 नेता जी जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने सबका साथ, सबका विकास को ध्यान में रख करके काम किया, लेकिन जबसे बहन जी की सरकार बनी, ये रास्ता खराब कर दिया बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं यह नहीं जान पाया कि आप क्या बोल रहे हैं ?

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास किये जाने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आपको हमने पुकारा नहीं था। आप बीच में तमाम बातें बताने लगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उनका प्रश्न से सम्बन्ध क्या है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी किये जाने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिये।

जब माननीय उप मुख्य मंत्री जी विस्तार से उत्तर दे रहे थे और उसमें वह प्रति प्रश्न कर रहे थे तो आपने हमसे पूछा नहीं, तो हम जान नहीं पाये। हमको लगा कि कोई बड़ी गम्भीर बात हो गई क्या, जो आप बोलने लगे। मैं जान नहीं पाया और फिर मैंने दुबारा उसको सुनने का प्रयास किया। तो अभी भी हमारी जिज्ञासा है कि आपकी बात का अर्थ क्या है।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मान्यवर, मुझे थोड़ा मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप बोलिये।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी किये जाने और लगातार व्यवधान जारी रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैं स्वयं को सक्षम नहीं पा रहा हूं और मैं सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित कर दी।)

(11 बजकर 35 मिनट पर मार्शल विधान सभा ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिये बढ़ा दिया है।)

(11 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात कह लूं।

श्री अध्यक्ष-

पहले मैं अपनी बात कह लूं उसके बाद आप कहें। जो प्रश्न चल रहा था उसी प्रश्न में से नरेन्द्र वर्मा जी अन्तिम सवाल पूछ लेंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, त्रिवेणी राम जी की बात को सुन लिया जाय उसके बाद किसी की बात को सुना जाय।

श्री अध्यक्ष-

त्रिवेणी राम जी का नाम इस प्रश्न में है वह पूछ लें।

श्री सुखदेव राजभर द्वारा पीठ के सम्मान हेतु श्री अध्यक्ष के खड़े होने पर सभी सदस्यों को बैठ जाने का अनुरोध

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, पता नहीं आपको आभास हुआ कि नहीं हुआ लेकिन हम लोगों को कष्ट हुआ है क्योंकि आप दुःखी होकर हाउस एडजर्न किये हैं।

श्री अध्यक्ष-

हमको कोई कष्ट नहीं हुआ है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, हुआ है। प्रश्नकाल चल रहा था और एक मा0 मंत्री जी जिनको आमंत्रित नहीं किया गया वह खड़े हो करके आपसे संवाद कर रहे हैं जबकि आप भी खड़े हैं। आप कहें या न कहें लेकिन हमें आभास हुआ कि आपको कष्ट हुआ है और आपने हाउस को तुरन्त एडजर्न किया। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सभी सदस्य वचनबद्धता दें पीठ को

कि मा0 अध्यक्ष जी खड़े हैं तो हम सब लोग बैठेंगे। लेकिन आज का संवाद देखा जाय तो आप भी खड़े हैं और माननीय मंत्रि-परिषद् के सदस्य मा0 मंत्री जी भी खड़े हैं। प्रश्नकाल है आपने उन्हें आमंत्रित भी नहीं किया फिर भी पूरा संवाद चला और शायद इसीलिये आपने दुःखी हो करके कहा कि अच्छा आप पूरा कहिये, बोलिये, जितना बोलना हो बोलिये। मैं इस पर केवल इतना कहूंगा कि ये परम्परायें खत्म हों। मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि पीठ का यदि आप सम्मान नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

हमारा सभी सम्मान करते हैं, इधर के मित्र भी बहुत अधिक सम्मान करते हैं।

श्री सुखदेव राजभर-

आज एक परम्परा मैंने पहली बार देखी कि आपके खड़े होने पर मंत्रि-परिषद् के मा0 सदस्य खड़े हो करके संवाद कर रहे हैं। इस पर आप जो भी चाहें व्यवस्था करें, यह आपके ऊपर है।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

श्री त्रिवेणी राम-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने घोषणा की थी कि सभी मा0 सदस्यों को पांच-पांच करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर दें जिसके सापेक्ष मैंने भी अपने विधान सभा क्षेत्र जखनिया का प्रस्ताव बनाकर दिया लेकिन स्थानीय सांसद महोदय द्वारा मेरे प्रस्ताव को बदलकर अपना प्रस्ताव दे दिया गया, इसमें अधिकारियों/कर्मचारियों की भी मिलीभगत है। मेरे पास मेरे द्वारा दिया गया प्रस्ताव भी मौजूद है और मा0 सांसद द्वारा दिया गया प्रस्ताव भी मौजूद है। मैं सरकार का सहयोगी दल हूं किसी न किसी रूप में हम लोग सहयोग किये हैं, चुनाव के समय भी और आज भी सहयोग कर रहे हैं लेकिन हम लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरे छोटे-छोटे तीन सवाल हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, पहला प्रश्न है कि क्या सरकार मेरे द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर निर्माण करायेगी, यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? दूसरा प्रश्न है क्या सरकार ''सबका साथ सबका विकास'' का नारा देने के साथ ही भेद-भाव समाप्त करेगी, सबको समान अधिकार देगी ? तीसरा प्रश्न है मेरे द्वारा दिये गये प्रस्ताव को बदले जाने में जिन अधिकारी/कर्मचारी की संलिप्तता है, क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी, यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

उत्तर आप ध्यान से सुनियेगा, इस बार बीच में टोका-टाकी नहीं करियेगा।

उप मुख्य मंत्री, लोक निर्माण (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्यगण, जो अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन मा0 त्रिवेणी जी के विधान सभा क्षेत्र में 14 करोड़ 45 लाख के नये काम स्वीकृत हुए हैं। मा0 सांसद जी ने कौन सा प्रस्ताव दिया है, विधायक जी ने कौन सा प्रस्ताव दिया है, इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं लेकिन जो भी काम हो रहा है, वह आपके विधान सभा क्षेत्र के अन्दर हो रहा है। अगर आप चाहेंगे तो मैं डिटेल दे दूंगा। मा0 सदस्यों ने भी जो प्रस्ताव दिये हैं, उनको भी डिटेल उपलब्ध करा दूंगा। सरकार उनको गम्भीरता से लेती है, विकास हमारी प्राथमिकता है, भेद-भाव हम नहीं करते हैं। मैं भी इस सदन में पिछली बार दो वर्ष के लिये सदस्य के रूप में था, उसका उल्लेख मैं नहीं करना चाहता हूं लेकिन जो भेद-भाव होता था, वह युग समाप्त हो गया है। अब ''सबका साथ, सबका विकास'', सबको सम्मान, सबको अधिकार।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थप-थपाईं)

मा0 अध्यक्ष जी, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि विपक्ष में बैठे हुए हमारे मा0 सदस्य के सत्ता में रहते हुए जितना उनके क्षेत्र के अन्दर विकास नहीं हुआ होगा, उससे ज्यादा विकास दो साल के अन्दर हमारी सरकार ने किया है। आपको इसको स्वीकार करना चाहिये। आदरणीय मुलायम सिंह जी के बयान के बाद आपकी थोड़ी बौखलाहट समझ सकता हूं लेकिन हमने बिना भेद-भाव के सभी विधान सभा क्षेत्रों को प्राथमिकता पर लिया है। सड़क आज गुणवत्तापूर्ण तरीके से बन रही है। अगर किसी मा0 सदस्य को लगता है कि उनके क्षेत्र में कोई सड़क बनने के लिये अवशेष है, तो वह प्रस्ताव दें, हम वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर उस पर भी विचार करेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

सवाल हो गया है, अब अगला प्रश्न लेते हैं। सरकार का उत्तर पूरा-पूरा स्पष्ट रूप से आ गया है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, उत्तर अभी नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

उनका अपना दृष्टिकोण आ गया है। सरकार का अपना पक्ष आ गया है।

श्री पारस नाथ यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, निवेदन के साथ उत्तर के सम्बन्ध में मेरी पूरी बात सुन लें। सवाल कुछ है और मा0 उप मुख्य मंत्री जी उत्तर कुछ दे रहे हैं। मैं निवेदन और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि आप दो साल के अन्दर लोक निर्माण विभाग से बहुत विकास कर दिये हैं,

हम उसको स्वीकार करते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, आज का मूल रूप से सवाल है कि जो धनराशि रु0 पांच करोड़ की घोषणा हुई है, इसको आर0ई0एस0 या पी0डब्लू0डी0 जो भी करे, यह सरकार के ऊपर निर्भर करता है। मैं 367-मल्हनी विधान सभा, जनपद जौनपुर से आता हूं। मेरा प्रस्ताव गया, तत्पश्चात् यह सूचना प्राप्त हुई कि जब तक सांसद महोदय प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तब तक प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। मैंने स्थानीय सांसद महोदय जी से प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवाया। उन्होंने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते समय कोई आपत्ति दर्ज नहीं की और न ही मुझसे कहा कि हमारे भी प्रस्ताव इसमें सम्मिलित कर लें, लेकिन जब हमारा प्रस्ताव आया, तब यहां से उनके 14 प्रस्ताव स्वीकृत होकर चले गये, लेकिन मेरा एक भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ। इसलिये मैं मा0 मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप ''सबका साथ, सबका विकास'' कर रहे हैं ? पांच करोड़ में जो धांधली हो रही है, अगर आप लोग यह मानकर कर रहे हैं कि हमको अधिकार नहीं है, मा0 मुख्य मंत्री जी को अधिकार है, तो आप उत्तर दे दीजिये। और हम सभी विधायकगण मा0 मुख्य मंत्री जी से सीधे वार्ता करें कि यह हम लोगों के साथ क्यों अन्याय हो रहा है ? लेकिन अगर गुमराहशुदा उत्तर दिया जायेगा तो हम समझते हैं कि सदन को गुमराह किया जा रहा है। मैं यह सीधा सवाल कर रहा हूं कि 05 करोड़ की जो घोषणा थी, उस घोषणा में पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों के समान रूप से प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने थे, तो क्या पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों के प्रस्ताव को स्वीकार करके धन देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष-

इस पर तो मा0 उप मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया है।

[श्री अजय कुमार लल्लू, श्री लालजी वर्मा, श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट) तथा विपक्ष के कई मा0 सदस्यों ने कहा कि प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।]

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं दे चुका हूं। माननीय सदस्यों से मैंने यह भी निवेदन किया है कि अगर कहीं आपको लगता है तो आप हमें बतायें। हमारी विकास की प्राथमिकता है।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों ने कहा कि यह सवाल नहीं है।)

अध्यक्ष जी, मैं सवाल पढ़ दे रहा हूं इन्होंने पहला प्रश्न किया है कि क्या उप मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा प्रदेश के सर्वांगीण विकास के दृष्टिगत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को रुपये पांच करोड़ मात्र की धनराशि आवंटित की गई है ? जी हां, उसको हम स्वीकार करते हैं। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हेतु विकास कार्य किया भी जा रहा है।

दूसरा पैरा है, यदि हां, तो उक्त धनराशि को खर्च करने के लिये क्षेत्रीय विधायकों की सहमति सरकार आवश्यक करेगी ? इसके उत्तर में हमने यह कहा है कि विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को वरीयता प्रदान की जाती है। आप विधायक हैं, सांसद भी वहां के जनप्रतिनिधि हैं तो आप दोनों लोग मिल करके प्रस्ताव दीजिये।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

माननीय अध्यक्ष जी, पूरी बात मा0 सदस्य सुनें। मा0 पारसनाथ यादव जी आप वरिष्ठ सदस्य हैं। इसमें जो आपने प्रस्ताव दिया है कुछ प्रॉसेस में भी हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ प्रस्ताव आपके रुके हों। कौन से कार्य हैं उसको हम चेक करा लेंगे। किसी के क्षेत्र छूटे हों तो वह भी आप दीजिये, हम उस पर भी विचार कर लेंगे।

[श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट), श्री अजय कुमार लल्लू, श्री लाल जी वर्मा व अन्य सदस्यों के साथ खड़े होकर प्रश्न पूछने का अवसर दिये जाये का आग्रह करने पर।]

श्री अध्यक्ष-

अब वर्मा जी, बैठिये, बहुत हो गया।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह प्रश्न पूछ लेने दीजिये। यह पी0डब्लू0डी0 के बजट का प्रश्न नहीं है, यह स्पैस्फिक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, इस प्रश्न पर एक घण्टा हो गया, अब बैठिये।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहली बार 1991 में विधायक हुआ था और उसके बाद 2007 से लेकर अब तक इस माननीय सदन का विधायक हूं। वर्ष 2007-2012 में ब0स0पा0 की सरकार थी और मैं उस समय विपक्षी दल का विधायक था तो उस समय मुझे इसी प्रकार से पहले बुलाया गया तथा सड़कों के प्रस्ताव भी लिये गये लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं सत्तापक्ष की बजाय विपक्ष का विधायक हूं तो मेरे प्रस्ताव वापस कर दिये गये। पिछली सरकारों में लगातार भेदभाव किया गया है लेकिन हमारी सरकार ने किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग बैठिये। अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं। नत्थी (ख), तारांकित प्रश्न संख्या-1, मा0 कृषि मंत्री जी।

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में वर्ष 2017-18, 2018-19 में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कितने किसानों के हुए बीमा के सम्बन्ध में

*1-श्री शैलेन्द्र यादव ललई तथा श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जिलेवार कितने किसानों का बीमा किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि, कृषि शिक्षा मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व चयनित 14 जनपदों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना संचालित है। फसल बीमा योजनावार व जिलेवार बीमित कृषकों का विवरण संलग्न है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से मा0 उप मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जबसे यह होश संभाले हैं तब से मौलाना मुलायम सिंह, मुल्ला मुलायम सिंह कहते-कहते गला फाड़ डाले। पहली बार आदरणीय नेता जी का ऐसा चरखा दांव चला कि यह मजबूर हो गये। आदरणीय मुलायम सिंह कहने के लिये। (समाजवादी पार्टी के मा0 सदस्यों ने मेजें थपथपाई) नेता जी ने तो मनमोहन सिंह जी के साथ भी यही चरखा दांव चला था। (हंसी) मोदी जी के साथ इसलिये चला कि ताकि मोदी जी दोबारा दिल्ली न आयें। अब मैं सवाल पर आता हूं।

(श्री योगेन्द्र उपाध्याय के खड़े होकर टोकने पर)

दूसरा विभिन्न कम्पनियों को जितनी भी कम्पनियों से बीमा कराया गया है इन सभी विभिन्न कम्पनियों को कितना-कितना प्रीमियम सरकार द्वारा धनराशि दी गई और इन कम्पनियों द्वारा किसानों को क्षतिपूर्ति में कितने-कितने का भुगतान किया गया है। देने और लेने में कुल कितने का अन्तर है। मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, देर आये दुरुस्त आये और आदरणीय मुलायम सिंह जी को वामप्रस्थ जीवन के समय कल उन्होंने जो सच लोक सभा के भीतर रखा है मैं उसके लिये उनको हार्दिक बधाई देता हूं और यह सही है कि जब उम्र बढ़ जाती है तो आदमी सच्चाई पर आ जाता है और आदरणीय मुलायम सिंह जी ने उस सच्चाई को स्वीकार किया है। (सत्ता पक्ष से मेजों की थपथपाहट)

श्री पारस नाथ यादव-

आपकी भी उम्र बढ़ गई है, सच्चाई से उत्तर दीजियेगा।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

अभी मान्यवर, आपसे थोड़ा कम ही है। आदरणीय ललई जी ने तीन प्रश्न एक साथ किये हैं। एक तो यह किया कि सरकार कम्पनियों को छोड़कर। मैं आदरणीय ललई जी को यह बता दूं कि भारत सरकार ने 18 कम्पनियों को इनपैनल किया है। और जब खुली निविदा होती है तो सबको आने की स्वतंत्रता होती है। पूर्ववर्ती सरकार जो हमारी सरकार आने के पहले यानि माननीय आदित्यनाथ योगी जी की सरकार के पहले थी उन्होंने सिर्फ दो कम्पनियों की मॉनीपाली खड़ी कर रखी थी पूरे प्रदेश में, इसलिये प्रतिस्पर्धा का अभाव था। हमारी सरकार ने सभी को इस बात का अवसर दिया और हमारे समय में दो कम्पनियों से बढ़कर 6 कम्पनियां प्रदेश के भीतर काम कर रही हैं। आपने दूसरा प्रश्न किया कि उनको कितना धनराशि प्रीमियम के रूप में दी गई। वर्ष 2018-2019 में 771 करोड़ 64 लाख रुपये प्रीमियम के रूप में धनराशि उनको प्रदान की गई। अभी तक जो क्षतिपूर्ति दी गई है वह कल तक 200 करोड़ 9 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति किसानों को दी गई है। मैं समझता हूं कि बात पूरी हो गई।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि लगभग 500 करोड़ का अन्तर आया है। क्या सरकार बीमा कम्पनियों को पैसा देने के बजाय बीमा कराने के बजाय जो किसानों की क्षति हो रही है उसको सीधे अपने खाते से भुगतान करने पर विचार करेगी।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, किसानों को जो दैवी आपदा से क्षति होती है प्रदेश का 15 से 20 प्रतिशत किसान ही बीमा कराता है। शेष किसान अबीमित किसान है जो बीमा से कवरेज नहीं है। कोशिश इस बात की हो रही है कि उनको भी बीमा के कवरेज के भीतर लिया जाय। उन किसानों को भी जब दैवी आपदा की परिस्थितियां आती है तो दैवी आपदा कोष से हम उनको राहत देते हैं और जिस जनपद के भीतर जैसी क्षति होती है तद्नुसार उनकी क्षति का भुगतान किया जा रहा है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन पांच बीमा कम्पनियों को सरकार ने प्रीमियम की राशि दी है, प्रत्येक कम्पनी को कितना-कितना पैसा दिया गया है इसकी हम जानकारी चाहते हैं और उस कम्पनी द्वारा किसान को कितना-कितना भुगतान किया गया है उसके अन्तर प्रति कम्पनी और किसान के देने पर कितना आता है यह हम जानना चाहते हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

बड़ा बृहद सवाल आपने पूछ लिया है और इसके लिये जिलेवार आंकड़े मंगाने की जरूरत होगी। आप अलग से इस सवाल को कर लेंगे तो उत्तर आपको मिलेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जो विभिन्न कम्पनियों से पूरे प्रदेश में बीमा कराया गया। कम्पनियों को भुगतान किया गया सात सौ कुछ करोड़ रुपया और उसके सापेक्ष किसानों को उनकी फसल नुकसान का जो मुआवजा मिला वह दो सौ कुछ करोड़ रुपये मिला। लगभग 500 करोड़ रुपये का अन्तर हम बीमा कम्पनियों को फालतू दे चुके हैं। जब तक किसान बीमा क्षेत्र में अपना पूरा पंजीयन न करा ले तब तक सरकार बीमा कम्पनियों को भुगतान करने के बजाय नुकसान हुए किसानों को सीधे भरपाई करने पर विचार करेगी क्योंकि 500 करोड़ रुपये का अन्तर सीधे आ रहा है।

श्री अध्यक्ष-

वह तो मंत्री जी कह चुके हैं। नियमित नहीं है तो हम सहायता करते हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, जब आदरणीय वर्मा जी, जब दुर्घटना बीमा या अपने वाहन का बीमा कराते हैं हमारे भाई नरेन्द्र वर्मा जी, तो क्या उस समय इस बात की गारण्टी रहती है कि हमारा वाहन दुर्घटना ग्रस्त हो जायेगा और हम नहीं रहेंगे। यह तो आपदा के आने की आशंका के आधार पर है। उनकी फसल को क्षति न पहुंचे और यदि पहुंचती है तो उतनी भरपाई की जायेगी। दैवी आपदा आने पर किसान को एक सुरक्षा कवच मिले वह योजना है। अब अगर आपने एक नया इनोवा खरीदा, खरीदकर आपने बीमा करवाया तो क्या यह तय है कि सीतापुर से निकलेंगे तो लखनऊ आते-आते दुर्घटनाग्रस्त हो जायेंगे और बीमा की पूरी धनराशि प्राप्त कर लेंगे। मैं समझता हूं कि इस तरह का सवाल उपयुक्त नहीं है।

श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

मान्यवर, एक सवाल और कहना चाहता हूं किसानों से जुड़ा सवाल है हम भी किसान हैं। माननीय अध्यक्ष जैसी चर्चा है किसानों को बीमा देने में बड़े पैमाने पर प्राइवेट कम्पनियों द्वारा अनियमितता बरती गई है। बहुत बड़ा घपला किया गया है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है, क्या सरकार विधान सभा की सर्वदलीय कमेटी बनाकर इस सम्बन्ध में जांच कराने का काम और जांच के उपरान्त जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेगी।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, माननीय ललई यादव जी के संज्ञान में मैं ला दूं, जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है प्रदेश का कृषि उत्पादन खरीफ का, पिछली बार से बढ़कर

281 लाख मीट्रिक टन हो गया है। यानि 12 लाख टन के करीब खरीफ का उत्पादन हमारा बढ़ा है और लगभग 7 लाख मीट्रिक टन हमारा रबी का उत्पादन बढ़ा है। विपरीत परिस्थितियों के बाद भी किसान ने मेहनत करके, परिश्रम करके और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने समय से किसान को बीज उपलब्ध कराये, सस्ते दर पर उपलब्ध कराये, हमने सही समय पर उनको फर्टिलाइजर उपलब्ध कराया, कहीं पर भी हमने उनको लाइन नहीं लगने दिया, कहीं प्रदेश के भीतर लाठी चार्ज नहीं होने दिया, समय से किसान ने उसका उपयोग किया, कृषि यंत्रों पर 50 से लेकर 80 प्रतिशत तक की हमने छूट दी। वर्मी कम्पोस्ट का किट बनवाकर सभी ग्राम सभाओं के भीतर हम लोगों ने अनुदान दिया जिसके परिणामस्वरूप आज प्रदेश का कृषि उत्पादन भी बढ़ा है और प्रोडेक्टिविटी भी बढ़ी है। जब औसत उत्पादन घटेगा उस स्थिति में ही उसके बीमा से कवरेज है। इसलिये आपका यह कहना उसमें भ्रष्टाचार हुआ है यह बिल्कुल निराधार है गलत है। फसल कटाई के जो प्रयोग होते हैं वह आज से नहीं बहुत पहले से है। राजस्व संहिता के अन्दर प्राविधान है उसके अन्तर्गत हर ग्राम सभा के भीतर फसल कटाई होती है। उसके अनुसार क्षति का और उत्पादन का आंकड़ा उससे निकाला जाता है। तद्नुसार उत्तर प्रदेश के भीतर जिन जनपदों के भीतर क्षति प्रभावित हुई है, झांसी के भीतर हुई है, उनको क्षतिपूर्ति कराई जा रही है, ललितपुर में हुई है उसको क्षतिपूर्ति कराई जा रही है। हमीरपुर में हुई है वहां भी कराई जा रही है, मथुरा के भीतर हुई है वहां भी कराई जा रही है। यह आपका कहना कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है यह सही नहीं है। खुला टेण्डर था और 12 कम्पनियों ने आकर हिस्सेदारी बंटाई तो कहां से सवाल उठ जाता है, पिक एण्ड चूज तो आपकी सरकार में होता था आपने 18 कम्पनियों के बजाय दो कम्पनी के भीतर लगा दिया, मोनोपोली बना दी, वह तो हम लोगों ने आकर जब सख्ती किया तो सूखा और दैवी आपदा से जो फसल का नुकसान हुआ था तब जाकर के उन्होंने क्षतिपूर्ति का भुगतान किया। अगर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार न आई होती तो वह वंचित हो गये होते तो आपका यह कहना बिल्कुल असत्य और निराधार है।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह कृषि मंत्री जी तो हमारे मित्र हैं पढ़ रहे थे तबसे, हम भी पढ़ रहे थे तबसे, कितने बुद्धिमान हैं कितना यह बातों को घुमाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, स्पष्ट सवाल था कि जो बीमा कम्पनियों को सरकार ने पैसा दिया है और बीमा कम्पनियों ने जो किसानों को पैसा दिया है, उसमें पांच सौ करोड़ रुपये का अन्तर है। किसान 24 घण्टे से 18 घण्टे खेत-खलिहान में मेहनत करता है तो उत्पादन बढ़ता है। हमारे आपके कहने से उत्पादन नहीं बढ़ता है। आप सिर्फ इतना बता दें कि सरकार ने बीमा कम्पनियों को जो पैसा दिया है और बीमा कम्पनियों ने जो किसानों को पैसा दिया, उसमें पांच सौ करोड़ रुपये बीमा कम्पनियां खा गईं, वह किसानों को नहीं दिया। क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

माननीय अध्यक्ष जी, जब हमारी फसल को क्षति होगी, उस परिस्थिति में हमको कम्पनसेशन दिया जाना है। यदि क्षति हो गई होती, ओले गिर गये होते और गेहूं बर्बाद हो गया होता तो छः सौ करोड़ रुपये की जगह अट्ठारह सौ करोड़ रुपये भी देने होते, ओले नहीं गिरे इसमें भगवान का शुक्र मनाइये। इसलिये यह कहना कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, यह बिल्कुल गलत है, हम जोखिम का इंश्योरेंस कर रहे हैं। यदि जोखिम आयेगी तो उसका भुगतान किया जायेगा।

प्रदेश के समस्त पात्रों की वृद्धावस्था/किसान पेंशन में दिल्ली व दूसरे राज्यों की भांति बढ़ोत्तरी किये जाने सम्बन्धी

*2-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बालिग पुत्र विहीन 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं या पुरुषों को दी जाने वाली मासिक ''वृद्धावस्था/किसान पेंशन'' को दिल्ली और दूसरे राज्यों की भांति शत-प्रतिशत पात्रों को निश्चित समयावधि में पेंशन देना सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)-

प्रदेश सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पात्रता की श्रेणी में आने वाले समस्त महिला एवं पुरुष लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन की सुविधा दी जा रही है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 37,11,261 लाभार्थियों को प्रथम त्रैमासिक किश्त 37,16,562 लाभार्थियों को द्वितीय त्रैमासिक किश्त व 37,37,415 लाभार्थियों को तृतीय त्रैमासिक किश्त की पेंशन धनराशि का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जा चुका है। योजनान्तर्गत 38,69,032 लाभार्थियों को उनकी देय चतुर्थ त्रैमासिक किश्त की पेंशन धनराशि का भुगतान किया जाना प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार पात्रता की श्रेणी में आने वाले समस्त वृद्धजनों को सरकार द्वारा निश्चित समयावधि में पेंशन की सुविधा प्रदान की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

श्री मो0 फईम इरफान-

माननीय अध्यक्ष जी, जो मेरा सवाल था, उसका जवाब पूरी तरीके से नहीं आया। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार इस पेंशन योजना में कब तक और कितनी बार बढ़ोत्तरी करेगी ? पूर्व मुख्य मंत्री मा0 श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के समय समाजवादी पेंशन योजना के तहत 500 रु0 प्रति व्यक्ति मिलते थे और प्रतिवर्ष बढ़ोत्तरी का भी प्राविधान था। क्या सरकार इस पेंशन को दिल्ली तथा दूसरे राज्यों में दी जाने वाली

पेंशन के बराबर यहां के बुजुर्गों को देने का कार्य करेगी ? मेरा प्रश्न समस्त अवशेष पात्रों को कब तक शत-प्रतिशत पेंशन सुविधा का लाभ देने से सम्भावित था, इसलिये इसकी उक्त समय-सीमा क्या है ? मै। अपने अल्फाज यह भी कहूंगा कि ''एक न एक दर तो खुला होता है, यह भी किस-किस को पता होता है, उम्र होती है पुरानी हर दिन, तजुर्बा रोज-रोज नया होता है।'' मेरे सवाल का जवाब मा0 मंत्री जी दे दें।

श्री रमापति शास्त्री-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रत्येक राज्य में एक समान पेंशन की व्यवस्था है। अब इन्होंने पूछा है कि दिल्ली में क्या हो रहा है तो दिल्ली में क्या हो रहा है, उसकी कोई सूचना नहीं है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने बहुत बड़ी कृपा की है कि जो उन्होंने 400 रुपये पेंशन दी जाती थी, उन्होंने उसको बढ़ाकर 500 रु0 कर दिये हैं। यह प्रक्रियाधीन है। मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार ग्राम विकास विभाग द्वारा सर्वेक्षण कराया गया था, जिसमें 9 लाख, 4 हजार वृद्धजन चिन्हित किये गये थे। उनके सापेक्ष 3 लाख 13 हजार 994 वृद्धजनों की पेंशन स्वीकृत कर ली गई है। इसी प्रकार से मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा 20 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक प्रदेश के सभी विधान सभा क्षेत्रों में योजनान्तर्गत मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्देश के क्रम में कैम्पों का आयोजन किया गया था।

कैम्पों का आयोजन किया गया था माननीय सदस्यों के क्षेत्रों में हुआ होगा सब जानते होंगे। उसमें एक लाख 21 हजार 220 आवेदन-पत्र आये थे। यह सत्यापन कराकर जो प्रक्रियाधीन होता है उसमें हमारी सरकार ने तय किया है कि प्रदेश भर में जहां भी कोई वृद्धजन होगा जितनी आय सीमा निर्धारित है उसके अन्तर्गत आने वाले होंगे उन सभी वृद्धजनों को हमारी सरकार पेंशन देने की व्यवस्था करेगी।

श्री मो0 फईम इरफान-

अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं क्या सरकार प्रतिवर्ष इसमें बढ़ोत्तरी करने का कोई प्राविधान ला रही है।

श्री अध्यक्ष-

अब तो स्पष्ट उत्तर आ गया।

श्री मो0 फईम इरफान-

मैं बढ़ोत्तरी के बारे में पूछना चाहता हूं कि इसमें प्रतिवर्ष बढ़ोत्तरी होगी कि नहीं।

श्री अध्यक्ष-

अब तो प्रत्येक बिन्दु पर उत्तर आ गया है।

जनपद लखनऊ में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट-2018 में साइन हुए एम0ओ0यू0 में उद्योगों की प्रतिस्थापना के सम्बन्ध में

*3-सुश्री अदिति सिंह तथा डॉ0 अरूण कुमार (अनुपस्थित)-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में लखनऊ में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में जो एम0ओ0यू0 साइन हुए थे उनमें से कितने उद्योगों की प्रतिस्थापना अब तक हो चुकी है तथा कितने निर्माण प्रक्रिया में हैं ? क्या सरकार द्वारा इनकी स्थापना के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

जी हां।

फरवरी, 2018 में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में 1045 परियोजनाओं की स्थापना हेतु एम0ओ0यू0 साइन हुए थे, उनमें से 81 परियोजनाओं का भूमि पूजन 29-07-2018 को सम्पन्न हुआ उनमें से 21 परियोजनाओं की प्रतिस्थापना अब तक हो चुकी है। शेष निर्माण प्रक्रिया में है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

एम0ओ0यू0 की परियोजनाएं अलग-अलग क्षेत्र तथा अलग-अलग लागत की हैं जिनके क्रियान्वयन की समय सीमा सम्बन्धित उद्यमियों द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा सरकार द्वारा इसे निर्धारित किया जाना समीचीन नहीं है, तथापि शीघ्र स्थापना का अनुरोध इकाई के प्रवर्तकों से किया जा रहा है।

प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत बीज खरीद में हुए घोटाले के सम्बन्ध में

*4-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2018-19 में कृषि विभाग में बीज खरीद में करोड़ों रुपये की फर्जी रसीदें पकड़ में आयी हैं ? क्या यह सही है कि गेहूँ, मूंग, मटर, चना, उरद के बीजों को कृषि विभाग को आपूर्ति करने के बजाय खुले बाजार में बेच दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस घोटाले की जांच कराकर दोषियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

कृषि विभाग द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच में जनपद कानपुर में स्थित उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम कार्यालय द्वारा मूंग, गेहूं, मसूर एवं तोरिया बीजों के भुगतान हेतु प्रेषित 04 फर्जी रसीदें प्रकाश में आई हैं।

प्रकरण की विभागीय जांच प्रचलित कर दी गई है।

इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध थाना कल्याणपुर जनपद कानपुर नगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है साथ ही सम्बन्धित कार्मिकों को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रचलित कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रितेश पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी बहुत-बहुत धन्यवाद मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इसमें कार्यवाही की तो बात की है एफ0आई0आर0 लिखा दी गई है निलम्बित कर दिया गया है लेकिन विभागीय जांच इसमें कराई गई है, माननीय अध्यक्ष जी जिस विभाग के अधिकारी जिस घोटाले में स्वयं ही लिप्त हों उन्हीं से अगर जांच करवाई जायेगी तो फिर किस तरह से सच्चाई का पता किया जायेगा। मेरा माननीय मंत्री जी से पहला सवाल है कि क्या यह जांच किसी अन्य एस0आई0टी0 को बिछाकर कराई जायेगी या किसी अन्य रिटायर जज को बिछाकर उनकी कमेटी गठित करके इस जांच को कराया जायेगा। दूसरा मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो घोटाला है वह कितने वर्षों से चल रहा है इसमें करीब 25 करोड़ रुपये के घोटाले का अनुमान है। अभी तक कितना घोटाला पकड़ा गया है इसमें और क्या इस घोटाले की सही सही जांच के लिये किसी रिटायर जज की कमेटी बिठाकर उनकी देख-रेख में इसकी जांच करवायेंगे ताकि जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, जिस प्रश्न की माननीय सदस्य ने चर्चा की यह इसी सत्र का प्रश्न है उसी से सम्बन्धित है इस सत्र के भीतर 4 जनवरी को ही इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि यह पांच बिल जो फर्जी प्रतीत हो रहे हैं उनको सत्यापन के लिये भेजा गया है और सत्यापन में वह बिल असत्यापित पाये गये और उस पर तुरन्त कार्यवाही शुरू कर दी गई तो उस समय दूसरे दिन ही जो 98 लाख 80 हजार रुपये की धनराशि थी वह एस0बी0आई0 के भीतर जमा हो गई फिर भी हमने इसमें एफ0आई0आर0 दर्ज कराई है और दर्ज कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं कृषि विभाग और बीज निगम की एक संयुक्त समिति बनाई है जो दोनों मिलकर पिछले वर्षों की भी जांच करेंगे जांच से जो निष्कर्ष आयेंगे उसके अनुसार हम दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे।

श्री रितेश पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी मैंने पहले ही कहा कि जिस विभाग में ही घोटाला हो रहा हो उस विभाग के अधिकारी अगर उसकी जांच करेंगे तो किस तरफ से सच्चाई सामने आयेगी यह सभी को पता है। माननीय मंत्री जी यह बतायें क्या किसी रिटायर जज की कमेटी के अन्तर्गत इसकी

जांच करवायेंगे ? दूसरा मेरा सवाल था मा0 मंत्री जी यह बतायें कि बराबर यह बात होती है कि पारिदर्शिता बढ़ाने के लिये हम ई-पोर्टल्स का इंतजाम कर रहे हैं तो क्या पारदर्शिता बढ़ाने के लिये अगर किसी निगम से कहीं पर बीजों की सप्लाई हो रही है तो क्या वह किसान किसी वेबसाइट पर अथवा जिस जगह पर वह बीज सप्लाई हो रहा है उस वेबसाइट पर जाकर यह देख सकता है कि निगम ने वहां पर बीज भेज दिये हैं, क्योंकि अगर यह पता होता तो शायद यह नौबत न आती कि वहां पर फर्जी रसीदें बन रही हैं और मौके पर कुछ पहुंच नहीं रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, इसलिये मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या एक स्पेशल कमेटी बैठाकर के इसकी जांच करवायेंगे।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, जैसाकि मैंने बताया कि इस पूरे प्रकरण की किसी अन्य विभाग ने खोज नहीं की है। बीज निगम ने कृषि विभाग के पास जब अपने बिल भेजे और कृषि विभाग को लगा कि यह बिल संशय से परे हैं या कूट रचित हैं तो उसको पुनः बीज निगम के पास भेजा गया और एक दिन के भीतर ही सत्यापित करके यह तथ्य और निष्कर्ष निकाल लिया गया कि इसमें गड़बड़ी पाई गई है। उसके बाद हमारे विभाग ने उस गड़बड़ी को तुरन्त ही बीज निगम को भेजा कि यह संदिग्ध पाई जा रही है और दूसरे दिन ही बीज निगम ने एफ0आई0आर0 दर्ज कराई। जो सम्बन्धित धनराशि थी वह बैंक में जमा हो चुकी है और इस प्रकार से इस साल किसी भी प्रकार का कोई गबन नहीं है। दूसरा जो आपने पोर्टल की बात कही तो उस सन्दर्भ में कार्यवाहियां शुरू हो गई हैं और हम उसको पारदर्शी तरीके से ऐसा बना रहे हैं ताकि प्रदेश के भीतर जितना भी बीज का मूवमेन्ट होगा उसकी जानकारी पोर्टल के अनुसार होती चली जायेगी। इसलिये आप निश्चिंत हो जाईये। अब पूर्व के वर्षों में भी जो गड़बड़ियां हुई होंगी, इस साल जो भी तथ्य सामने आये उसको ध्यान में रखते हुए हमने पिछले 2011 से जांच एक संयुक्त समिति को सौंप दी है और वह उसकी जांच करा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आयेंगे तद्नुसार कार्रवाई की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।[†]

प्रदेश में कौशल विकास का प्रशिक्षण माह जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक प्रशिक्षित युवकों के विषयक

***5-श्री राकेश प्रताप सिंह-**

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माह जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक कितने नवयुवकों को कौशल विकास का प्रशिक्षण

[†] नोट :-तारांकित प्रश्न सं0-04 के बाद प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

दिया गया तथा प्रशिक्षित नवयुवकों में से कितने नवयुवकों को कितनी-कितनी धनराशि देकर क्या-क्या रोजगार उपलब्ध कराया गया है ? क्या सरकार जनपदवार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

आलोच्य अवधि माह जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 की अवधि में कौशल विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षित कुल 83,487 युवाओं को सेवायोजित कराया गया है। व्यवसायवार सेवायोजित युवाओं तथा उन्हें प्राप्त हो रहे औसत मासिक अवधि धनराशि का जनपदवार विवरण संलग्न है।

जी हां। अपेक्षित विवरण सदन के पटल पर रखे जाने हेतु उक्तानुसार संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश वाराणसी, जौनपुर आदि स्थानों पर उद्योग लगाने के सम्बन्ध में

*6-श्री सुखदेव राजभर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, फैजाबाद या गोरखपुर मण्डलों में क्षेत्र एवं जनता के विकास के दृष्टिकोण से कहीं भी भारी उद्योगों की स्थापना न होने से इस क्षेत्र में अत्यन्त पिछड़ापन है ? यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्रों में उद्योग लगाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीस महाना-

जी हां।

प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिये ''उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017'' बनाई गई है, जिसमें पूर्वांचल क्षेत्र अर्थात् पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये निम्नलिखित प्राविधान किये गये हैं :-

निजी क्षेत्र द्वारा पूर्वांचल में 100 एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित औद्योगिक पार्कों/एस्टेटों तथा 50 एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित एग्रो पार्कों के लिये प्रोत्साहन।

पूर्वांचल क्षेत्र में 100 प्रतिशत स्टैम्प शुल्क से छूट।

लघु उद्योगों के लिये 5 वर्षों हेतु नेट स्टेट जी0एस0टी0 की 90 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

मध्यम उद्योगों के लिये 5 वर्षों हेतु नेट स्टेट जी0एस0टी0 की 60 प्रतिशत प्रतिपूर्ति

प्लाण्ट एण्ड मशीनरी के क्रय हेतु किये गये ऋण का 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष हेतु ब्याज की प्रतिपूर्ति।

सड़क, सीवर, जल निकासी, पावर लाइन, ट्रांसफार्मर एवं पावर फीडर जैसे स्वयं के उपयोगार्थ बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु लिये गये ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष हेतु अवस्थापना ब्याज उत्पादन।

औद्योगिक अनुसंधान, उत्पाद की गुणवत्ता सुधार एवं विकास के लिये, लिये गये ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष हेतु औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान।

सभी नई औद्योगिक इकाइयों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से 10 वर्ष की अवधि हेतु छूट।

कैप्टिव पावर प्लाण्ट द्वारा उत्पादित एवं स्वयं प्रयोग की जाने वाली विद्युत को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से 10 वर्ष की अवधि तक छूट।

100 अथवा उससे अधिक अकुशल श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने वाली नई औद्योगिक इकाइयों को नियोक्ता के अंश के 50 प्रतिशत की दर से ई0पी0एफ0 प्रतिपूर्ति।

न्यूनतम 200 प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करने वाली इकाइयों को ई0पी0एफ0 में नियोक्ता अंश का 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रतिपूर्ति।

अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला/दिव्यांगों की न्यूनतम 75 प्रतिशत स्वामित्व वाली औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने के लिये अतिरिक्त लाभ।

अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला/दिव्यांग/बी0पी0एल0 श्रमिकों के रोजगार को प्रोत्साहन।

दिव्यांग श्रमिकों को रु0 500/- प्रतिमाह प्रति श्रमिक की दर से पे-रोल सहायता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विभिन्न विद्यालयों/महाविद्यालयों में छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति आवंटित करने के सम्बन्ध में

*7-श्री उमाशंकर सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्यालयों/महाविद्यालयों के अधिकांश छात्र/छात्राओं को वर्तमान शैक्षिक सत्र की छात्रवृत्तियाँ, पठन-पाठन सत्रावसान व मध्य सत्र बीत जाने के पश्चात् भी उन्हें नहीं प्राप्त होने से छात्र/छात्राओं के पठन-पाठन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार विद्यालयों/महाविद्यालयों की बची हुई छात्रवृत्ति उन्हें उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

समाज कल्याण विभाग में संचालित अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के पात्र छात्रों को नियमावली में अंकित प्राविधानों/शर्तों के अन्तर्गत छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि 02 अक्टूबर एवं 26 जनवरी को उपलब्ध धनराशि की सीमा तक भुगतान किया जा चुका है।

अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के पात्र छात्रों को नियमावली में अंकित प्राविधानों/शर्तों के अन्तर्गत छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि 02 अक्टूबर एवं 26 जनवरी को उपलब्ध धनराशि की सीमा तक भुगतान किया जा चुका है। अवशेष अनुसूचित जाति के पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि आवश्यक बजट व्यवस्था कराकर भुगतान की जायेगी।

सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना फण्ड एडेड योजना है। बजट समाप्त होने पर देयता समाप्त मानते हुए अगले वर्ष अग्रेनीत नहीं की जाती है। राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की सीमा के अधीन कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

***8-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

[03 मंगलवार के तारां0प्र0सं0-17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के दिव्यांगजनों को वाहन भत्ते में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में

*9-श्री नितिन अग्रवाल-

क्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिव्यांगों को वाहन भत्ता पुरानी दरों से दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान मंहगाई को देखते हुए नई दरों से दिव्यांग वाहन भत्ता दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री (श्री ओम प्रकाश राजभर)-

हां।

वेतन समिति की संस्तुतियां वित्त विभाग में प्राप्त हो चुकी हैं, जिन पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मा0 मंत्रि-परिषद् के निर्णयोपरान्त यथासमय कार्यवाही की जायेगी।

लागू नहीं।

लागू नहीं।

अतारांकित प्रश्न

जनपद लखनऊ के गोमतीनगर के विभूति खण्ड स्थित किसान बाजार के अन्तर्गत बैंकेट हाल में सरकारी कर्मचारियों के भांति किसानों को भी 40 प्रतिशत छूट दिलाने के सम्बन्ध में

1-चौ0 उदयभान सिंह-

क्या कृषि विपणन तथा कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमतीनगर लखनऊ के विभूति खण्ड स्थित किसान बाजार के बैंकेट हाल के प्रयोग के लिए कृषि विभाग के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों की शादी के लिए उन्हें निर्धारित शुल्क में 40 प्रतिशत की छूट एवं

किसानों के पुत्र/पुत्रियों की शादी हेतु निर्धारित शुल्क में मात्र 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को भी कर्मचारियों की भाँति 40 प्रतिशत की छूट प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

एन0आर0आई0, बाढ़ नियंत्रण, कृषि निर्यात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती स्वाती सिंह)-

कृषि विभाग के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों की शादी के लिये निर्धारित शुल्क में कोई छूट नहीं दी जाती है। मण्डी परिषद्/मण्डी समिति के अधिकारियों (कार्यरत/सेवानिवृत्त) के पुत्र/पुत्री की शादी आदि कार्यक्रम हेतु बुकिंग कराने पर 40 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है। किसानों के पुत्र/पुत्रियों की शादी हेतु निर्धारित शुल्क में 10 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

किसानों को कर्मचारियों की भांति मूल धनराशि में से 40 प्रतिशत की छूट प्रदान किया जाना विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2017 के प्रथम गुरुवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये तारां0प्र0सं0-06 के उत्तर के सम्बन्ध में

2-श्री मनोज कुमार पारस, श्री सुखदेव राजभर तथा श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2017 के प्रथम गुरुवार हेतु निर्धारित तारां0 प्र0सं0-06 के उत्तर के क्रम में क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासकीय भाषा के अतिरिक्त अब दलित शब्द का आमतौर पर प्रयोग सामाजिक भावनाओं के दृष्टिगत किया जाना भी सरकार प्रतिबन्धित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता है।

'दलित' शब्द के संवैधानिक शब्द न होने और इस शब्द का उपयोग शासकीय भाषा में न होने के कारण इस पर प्रतिबन्ध लगाये जाने का औचित्य नहीं है।

जनपद-अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-जलालपुर एवं भियांव में गेहूं की खरपतवार नाशी दवा को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

3-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जलालपुर एवं भियाँव में गेहूँ की खरपतवार नाशक दवा नहीं आने से किसान प्राइवेट दुकान से

अधिक मूल्य पर नकली दवा खरीदने पर विवश हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ब्लाक मुख्यालय पर दवा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

कृषि विभाग द्वारा जनपद अम्बेडकरनगर के साथ-साथ प्रदेश के समस्त जनपदों को खरपतवारनाशी रसायन उपलब्ध कराये जा चुके हैं। जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जलालपुर एवं भियांव स्थित कृषि रक्षा इकाइयों पर खरपतवारनाशी रसायनों की उपलब्धता क्रमशः 1190 तथा 960 यूनिट हैं जिसके सापेक्ष जलालपुर एवं भियांव ब्लाक में क्रमशः 110 एवं 118 यूनिट का वितरण किया जा चुका है।

जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जलालपुर एवं भियांव ब्लाक मुख्यालय पर पूर्व से ही दवा उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में राष्ट्रीय लाभ योजना के अन्तर्गत आवेदन करने का समय 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष करने से सम्बन्धित

4-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत आवेदन करने की समयसीमा को 1 वर्ष से बढ़ाते हुए 2 वर्ष करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ मुखिया (18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम) की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके आश्रित को तात्कालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना है। योजनान्तर्गत वर्तमान में आवेदन हेतु 01 (एक) वर्ष की समय सीमा निर्धारित है। चूंकि योजना का मुख्य उद्देश्य मृतक के आश्रित को तात्कालिक सहायता प्रदान किया जाना है तथा इसके लिये आवेदन करने की एक वर्ष की निर्धारित अवधि पर्याप्त है। अतः इसे बढ़ाकर 02 वर्ष किये जाने का प्रस्ताव औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में किसान बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों के अवशेष बीमा क्लेम की भुगतान कराने के सम्बन्ध में

5-श्री अजय कुमार लल्लू-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसान बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के किसानों को 22180/- करोड़ रुपये बीमा प्रीमियम के रूप में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त के सापेक्ष कितनी धनराशि का बीमा क्लेम किसानों से प्राप्त हुआ है एवं उनमें से कितने बीमा क्लेमों का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा कर दिया गया है तथा कितनी धनराशि अवशेष है ? क्या सरकार अवशेष बीमा क्लेम के भुगतान की समय-सीमा निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

कृषि विभाग के अन्तर्गत किसान बीमा योजना नाम से कोई योजना संचालित नहीं की जा रही है। कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का संचालन प्रदेश के समस्त जनपदों में किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के खरीफ व रबी मौसम के अन्तर्गत किसानों को कुल रुपये 349.01 करोड़ की धनराशि बीमा क्लेम के रूप में प्रदान किया गया है।

योजना में फसलों की क्षति का आंकलन ग्राम पंचायत में अधिसूचित फसलों पर निर्धारित संख्या में सम्पादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर नियमानुसार किया जाता है। इसके लिये कृषक को किसी प्रकार का दावा प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होता है। योजना के प्राविधानानुसार कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा सीधे कृषक के बैंक खाते में जमा कराया जाता है।

वर्ष 2017-18 के खरीफ व रबी मौसम में बीमित कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है।

अधिसूचित फसलों के ग्राम पंचायतवार उपज के आंकड़े कृषि विभाग से प्राप्त होने के पश्चात् 21 दिन के अन्दर बीमा कम्पनियों द्वारा कृषकों को बीमा क्लेम के भुगतान की समय-सीमा निर्धारित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-मऊ में समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राइमरी विद्यालयों में फर्जी नियुक्तियों की जांच कराने के सम्बन्ध में

6-श्री सुखदेव राजभर

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मऊ में समाज कल्याण द्वारा संचालित अनुदान सूची में लिए जाने के बाद कितने प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापकों की

नियुक्ति में अनियमितता किये जाने के विरुद्ध वर्तमान में जांच प्रचलित है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त की जांच पूर्ण कर ली गयी है ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या है ? यदि नहीं, तो जांच कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जनपद मऊ में समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक अनुदान सूची में लिये जाने के बाद 30 प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में जांच प्रचलित थी।

जी हां। जांच पूर्ण कर ली गई है।

जांच में 06 अध्यापकों की नियुक्ति अप्रमाणित टी0ई0टी0 प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जाना पाया गया है।

जांच पूर्ण कर ली गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-जौनपुर के प्रमीला देवी ग्राम-बेलवार व तारा देवी ग्राम-भैंसहा रामपुर को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ दिलाये जाने विषयक

7-श्रीमती सुषमा पटेल

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सुजानगंज में प्रमिला देवी, ग्राम बेलवार व तारा देवी, ग्राम भैसहा रामपुर की पति की मृत्यु के पश्चात् पारिवारिक लाभ योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ दिलाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जिलाधिकारी जौनपुर के पत्रांक-12136, दिनांक 31-01-2019 के साथ संलग्न जिला समाज कलयाण अधिकारी, जौनपुर द्वारा प्रेषित आख्यानुसार जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सुजानगंज में प्रमिला देवी, पत्नी अवधेश कुमार ग्राम बेलवार के आवेदन-पत्र पंजीकरण संख्या-315815945 व तारादेवी पत्नी जुगल किशोर ग्राम भैंसहा रामपुर के आवेदन-पत्र पंजीकरण संख्या-315816864 में उप जिलाधिकारी, मछलीशहर से जांचोपरान्त ऑनलाइन आख्या प्राप्त हो गई है। जिला स्तरीय समिति से स्वीकृति के उपरान्त उक्त दोनों लाभार्थियों के बैंक खातों में योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता अन्तरण की कार्यवाही की जा रही है।

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

पत्र संख्या-ख-6 नम्बर-512615, दिनांक 09-01-2019 के सम्बन्ध में

8-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या कृषि विपणन तथा कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मण्डी परिषद् बुलन्दशहर द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों की टी0ए0सी0 से जांच कराने विषयक पत्र संख्याः ख-6 नम्बर-512615, दिनांक 09-01-2019 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

जी हां।

मा0 विधायक के उक्त पत्र दिनांक 09-01-2019 के क्रम में निदेशक, मण्डी परिषद् द्वारा अपने पत्र दिनांक 02-02-2019 में आख्या उपलब्ध कराई गई, जिसके अनुसार उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद् के पत्र दिनांक 04-09-2017 में उल्लिखित 05 नग सम्पर्क मार्गों का निरीक्षण/सत्यापन जिलाधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उप जिलाधिकारी एवं लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता के द्वारा किया जा चुका है, जिनमें कार्यों की स्थिति सन्तोषजनक पाई गई है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-बाराबंकी के तहसील-रामसनेहीघाट क्षेत्र में युवाओं के पलायन को रोकने हेतु औद्योगिक इकाइयों की स्वीकृति एवं स्थापना करने के सम्बन्ध में

9-श्री सतीश चन्द्र शर्मा-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी की तहसील रामसनेही घाट क्षेत्र में युवाओं के पलायन को रोकने हेतु औद्योगिक इकाइयों की स्वीकृति एवं स्थापना हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी हां।

प्रदेश में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा ''उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017'' प्रख्यापित की गई है। ''उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017'' के अन्तर्गत प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की सुविधाओं यथा-पूंजीगत ब्याज उपादान, अवस्थापना ब्याज उपादान, स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति आदि सुविधायें प्रदेश में निवेश करने वाले उद्यमियों को दिये जाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन हेतु क्षेत्र विशिष्ट नीतियां भी प्रख्यापित की गई है।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना एवं पारम्परिक कारीगर के कौशल विकास हेतु विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना संचालित है जिसमें समस्त तहसीलों के व्यक्तियों द्वारा आवेदन कर ऋण/प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त रोजगार प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद के रामसनेहीघाट तहसील मुख्यालय पर मण्डी समिति का निर्माण कराने के सम्बन्ध में

10-श्री सतीश चन्द्र शर्मा-

क्या कृषि विपणन तथा कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद के रामसनेही घाट तहसील मुख्यालय पर मण्डी समिति का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

मण्डी स्थल का निर्माण घोषित प्रधान मण्डी अथवा उपमण्डी स्थल में किया जाता है। जनपद-बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र, दरियाबाद का रामसनेहीघाट उपमण्डी स्थल घोषित नहीं है। अतः उपमण्डी स्थल घोषित न होने के कारण मण्डी समिति का निर्माण नहीं कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय खुलवाने के सम्बन्ध में

11-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

क्या कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की दिशा में सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

वर्तमान में राजकीय क्षेत्र में चार कृषि विश्वविद्यालय (कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, बांदा) स्थापित हैं। कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) जनपद आजमगढ़ में पठन-पाठन वर्ष 2018 से प्रारम्भ कर दिया गया हे। इसके अतिरिक्त जनपद गोण्डा में कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) तथा जनपद लखीमपुर-खीरी में कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) निर्माणाधीन है। सम्प्रति उक्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों एवं इनके अन्तर्गत नवनिर्मित महाविद्यालयों में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं आदि की व्यवस्था एवं इनको सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त के दृष्टिगत जनपद कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की कोई कार्ययोजना बनाये जाने का अवसर नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र में वन ड्रिस्टिक वन प्रोडक्ट से सम्बद्ध औद्योगिक इकाई लगाने के सम्बन्ध में

12-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से सम्बद्ध औद्योगिक इकाई लगाने की दिशा में कोई नीति बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खादी ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्र उद्योग मंत्री (श्री सत्यदेव पचौरी)-

जी हां।

''एक जनपद-एक उत्पाद'' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर में ''केले के रेशे से बने उत्पाद'' को ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद के रूप में चिन्हित किया गया है। ओ0डी0ओ0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों के विकास हेतु निम्नलिखित योजनायें प्रारभ की गई हैं :-

1-सामान्य सुविधा केन्द्र प्रोत्साहन योजना-

इस योजना के अन्तर्गत जनपद के चिन्हित उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक के अवयवों जैसे-कच्चा माल, डिजाइन, गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण, पैकेजिंग आदि की सुविधाओं हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किये जाने का प्राविधान है। कुल 15 करोड़ रु0 तक के लागत की परियोजनायें योजनान्तर्गत स्थापित की जा सकती है जिसके लिये प्रदेश सरकार द्वारा कुल परियोजना लागत का 90 प्रतिशत राज्य सरकार के अंशदान के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।

2-एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषण की योजना-

जनपद के चिन्हित ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों के समय विकास हेतु विभिन्न विधाओं में कार्यरत अथवा कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिये वित्त पोषण की योजना लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत अधिकतम 25 प्रतिशत तक का उपादान देय है। योजनान्तर्गत वित्त पोषण के माध्यम से सहायता प्रदान करते हुए आर्थिक क्षमता में वृद्धि एवं अधिक से अधिक रोजगार सृजित करना मुख्य उद्देश्य है।

3-एक जनपद-एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना-

इस योजना के अन्तर्गत चिन्हित उत्पादों को एक ब्राण्ड के रूप में स्थापित करने तथा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेला प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने तथा ई-मार्केटिंग के माध्यम से विपणन हेतु सुविधा प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

योजनान्तर्गत उक्त मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने वाले इच्छुक हस्तशिल्पियों/ उद्यमियों को मेला स्थल तक माल ढुलाई, स्टाल चार्जेज, यात्रा हेतु किया गया व्यय आदि हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उक्त के अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक कामर्स की प्रतिष्ठित वेबसाईट अथवा पोर्टल के माध्यम से किये गये व्यवसाय में हुए व्यय का 75 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2016-2017 व 2017-2018 में मण्डी परिषद् द्वारा बनी सड़कों के सम्बन्ध में

13-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

क्या कृषि विपणन तथा कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में वर्ष 2016-17 व 2017-18 में कौन-कौन सी सड़कें मण्डी परिषद् द्वारा पिच कराने व गड्ढामुक्त कराने हेतु प्रस्तावित हुईं ? क्या सरकार सड़कों के डामरीकरण एवं गड्ढामुक्त करने हेतु विधायकों से भी प्रस्ताव लेने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2016-2017 व 2017-2018 में निम्न 03 नग सड़कें मण्डी परिषद् द्वारा पिच कराने व गड्ढ़ामुक्त कराने हेतु प्रस्तावित थीं :-

1-सम्पर्क मार्ग अर्जुनहवा नहर पिच रोड से बंजारा पट्टी तक की मरम्मत।

2-सम्पर्क मार्ग शिवपुर से जिगना तक की मरम्मत।

3-सम्पर्क मार्ग प्रा0 पाठशाला सोहांगडीहवा पट्टी नहर की मरम्मत।

जी नहीं। अनुरक्षण नीति के मानको के अनुसार इस वर्ष मरम्मत योग्य सभी सड़कों को डामरीकरण व गड्ढामुक्तिकरण का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

ग्रेटर नोएडा की 104वीं बोर्ड बैठक में 6 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत आबादी विस्तार के सम्बन्ध में

14-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रेटर नोएडा की 104वीं बोर्ड बैठक द्वारा 6 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत आबादी विस्तार का भू-खण्ड को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20-04-2016, 12-07-2016, 20-07-2016

तथा 06-07-2016 को पत्र भेजकर शासन से अनुमोदन का अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी हां।

प्रकरण में कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा में किसानों को आबादी का भू-खण्ड देने के सम्बन्धम में

15-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रेटर नोएडा में किसानों को 6 प्रतिशत आबादी का भू-खण्ड तथा नोएडा में 5 प्रतिशत भू-खण्ड देने की योजना के अन्तर्गत किस वर्ष तक के किसानों के भू-खण्ड आवंटन लम्बित हैं तथा प्रत्येक प्राधिकरण में लम्बित भू-खण्डों की संख्या क्या है ? क्या सरकार आवंटन हेतु लम्बित भू-खण्डों को किसानों को देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में वर्ष 1997-98 से वर्ष 2013-14 तक 15522 प्रकरणों में 14558 आवंटन पत्र जारी किये जा चुके हैं एवं 1364 लम्बित हैं। नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 31-03-2015 तक 5 प्रतिशत समस्त आबादी भूखण्डों को नियोजन कर आवंटित कर दिये गये हैं एवं दिनांक 01-04-2015 के पश्चात् 44 ग्रामों में 200 प्रस्ताव लम्बित हैं।

जी हां।

सभी ग्रामों में आवासीय उपयोग की अर्जित व कब्जा प्राप्त भूमि की उपलब्धता हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। भूमि की उपलब्धता के उपरान्त देय भूखण्डों के नियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गुजरात सरकार की भांति आलू उत्पादन करने वाले किसानों को 200 रुपये परिवहन एवं कोल्ड स्टोरेज हेतु अनुदान दिलाने के सम्बन्धित

16-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भाड़ा/अनुदान योजना के अन्तर्गत किसानों को 300 किमी0 से अधिक दूरी पर अपने उत्पाद ले जाने के लिये कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार आलू उत्पादन की बढ़ती लागत के दृष्टिगत रखते हुये 300 किमी0 से

कम दूरी पर अपना उत्पाद लाने वाले किसानों को भी उक्त योजना से आच्छादित करेगी ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि गुजरात सरकार द्वारा किसानों को आलू उत्पादन पर प्रति कुन्तल 200/- रुपये परिवहन/कोल्ड स्टोरेज हेतु अनुदान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों को भी उक्त की भांति अनुदान देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

यह योजना वर्ष 2017 में आलू के भावों में भारी गिरावट के दृष्टिगत आलू के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया गया था। तत्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-1200/80-1-2017-600(12)/2009, दिनांक 18-07-2017 के क्रम में मण्डी परिषद् द्वारा लागू की गई थी। यह योजना दिनांक 31-12-2017 तक प्रभावी रही।

वर्तमान में आलू के परिवहन पर पुनः अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रकरण विचाराधीन है।

गुजरात की भांति आलू उत्पादन पर प्रति कुन्तल 200/- रुपये परिवहन/कोल्ड स्टोरेज हेतु अनुदान दिये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-300 की सूचना लेते हैं।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने हमे आज्ञा दी थी कि क्वेश्चन ऑवर के बाद आप इस मामले को उठाईयेगा।

श्री अध्यक्ष-

हमने नियम-56 के अन्तर्गत कहा था। पहले हम नियम-300 पर सुन लेते हैं।

[12:20] समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ घटित घटना का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक मुकदमें दर्ज होने के प्रकरण पर चर्चा कराये जाने की मांग (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी कुर्सी विक्रमादित्य की कुर्सी है। आपको इस पर कृपापूर्वक निर्णय करना चाहिये। आप भी राजनीतिक व्यक्ति हैं। किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने नेता के अपमानित होने पर स्वाभाविक है कि वह अहिंसात्मक तरीके से धरना-प्रदर्शन करेंगे और यह भी सही है कि कभी-कभी छिट-पुट टकराव भी हो जाते हैं, लेकिन यह कभी नहीं हुआ कि धरना-प्रदर्शन के लिये राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर सामूहिक रूप से क्रिमिनल धाराओं

में मुकदमा दायर किया जाये और यह सरकार ऐसा कर रही है। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि एक राजनीतिक वातावरण दूषित न हो। हम कोई दुश्मन नहीं हैं। हम कार्यक्रमों में आपस में लड़ते हैं, विचारों में आपस में लड़ते हैं।

(इसी मध्य सदस्य श्री उमेश मलिक के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी बात लिखकर मेरे पास भेज दीजिये।

***श्री उमेश मलिक-**

मान्यवर, परसों हम लोगों का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। मैं जनपद मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधान सभा से विधायक हूं।

श्री अध्यक्ष-

अभी मैं मा0 नेता प्रतिपक्ष को सुन रहा हूं। मैने मा0 नेता प्रतिपक्ष को बुला लिया है। आप अपनी लिखित स्लिप हमें भेज दें। हमारे अनुसेवक आपकी स्लिप ले लेंगे। हम अपना अनुसेवक आपके पास भेज रहे हैं, आप अपनी स्लिप हमारे पास भेज दें।

(इस मध्य सदस्य श्री उमेश मलिक द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करते रहने पर)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 सदस्य, आप प्लीज बैठ जाईये। आप बैठ जाईये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आप बैठ जाईये।

(इस मध्य सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ टोका-टाकी करने पर व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष-

आप क्यों बैठा रहे हैं। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम हैं न, हम इनको बैठा रहे हैं। मा0 सदस्य, आप बैठ जाईये। मा0 नेता प्रतिपक्ष आप बोलें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन और देश संविधान को मानता है और संविधान से चलता है। संविधान में हमको अधिकार दिया गया है कि यदि हमारी सरकार से किसी बात को लेकर नाराजगी है तो हम अहिंसात्मक तरीके से, धरना प्रदर्शन एवं सविनय अवज्ञा आन्दोलन के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माध्यम से सरकार को सचेत करने का काम करते हैं। इसी सन्दर्भ में (इसी मध्य सत्ता पक्ष के सदस्य, श्री उमेश मलिक के खड़े होकर बोलने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 सदस्य आप बैठ जायें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य मैं खड़ा हूं, कृपया आप बैठ जायें। आप नियमावली पढ़ लीजिये। आप सब लोग सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, नियम जानते हैं, नियमावली जानते हैं। हम सब यह भी जानते हैं (आप भी बैठे-बैठे बोल रहे हैं) एक मिनट हमको सदन व्यवस्थित कर लेने दीजिये। सदन की कार्यवाही के समय माननीय नेता सदन अर्थात् माननीय मुख्य मंत्री जी बोलते हैं तो सब लोग ध्यान से सुनते हैं वे कभी भी उठकर खड़े हो सकते हैं। उनको बोलने का अवसर मिलता है। ठीक यही स्थिति नेता विरोधी दल की है, नेता विरोधी दल ने हमारी अनुमति लेकर, हमारी अनुमति के बाद अपनी बात शुरू की है। इसके पहले यदि आपको कोई कठिनाई थी तो यहां पर तमाम अनुसेवक मौजूद हैं, आप हमको पर्ची भेज सकते थे। अपने तरीके से हमारा ध्यान आकृष्ट कर सकते थे। इस प्रकार की पुरानी परम्परा नेता प्रतिपक्ष को अग्रेतर सुना ही जाये, यहां पर माननीय राम गोविन्द जी का सवाल नहीं है। अध्यक्ष की बात मानी ही जायेगी यहां पर हृदय नारायण जी का सवाल नहीं है। इस प्रकार यह कुछ संस्थायें हैं सदन संचालन की उनकी ओर ध्यान देना चाहिये। इस प्रकार आप लोगों को सदन का आनन्द नहीं मिलेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि सदन संचालन में हमारा सहयोग करें और इसमें आनन्द खोजने का प्रयास करें। अब माननीय नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष आप बोलें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आप इस सदन में रहे हैं और उच्च सदन में भी रहे हैं। हमने आपकी आज्ञा से अपनी बात शुरू की थी लेकिन इस सदन की एक यह भी परम्परा है कि जब किसी माननीय सदस्य की व्यक्तिगत कठिनाई हो, अपमानित हुआ हो तो उसकी बात सदन को सुनना चाहिये।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

माननीय अध्यक्ष जी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक मिनट के लिये इन पीड़ित विधायक जी की बात सुन ली जाये उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करूंगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कृपा पूर्वक नेता विपक्ष को अपनी बात पूरी करने के लिये अनुमति दी है वह अपनी बात पूरी कर लें उसके बाद माननीय सदस्य अपनी बात कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल कह रहे हैं कि अगर माननीय सदस्य चाहें तो पहले वह बोल लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल की बात शुरू हो गई है, वह अपनी बात पूरी कर लें उसके बाद माननीय सदस्य अपनी बात कर लेंगे। यदि माननीय नेता विरोधी दल अब बोलना नहीं चाहते हैं तो माननीय सदस्य अपनी बात कर लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष तो अभी बात करना शुरू ही किये थे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष अपनी बात पूरी कर लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष आप बोलिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, हर पार्टी का अपना संविधान होता है, नियमावली होती है उसके अनुसार ही क्षेत्र में अपनी जनता के बीच में काम करती है। पार्टियों में कोई आपसी दुश्मनी नहीं होती है। कार्यक्रम का मतभेद होता है, नीतियों का मतभेद होता है। हम गांधीवादी नीति को चलायेंगे, हम समाजवादी नीति को चलायेंगे, हम दक्षिणपंथी नीति को चलायेंगे, हम साम्यवादी नीति को चलायेंगे और उस नीति के अनुसार हम जनता के सामने जाते हैं और जनता जिसको समर्थन देती है उसकी बहुमत की सरकार बनती है। इसी तरह आप सरकार में आये हैं जो एक बार सरकार में आ जाता है वह समझता है कि हम सरकार में परमानेन्ट हो गये हैं। हम लोग भी सरकार में रहते हुए यह सोच रहे थे कि हम लोग सरकार से नहीं जायेंगे, आप विपक्ष से सत्ता पक्ष में चले गये और हम यहां विपक्ष में आ गये। भले आप कह रहे हों कि मैं विपक्ष में नहीं आऊंगा लेकिन आप भी यहां आ सकते हैं क्योंकि यह तो जनता के ऊपर है। यदि आपके साथ ऐसा व्यवहार हो कि आपके नेता के अपमानित होने पर आपके कार्यकर्ता जब

धरना-प्रदर्शन करें तो उनके ऊपर क्रिमिनल धाराओं में केस दर्ज कर दिया जाये और उनको गिरफ्तार कर लिया जाये, तो क्या यह बात आपको अच्छी लगेगी। इसीलिये एक नये वातावरण और सौहार्द के वातावरण में हमारी समाजवादी पार्टी के संरक्षक और नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी ने आपको बधाई दी जिस पर आप लोग उनका नाम ले रहे हैं और आपने मेजें भी थपथपाईं। यह हमारे संस्कार होते हैं कि कोई कितना ही खराब आदमी होता है लेकिन जब उसकी मृत्यु होने वाली होती है या मृत्यु हो जाती है तो लोग कहते हैं कि चलो ठीक ही था। हमारे नेता मुलायम सिंह यादव को आप अपना सम्बल मान रहे हैं लेकिन उन्हीं के कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमें भी लिख रहे हैं। यह दोतरफा नीति कैसी है। एक तरफ आप मेज थपथपा रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जी ने कह दिया कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बनिये और दूसरी तरफ आप श्री मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकर्ताओं को जेल भी भेज रहे हैं। तो फिर आपकी नैतिकता कहां है। इसलिये माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि आप सख्त निर्देश दे दीजिये कि राजनीतिक कार्यों से धरना-प्रदर्शन करने वाले किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता पर कोई मुकदमा नहीं लिखा जायेगा। हां, यदि धारा-302 या 307 आई0पी0सी0 का अपराध हो तो वह कार्यवाही कौन रोक सकता है लेकिन यदि कहीं पर शान्तिपूर्वक प्रदर्शन होता है तो उस पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिये। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों पर देशद्रोह का मुकदमा कायम हो गया, आंगनबाड़ी कार्यकत्री अनशन पर बैठी थी उन पर देशद्रोह का मुकदमा कायम हो गया। क्या यह सरकार केवल मुकदमें करने वाली सरकार है या फिर जनता को न्याय देने वाली सरकार है। अखबार में छपता है कि श्री योगी जी को भी रोका गया था, संवैधानिक पद पर योगी जी नहीं थे वह माननीय संसद सदस्य थे लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्य मंत्री थे। दोनों में अन्तर है और माननीय पूर्व मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी को सन्त सम्मेलन में भी जाना था जहां सारे अखाड़ा परिषद् के लोगों ने उन्हें अपने आश्रम में बुलाया था। वहां पर पांच हजार लोगों का खाना भी बनाया गया था। उसके बाद उन्हें छात्रसंघ के कार्यक्रम में जाना था। लेकिन अचानक कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि आपने उन्हें वहां नहीं जाने दिया। यदि कोई कार्यकर्ता अपने नेता के अपमानित होने पर धरना-प्रदर्शन करता है तो क्या आप उस पर मुकदमा करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आप हम लोगों के संरक्षक हैं इसलिये आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस पर कड़े निर्देश दीजिये कि जो मुकदमें दर्ज हुए हैं वह तत्काल वापस लिये जाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, सोमवार, मंगलवार और बुधवार तीनों दिन हाऊस नहीं चल सका है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो विषय उठाया है केवल इसी विषय को लेकर दो दिन सदन नहीं चला है। सदन में एक बार जो बात आ चुकी है उसे बार-बार नहीं आना चाहिये। कल भी इस विषय को लेकर समाजवादी पार्टी के तीन सदस्यों ने अपने विचार रखे थे। बसपा के लोग भी इस पर बोले थे लेकिन इसके बावजूद सदन नहीं चलने दिया गया। आखिरकार एक ही

विषय पर कितनी बार चर्चा होगी। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपका कृपापूर्वक संरक्षण चाहते हैं क्योंकि इस सदन की परम्परा रही है और नियमों में भी है कि एक विषय जो सत्र में आ चुका हो वह दोबारा नहीं उठाया जाता है। जिस घटना की यह बात कर रहे हैं और जहां से यह घटना प्रारम्भ हुई है अब मैं उस विषय पर आता हूं। विश्वविद्यालय का जो अधिकृत स्टाफ था उन्होंने वहां पर इनको आने से मना किया था। जिलाधिकारी ने भी शान्तिभंग के अन्देशे को देखते हुए वहां से रिपोर्ट भेजी कि यहां पर शान्ति भंग का अंदेशा हो सकता है क्योंकि छात्र संघ के अध्यक्ष और बाकी पदाधिकारी अलग-अलग विचारधारा के हैं। पहले भी इस प्रकार की घटनायें हुई हैं कि अगर किसी पालिटिकल पार्टी के लीडर को वहां पर बुलाया गया तो वहां पर अशान्ति हुई।

मान्यवर, विश्वविद्यालय परिसर में अशान्ति न हो इसलिये उसे टालने की बात कही गई और समय रहते उनको सूचना भी दे दी गई थी। उन्होंने इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किया कि हमने छात्रसंघ के कार्यक्रम को टाल दिया था। मान्यवर, वह एक बार कुम्भ में स्नान कर चुके हैं और अखाड़ा परिषद् के निमंत्रण पर वह एक बार वहां जा चुके हैं। उन्होंने छात्रसंघ के कार्यक्रम में अप्रत्यक्ष रूप से जाने का मन बनाया था, इसलिये अखाड़ा परिषद् को आगे कर दिया गया। अखाड़ा परिषद् को आगे करके कहा गया कि वह कुम्भ में जा रहे हैं। मान्यवर, कुम्भ एक बार हो चुका है और सारे लोगों ने तथा प्रदेश के सभी लोगों ने उनकी फोटो भी देखी है। अब सवाल यह है कि उसके बाद क्या हुआ ? पुलिस वालों को थप्पड़ मारे गये, बैनर जलाये गये और वहां पर सारे गमले फोड़ डाले गये। मान्यवर, जितनी भी अराजकता हो सकती थी उतनी की गई। कार्यकर्ताओं ने हाथों से थप्पड़ मारे। मान्यवर, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन अराजकता फैलाने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर अराजकता फैलाई जायेगी तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई जरूर होगी और किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं होगी। किसी द्वेष भावना से कार्रवाई नहीं होगी। जो नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य है, और कोई भी व्यक्ति यदि कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। यह सरकार किसी भी अराजकता को तथा किसी भी एसी गतिविधि को बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं है जो नियमानुसार नहीं है, इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी कुछ हुआ है वह नियमों के अन्तर्गत हुआ है। जब पहले उधर से पत्थरबाजी शुरू हुई और पुलिस वालों को जब थप्पड़ मारे गये, बैनर जलाया गया, गमले फेंके गये उसके बाद हल्का फोर्स इस्तेमाल किया गया ताकि स्थिति और बेकाबू न हो पाये। मान्यवर, पूरी तरह से शान्ति को बनाये रखने के लिये हल्का फोर्स का इस्तेमाल किया जाता रहा है और इस प्रकार की परम्परायें भी रही हैं। मान्यवर, कल भी इसी बात के लिये सदन स्थगित हुआ था। जहां तक मा0 नेता जी का सवाल है यहां से लेकर वहां तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो नेता जी का सम्मान न करता हो। मान्यवर, व्यक्तिगत रूप से विचारधारा की बात अलग थी, लेकिन आज लोकसभा में जो वक्तव्य दिया गया है उसकी चर्चा तो पूरे देश में है (सत्ता

पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)। अगर चर्चा यहां हो रही है तो उसमें कौन सी आफत आ गई ? उन्होंने तो सच्चाई का बखान किया है। उन्होंने अपनी एक दिली भावना व्यक्त की है और हम आप लोगों का भी स्वागत करते हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना चाहते हैं तो हम सबका स्वागत करते हैं। मान्यवर, यह अच्छी बात है कि ऐसा व्यक्ति जिसने साढ़े चार साल में इस देश को मान-सम्मान दिलाया और हर प्रकार से इस देश को आगे बढ़ाने में उनकी कार्यशैली आई ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिये।

(श्री अजय कुमार लल्लू तथा श्री लाल जी वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

इस पर कोई चर्चा नहीं है।

(व्यवधान के मध्य सत्ता पक्ष के श्री उमेश मलिक के खड़े होकर बोलने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आप उचित समझें तो मा0 सदस्य को सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

यही विषय है क्या ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी सदन में असत्य प्रयास कर रहे हैं। हमारे मा0 राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने छात्रसंघ के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था। अखाड़ा परिषद् के बुलावे पर वह जा रहे थे। उसके बाद उनको रोका गया और उनको छोटे अधिकारियों के माध्यम से रोका गया। जब जहाज पर वह चढ़ रहे थे।

श्री अध्यक्ष-

आपका विचार आ गया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, विचार तो आ गया है, लेकिन आप कृपापूर्वक इस देश के राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर क्रिमिनल धाराओं में जो केस किये जा रहे हैं आप उस पर निर्देश दें कि सरकार तत्काल उसको वापस लेने की घोषणा करें। मान्यवर, यह मामूली बात नहीं है। यह सरकार तो अंग्रेजों से भी ज्यादा निरंकुश हो गई है। हम क्या मानेंगे आजाद हिन्दुस्तान में। जो धरना-प्रदर्शन करेगा उस पर क्रिमिनल धाराओं में मुकदमा होगा। यही राजनैतिक वातावरण है।

श्री अध्यक्ष-

आप सरकार से क्या जानना चाहते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हम आपसे जानना चाहते हैं। मैं सरकार को तो जान ही रहा हूं कि क्या है। आप सर्वोच्च आसन पर विराजमान हैं। आप हमारे संरक्षक हैं सदन के संरक्षक हैं। सभी पार्टी के विधायकों के संरक्षक हैं। सरकार तो कभी न्याय करेगी ही नहीं। आपसे मैं यह चाहता हूं कि आप स्वयं सख्त निर्देश दें कि पूरे प्रदेश में जो फर्जी मुकदमा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कायम किये गये हैं उसको सरकार तत्काल वापस ले। यह मैं आपसे प्रार्थना करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप सरकारी वक्तव्य से संतुष्ट हैं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

नहीं।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(श्री लाल जी वर्मा के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

पहले इस विषय को समाप्त कर दें। वर्मा जी चर्चा तो हो नहीं रही है। 03 दिन से यही विषय चल रहा है और सदन का अन्य कार्य बाधित हो रहा है। जहां तक मुकदमों का प्रश्न है सरकार का पक्ष आ गया है। जो मुकदमें दर्ज हुए हैं उनकी विवेचना होगी। आप सब जानते हैं कि मुकदमों के दर्ज किये जाने के बाद विवेचना होती है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी सरकार को तो हम जानते हैं कि जो आजादी की लड़ाई में जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और उस समय इनका जो मातृ संगठन है आर0एस0एस0 वह स्पष्ट कहा था कि देश के बाहरी दुश्मनों से हमारी लड़ाई नहीं है। देश के अन्दर दुश्मनों से लड़ाई है। यह तो उनके सिखाये हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। यह अंग्रेज से भी अधिक निरंकुश हैं। अंग्रेज से भी अधिक प्रताड़ित करने वाले लोग हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इनसे कहिये कि मुकदमें वापस लें।

श्री अध्यक्ष-

सारे मुकदमें तो विवेचनाधीन हैं।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आ गये और नारेबाजी करने लगे कि दर्ज मुकदमें वापस लो, वापस लो। जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

अब नियम-301 की सूचनाएं लेते हैं।

(श्री उमेश मलिक के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

अभी आपको बुलाते हैं। आप अपनी सीट पर बैठ जायें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, यह सरकार स्पष्ट घोषणा करे कि मुकदमें वापस ले रही है।

श्री अध्यक्ष-

अब यह विषय समाप्त हो गया है। मैं अगला विषय लेने जा रहा हूं। इस विषय पर आगे कोई चर्चा नहीं होगी।

[12:43] प्रमुख सचिव सहकारिता द्वारा श्री उमेश मलिक, सदस्य, विधान सभा को समुचित प्रोटोकाल न दिये जाने सम्बन्धी उनके द्वारा व्यवस्था के अन्तर्गत उठाया गया प्रकरण

श्री उमेश मलिक-

मान्यवर, मैं अपने साथियों के साथ सहकारिता के जो प्रमुख सचिव हैं उनके कार्यालय में पहुंचा। कार्यालय में जाने के बाद न तो उन्होंने बैठने के लिये कहा, न पानी पूछा। जो सहकारिता के प्रमुख सचिव हैं वह जिला मुजफ्फरनगर के नोडल अधिकारी भी हैं। मैंने जिले के विकास कार्यों की चर्चा करनी चाही। मान्यवर, उन्होंने विकास की कोई चर्चा नहीं की। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि जो मा0 मंत्री के द्वारा लेटर पैड पर आपको निर्देश किये गये हैं वह आपके पास है कि नहीं है। रेड्डी जी ने कहा कि यह कार्य हमारा है हम स्वयं देख लेंगे। आप अपना कार्य करिये। इस पर मैंने कहा कि भइया मैं मुजफ्फरनगर का विधायक हूं। मैं अपने विकास कार्यों की चर्चा कर सकता हूं। मा0 मंत्री जी ने कोई पत्र भेजा है उसके बारे में पूछ सकता हूं। उन्होंने कहा कि नहीं। सरकार आती रहती है जाती रहती है। विधायक बहुत आते हैं बहुत जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई।

(घोर व्यवधान जारी)

श्री उमेश मलिक-

मान्यवर, उसी समय वहां के एडिशनल रजिस्ट्रार पहुंच गये। उन्होंने कहा कि होंगे आप विधायक, जाईये यहां से।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाईये, आपकी बात हो गई है। आप अपनी बात मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को बता दीजिये।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ वेल में आ जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यों से अनुरोध है कि वह अपने-अपने आसन पर बैठ जायें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, यह लोग सदन नहीं चलाना चाहते हैं। आज चौथा दिन है और एक ही विषय पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार एवं बृहस्पतिवार से बहस हो रही है। आखिरकार यह प्रदेश को क्या सन्देश देना चाहते हैं ? अगर यही स्थिति रही तो फिर बहस करने की क्या जरूरत है ?

(वेल में मौजूद विपक्ष के सदस्यों द्वारा ''फर्जी मुकदमें वापस लो-वापस लो'' आदि नारे लगाने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन की कार्यवाही 40 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही 40 मिनट के लिये स्थगित कर दी।)

(01 बजकर 25 मिनट पर मार्शल, विधान सभा ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 01 बजकर 40 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है।)

(01 बजकर 40 मिनट पर मार्शल, विधान सभा ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 02 बजकर 10 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है।)

(02 बजकर 10 मिनट पर मार्शल, विधान सभा ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 02 बजकर 15 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है।)

(02 बजकर 15 मिनट पर मार्शल, विधान सभा ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 02 बजकर 20 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है।)

(02 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ घटित घटना का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दर्ज मुकदमें वापस कराये जाने की मांग (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश के हर जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आज यह सरकार फर्जी मुकदमें कायम करा रही है। ये सरकार तानाशाह है। अंग्रेज जब राज करते थे, आजादी की लड़ाई चल रही थी। अगर कोई धरना-प्रदर्शन कर देता था तो अंग्रेजों की चूल हिलने लगती थी। हमको लगता है कि यह सरकार अंग्रेजों को भी पार कर गई है। इनको पता ही नहीं कि कभी विपक्ष में भी रहे हैं। इतना दमन कभी किसी सरकार ने नहीं किया जितना

यह सरकार कर रही है। मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूं कि एक बार पुनः आप सरकार को निर्देशित करें कि जो फर्जी मुकदमें कायम किये गये हैं, सरकार उसको वापस ले।

श्री अध्यक्ष-

इस विषय पर सरकार का उत्तर आ गया है।

***श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, इसी सदन में राजनीतिक लोगों पर जो मुकदमें कायम थे, उसको वापस लेने के लिये विधेयक पास किया गया तो मान्यवर, आज क्या कारण है कि जो राजनीतिक लोग हैं, धरना-प्रदर्शन किये हैं, उनके खिलाफ अगर पूरे प्रदेश में इस तरह के आपराधिक मुकदमें कायम हुए हैं। धरना-प्रदर्शन करने का मुकदमा कायम हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपराधिक धाराओं में अगर मुकदमें कायम हैं तो मान्यवर आपका संरक्षण चाहिये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को भी यह कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिये कि राजनीतिक लोगों के ऊपर एम0एल0ए0, एम0एल0सी0 या दूसरे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के ऊपर जो इस तरह की आपराधिक धाराओं में मुकदमे हैं, उसको हमारे सदन की भावना थी, इसीलिये हम लोगों ने वापस लिया और सर्वसम्मति से वापस लिया गया था उस विधेयक को पास भी किया गया था। अगर सर्वसम्मति से पास किया गया था तो आज भी उसी तरह से सहृदयता का परिचय देते हुए मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री से चाहूंगा कि वो इस इस बात से सदन को आश्वस्त कर दें कि निश्चित रूप से इस तरह के जो मुकदमें आपराधिक धाराओं में हैं, उसको हम वापस करायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आ गया विषय, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, 20 साल हम अपोजीशन में रहे। अपोजीशन से ही यहां विधान सभा में आये थे।

श्री लाल जी वर्मा-

20 साल कहां रहे आप ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हम भी तो रहे अपोजीशन में। अध्यक्ष जी, 77 से लेकर 91 तक हम भी विपक्ष में ही रहे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री अपने विरोधी पक्ष में रहने के अनुभव बता रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हमको विरोध में रहने का खूब अनुभव है और जो भी सदाशयता आपने सत्ता में रहते हुए दिखाई उसका भी अनुभव हमारे पास है। सदाशयता को हम जीवन में कभी भूल नहीं पायेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक लीगल प्रॉसेस है। अगर कोई व्यक्ति अराजकता करेगा, किसी भी प्रकार से कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाता है और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद उसकी विवेचना होती है और जो दोषी होते हैं उनके खिलाफ चार्जशीट लगती है और जो निर्दोष होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। यही प्रक्रिया इसमें भी होगी। हम कोई निर्दोष व्यक्ति को फंसाने नहीं जा रहे, न हमारी इस प्रकार की कोई मंशा है कि हम निर्दोषों को फंसाये। लेकिन मान्यवर, घटना शुरू कहां से हुई। पुलिस को जिनकी रक्षा की जिम्मेदारी मिली है, उनको थप्पड़ मारा गया, पत्थरबाजी की गई, बैनर जलाया गया, गमले फेंके गये और मान्यवर, कल हम अपनी उस बात को बता चुके हैं, उसको हम दोहराना नहीं चाहते। मान्यवर, 3 दर्जन केले और संतरे का ठेला लूट लिया गया और एक पंडित जी वाली बात हम बार-बार बताना नहीं चाहते। यह लोग बार-बार समझेंगे कि हम वो कर रहे हैं। यह बिल्कुल सही है आप कहिये तो हम पंडित जी का नाम बता दें। पंडित दरसागर से हम टेलीफोन से आपकी बात भी करा देंगे। वह परसों रात में बोले कि खन्ना जी तुम्हारी सरकार में हमरे साथ यही हुइये। अब आगे क्या हुआ उसे हम दोहरायेंगे नहीं, उसे हम कल बता चुके हैं। ऐसा ही हुआ, हम बात करा देंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में कानून को अपने हाथ में लेगा तो कानून की हिफाजत करना, कानून को शान्ति व्यवस्था कायम रखना और हर हाल में अराजकता पैदा न होने देना, यह सरकार के ऊपर मैनडेट इसी बात का मिला हुआ है। उस सरकार की सबसे बड़ी असफलता यही थी कि इनकी कानून व्यवस्था लचर थी, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी, पूरा जंगलराज हो गया था।

(विपक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर व्यवधान)

आज पूरी तरह से है, आप पब्लिक परसेप्शन देख लें। किसी चौराहे पर खड़े होकर आप पूछ लें। पब्लिक परसेप्शन से बड़ा कोई मापदण्ड नहीं होता। पब्लिक परसेप्शन यह है कि यह सरकार एक हजार गुना समाजवादी पार्टी सरकार से अच्छी है। जो भी घटना पैदा हुई, आज चौथा दिन है जब हाउस व्यवस्थित रूप से चल नहीं पाया और हम यह चाहते हैं कि हाउस चले और सभी लोग चाहते हैं। लेकिन यह लोग मन बनाकर आते हैं कि किसी न किसी रूप में हाउस को डिस्टर्ब करना है। हमारी सरकार किसी भी निर्दोष आदमी के खिलाफ

कार्यवाही करने में किसी भी प्रकार पक्षधर नहीं है। यह सरकार की छवि भी है और यही पब्लिक परसेप्शन भी है कि हम हर तरीके से कानून व्यवस्था को मेन्टेन रखना चाहते हैं। जो दोषी हों वह सजा पाये और जो निर्दोष हों, वह स्वतंत्र हैं उनको किसी प्रकार से नुकसान न हो यह हमारी नीति है और इसी नीति पर हम चल रहे हैं। मान्यवर, जो भी मुकदमें कायम हुए हैं, उन पर गुण-दोष के आधार पर विवेचना होगी और विवेचना के आधार पर अगर किसी ने अपराध किया होगा तो वह सजा पायेगा। यदि नहीं किया होगा तो यह सरकार निर्दोष को जेल भेजने के लिये नहीं हैं और किसी को भेजा भी नहीं। आप लोग भले ही यहां कहें। यह बता दें कि कितने लोग जेल में हैं, कोई जेल में नहीं है। जितना उत्पात और अराजकता इन लोगों ने फैलाई जनता तो इनके साथ ही नहीं। किसी का ठेला लुट गया, किसी का खुन्चा लुट गया, वही लोग इनके पीछे चले आये। हम पहले भी कह चुके हैं और मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विषय को अगर आगे बढ़ायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब नियम-301 की सूचनायें लेते हैं।

(श्री राम गोविन्द चौधरी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, पूरा विषय आ गया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

सर, एक मिनट। संसदीय कार्य मंत्री जी इतना बड़ा भाषण दे गये, बहुत बड़ा भाषण दिये, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। विपक्ष में पिछली बार थे, तो इनका चरित्र आन्दोलन का नहीं है। चरित्र ही नहीं है, न संघर्ष का चरित्र है, तो बहुत सोच-समझ कर जब चुनाव नजदीक आया तो इन लोगों ने अपने दफ्तर से एक प्रदर्शन निकाला।

श्री अध्यक्ष-

यह विषय कितनी देर चलायेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, जब लाठीचार्ज नहीं हुआ तो यह लोग सोचें कि हमारा तो अखबार में आयेगा ही नहीं, तो विधान सभा का गेट तोड़ डाले, इसी विधान सभा का। यह गवाह है, उसमें यह थे। तो हल्का बल प्रयोग करके इन लोगों को वापस भेजा गया। क्या आप पर इसमें मुकदमा हुआ, आप उसमें मुल्जिम हैं ?

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप बैठिये, आप बीच में क्यों खड़े हो जाते हैं, जब आप बोल रहे थे तो मैं खड़ा नहीं था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रदेश की जितनी गलत सूचनायें हैं, सब आपके पास हैं। (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

श्री अध्यक्ष-

चौधरी जी, अब समाप्त करिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं समाप्त करता हूं लेकिन यह सरकार जॉलिम है, राजनीतिक द्वेष की भावना रखती है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को दबाना चाहती है। दोनों के गठबन्धन से इनका दिमाग फेल हो चुका है। जब हमारे पास जनता नहीं है तो प्रदर्शन में मुकदमा किस पर कायम कर रहे हो ? हर जिले में मुकदमें कैसे कायम हो रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

चलिये, अब हो गया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इस जॉलिम सरकार, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार, जनतंत्र की हत्यारी सरकार, संविधान की हत्यारी सरकार के खिलाफ हम सदन से दिन भर के लिये वाकआउट करते हैं।

(तत्पश्चात् समाजवादी पार्टी के सदस्य ''फर्जी मुकदमें वापस लो-वापस लो'' के नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री अध्यक्ष

तो कितनी देर के लिये जा रहे हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, हमारा दल भी सदन का बहिर्गमन करता है।

(तत्पश्चात् बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य भी सदन से बहिर्गमन कर गये।)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-301 की सूचनाएं लेते हैं। इसमें 39 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं जिसमें से 20 सूचनाएं स्वीकृत हुईं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

(समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्यों के सदन से बहिर्गमन करते समय)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग 301 की सूचनाओं को सुनकर जाइये, नहीं तो घाटा हो जायेगा। आप थोड़ी देर रुके रहिये, रामगोविन्द चौधरी जी को कहने दीजिये, आप थोड़ी देर रुके रहिये। सभी 20 स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी मानी जाती है। शेष सूचनाएं अस्वीकृत की गई।

पहली सूचना डा0 जी0 एस0 धर्मेश की आगरा कैन्ट में आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से बयाना कोटा रेलवे मार्ग पर बारहखम्भा रेलवे फाटक पर आर0ओ0बी0 बनाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री धनन्जय कन्नौजिया की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड के अन्तर्गत ग्राम सभा भीमपुरा को विकास खण्ड के रूप में सृजित कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी की जनपद कुशीनगर अन्तर्गत वर्ष 2004 में मैत्रेय परियोजना से सम्बन्धित की गयी भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा अन्तर्गत गजरौला में ट्रामा सेन्टर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में विद्युत के जर्जर तारों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में है, छठीं सूचना श्रीमती लीना तिवारी की जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मड़ियाहू, रामपुर और रामनगर के कतिपय मार्गों की मरम्मत एवं निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री नफीस अहमद की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महाराजगंज तहसील सगड़ी में ग्राम सभा देवारा हरखपुरा (कटान बाजार) में पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की सी0एम0ओ0, सम्भल कार्यालय में प्रकरण को दबाये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर के अन्तर्गत महमूदाबाद रेउसा बहराइच मार्ग स्थित शारदा सहायक नहर पर डबल पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगौही के ग्राम हमजापुर में बिजली के तार गिरने से हुई भैंस की मृत्यु का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री आलमबदी की जनपद आजमगढ़ के निर्माण खण्ड-2 के अन्तर्गत 20 अदद व्यापार विकास निधि योजना के तहत 2016-17 की स्वीकृत निर्माणाधीन पिच मार्गों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री कपिल देव अग्रवाल की जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ रोड सिटी पेट्रोल पम्प के नेशनल हाई-वे 58 के पुल के नीचे सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री रितेश पाण्डेय की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भियाँव अन्तर्गत नेवादा-कला चौराहा से जैतपुर सोसाइटी तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत बेवान कुर्चा रोड की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री संजय गर्ग की जनपद सहारनपुर के ग्राम मिरगपुर में स्थित बाबा फरीका दास मन्दिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री अजय

कुमार लल्लू की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के ग्राम नुनिया टोला में अधूरे पड़े मिनी सचिवालय को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री नरेश सैनी की जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत सहारनपुर देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर कस्बा गागालेड़ी में मुख्य तिराहे पर क्षतिग्रस्त महात्मा ज्योतिबाफूले चौक व मूर्ति के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री जटाशंकर त्रिपाठी की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में गरीब मुसहर परिवार व अन्य दलित गरीब लोगों की भूमि को दबंग भू-माफियाओं के अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वसुन्धरा इन्क्लेव आवासीय योजना का मण्डलायुक्त द्वारा जांच के उपरान्त कार्यवाही न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है तथा बीसवीं सूचना श्री पल्टूराम की बलरामपुर सदर के अन्तर्गत सुआव नाला की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गई :-

श्री पूरन प्रकाश, श्री सीताराम, श्री राम प्रताप सिंह, श्री कृष्णपाल मलिक, डा0 संगीता बलवन्त, श्री असलम अली, श्री अजय सिंह, श्री धर्मेन्द्र शाक्य, श्री बम्बा लाल, श्री वीरेन्द्र यादव, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री पारसनाथ यादव, श्री धर्मराज सिंह उर्फ सुरेश यादव, श्री आजाद अरिमर्दन, डा0 हर गोविन्द, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री मसूद अख्तर, डा0 अनीला लोधी राजपूत तथा श्री देवेन्द्र कुमार मिश्र।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी)

आगरा कैण्ट में आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से बयाना कोटा रेलवे मार्ग पर बारहखम्भा रेलवे फाटक पर आर0ओ0बी0 बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 जी0 एस0 धर्मेश-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र आगरा कैण्ट में आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से बयाना कोटा रेलवे मार्ग पर बारहखम्भा रेलवे फाटक पर पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। यह समस्या काफी पुरानी है। जाम की उक्त समस्या के स्थाई समाधान के लिये सदर तहसील से ईदगाह रेलवे लाइन के ऊपर से एक आर0ओ0बी0 बनाया जाना प्रस्तावित है। उक्त आर0ओ0बी0 बनाने हेतु डी0आर0एम0 आगरा द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी दिया जा चुका है तथा 65 करोड़ की डी0पी0आर0 बन चुकी है तथा मुख्य अभियन्ता सेतु पी0डब्लू0डी0, उ0प्र0 के अधीन है। जनहित में इस समस्या के स्थाई समाधान हेतु 65 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर आर0ओ0बी0 बनाया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त स्थान पर आर0ओ0बी0 निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड के अन्तर्गत ग्राम सभा भीमपुरा को विकास खण्ड के रूप में सृजित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धनन्जय कन्नौजिया-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 357-बेल्थरा रोड जनपद बलिया के विकास खण्ड नगरा के अन्तर्गत ग्राम सभा भीमपुरा को नये विकास खण्ड के रूप में सृर्जित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। जैसा कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा विकास खण्ड नगरा है। जिसके सुदूर ग्राम सभाओं की दूरी 25 किमी0 से अधिक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये ग्राम सभा भीमपुरा को नये विकास खण्ड के रूप में सृर्जित किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर अन्तर्गत वर्ष 2004 में मैत्रेय परियोजना से सम्बन्धित की गयी भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में वर्ष 2004 में मैत्रेय परियोजना से सम्बन्धित की गयी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वापस लेते हुये भूमि का मालिकाना हक कायम रखने हेतु स्थानीय जनता द्वारा निरन्तर संघर्ष एवं प्रदर्शन किया जाता रहा है। आम जनमानस में इस कारण भारी आक्रोश व्याप्त है। उक्त अध्यादेश वापस किया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा अन्तर्गत गजरौला में ट्रामा सेन्टर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव तरारा-

[महोदय, मेरी विधान सभा में गजरौला नगर नेशनल हाइवे 9 (पुराना-24) पर स्थित है। यहां पर दर्जन भर से अधिक फैक्ट्रियां है। यह मुरादाबाद व हापुड़ के बीच एन0एच0 9 एवं सम्भल व बिजनौर के बीच एस0एच0 51 पर स्थित है। वाहनों का अधिक आवागमन व फैक्ट्रियों में अक्सर एक्सीडेन्ट होते रहते है। सही समय पर उपचार न मिलने के कारण अक्सर मौतें होती रहती हैं। जनहित में गजरौला नगर में ट्रामा सेन्टर स्थापित किया जाना आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये गजरौला नगर में ट्रामा सेन्टर स्थापित किये किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में विद्युत के जर्जर तारों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[महोदय, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा रसड़ा के कतिपय निम्न ग्रामों में आजादी के बाद विद्युतीकरण किया गया था 50-60 वर्षों पूर्व लगे तार काफी जर्जर हो चुके हैं और इनसे यहां पर अक्सर विद्युत दुर्घटनायें कारित हो रही है जिससे जन धन का भारी नुकसान हो रहा है जिससे जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त हैं।

रसड़ा ब्लाक - कोटवारी बीच बाजार, नगहर मुस्लिम बस्ती, कुरेम, मंदा नागपुर मेन गांव एवं प्रधानपुर का लोहाबर।

चिलकहर ब्लाक - चिलकहर मेन गांव, संवरा मेन गांव, टीकादेवरी मेन गांव, औंदी मेन गांव, डुमरी मेन गांव एवं उचेड़ा।

नगरा ब्लाक - देवढ़िया, मलप, सराय चावट, छतरपुरा, तियरा दलित बस्ती, सिसवार, कोदई एवं उरैनी।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर रसड़ा विधान सभा अन्तर्गत उपरोक्त ग्रामों में लगे जर्जर विद्युत पोलों एवं तारों को हटाते हुये केबिल द्वारा विद्युतीकरण कराये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मड़ियाहू, रामपुर और रामनगर के कतिपय मार्गों की मरम्मत एवं निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत

श्रीमती लीना तिवारी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं जनपद जौनपुर के अन्तर्गत निम्न सड़कें काफी जर्जर हो चुकी हैं। लगभग 20 वर्षों से निम्न सड़कों की मरम्मत नहीं करायी गयी है। सड़कों में बड़े-बड़े गड्ढ़े हो जाने के कारण कई दुर्घटनायें हो चुकी है, जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं। सड़कों की मरम्मत न होने से क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1-विकास खण्ड-मड़ियाहूं, ग्राम शीतलगंज से देल्हुपुर होते हुये शुदनीपुर तक विशेष मरम्मत, ल0-2.5 किमी0।

2- विकास खण्ड-मड़ियाहूं, मड़ियाहूं मछलीशहर मुख्य मार्ग से मईडीह सम्पर्क मार्ग तक विशेष मरम्मत, ल0-3 किमी0।

3-विकास खण्ड-रामपुर, जैसिंहपुर भट्टा से महशियां मार्ग तक विशेष मरम्मत, ल0-2.5 किमी0।

4-विकास खण्ड-रामनगर, ग्राम होरैंया गोदाम से जीरापुर नहर (कुतूपुर) तक विशेष मरम्मत, ल0-3 किमी0।

5-विकास खण्ड-रामनगर, ग्राम कसिंयाव प्रा0वि0 से जवंशीपुर होते हुये जमालापुर सरकारी अस्पताल तक विशेष मरम्मत, ल0-4 किमी0।

6-विकास खण्ड-रामपुर, रामपुर से कठवत्तिया होते हुये मुरापुर तक विशेष मरम्मत, यह मार्ग वाराणसी जनपद को जोड़ता है। ल0-18 किमी0।

7-विकास खण्ड-रामपुर, रामपुर से सेमुही बाजार से आशापुर होते हुये दूबेपुर तक विशेष मरम्मत, ल0-16 किमी0।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये जनहित में मेरे विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं जनपद जौनपुर में उपरोक्त सड़कों की विशेष मरम्मत कराये जाने की मांग करती हूं।)

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महाराजगंज तहसील सगड़ी में ग्राम सभा देवारा हरखपुरा (कटान बाजार) में पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नफीस अहमद-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड महाराजगंज, तहसील सगड़ी में ग्राम सभा देवारा हरखपुरा, गंगा सिंह की छावनी, रामाश्रय यादव की बस्ती होते हुये प्राइमरी पाठशाला के समीप हरिजन बस्ती एवं प्रजापति बस्ती मोड़ तक पिच रोड का निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। जिसकी लम्बाई लगभग 1500 मीटर है। क्योंकि उक्त रास्ते पर पिच रोड न होने के कारण बारिश में रास्ते में कचड़ा व पानी भर जाता है जिससे आम जनमानस को आवागमन में काफी परेशानी होती है। इस पिच रोड के बन जाने से लोगों के आने-जाने में सुविधा हो जायेगी। यह लोक महत्व का विषय है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये उपरोक्त रोड के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।]

सी0एम0ओ0, सम्भल कार्यालय में प्रकरण को दबाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से गम्भीर विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सी0एम0ओ0, सम्भल के पत्र संख्या-12223 दिनांक 05-04-2018 के सन्दर्भ में जांच कराने का अनुरोध किया गया था, जो दिनांक 07 अप्रैल, 2018 के सन्दर्भ में जांच आख्या अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सम्भल/अध्यक्ष, जांच समिति व अन्य लोगों द्वारा सी0एम0ओ0, सम्भल को दिया गया है। परन्तु उसमें लिप्त लोगों द्वारा प्रकरण को दबाने की कार्यवाही हो रही है और सी0एम0ओ0, सम्भल के यहां कार्रवाई लम्बित पड़ी है। इस प्रकरण में करोड़ों का घोटाला हुआ है। गबन की राशि की रिकवरी किया जाना आवश्यक है। इतने बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है और जनहित से जुड़ा हुआ विषय है, जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये उपरोक्त प्रकरण पर सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत महमूदाबाद-रेउसा-बहराइच मार्ग स्थित शारदा सहायक नहर पर डबल पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद सीतापुर के अन्तर्गत महमूदाबाद-रेउसा-बहराइच मार्ग पर स्थित शारदा सहायक नहर पर वर्ष 1972 में सिंगिल लाइन का पुल बनाया गया था। ट्राफिक बढ़ने के कारण 24 घण्टे इस पर जाम लगा रहता है। जाम की समस्या को देखते हुये डबल पुल बनाये जाने की आवश्यकता है। जनहित की समस्या को देखते हुये उक्त कार्य को कराया जाना है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये उपरोक्त पुल को चौड़ा/डबल निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के ग्राम हमजापुर में बिजली के तार गिरने से हुई भैंस की मृत्यु का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद-शाहजहांपुर के 133, तिलहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वि0ख0 निगोही के ग्राम हमजापुर, निवासी खुशीराम पुत्र छोटेलाल की भैंस 30-06-2014 को व राजकुमार पुत्र गनपति, निवासी ग्राम निगोही जाति भड़भुजा की भैंस दिनांक 27-04-2018 को तथा वि0ख0 तिलहर के ग्राम रूजवारी निवासी सुरेन्द्र पाल पुत्र बृजपाल की भैंस की 21-01-2018 को बिजली के जर्जर लटकते तारों की चपेट में आकर मृत्यु हो गयी थी, जिसकी सूचना बिजली विभाग के जनपद मुख्यालय पर दे दी गयी थी और पशुधन विभाग द्वारा पोस्टमार्टम भी कराया गया, लेकिन अभी तक उपरोक्त लोगों को सम्बन्धित विभाग द्वारा मुआवजा नहीं दिया गया है। मेरे द्वारा कई बार शासन-प्रशासन को इन गरीब व असहाय लोगों को आर्थिक सहायता दिलाये जाने का निवेदन किया गया, परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गयी। जनहित में खुशीराम व राजकुमार व सुरेन्द्र पाल को आर्थिक सहायता दिलाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मै आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के निर्माण खण्ड-2 के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माणाधीन पिच मार्गों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलमबदी-

[महोदय, उपरोक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा मा0 लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान जनता की अति जटिल उपरोक्त समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।

यह सड़कें मेन रोड से सम्बन्धित 20 अदद गांव को जोड़ने के लिये निर्माणाधीन हैं। रास्ते में फैली गिट्टियों के कराण बच्चे और बच्चियों को स्कूल जाने और आने में अति कठिनाइयों को झेलना पड़ रहा है। लेपन न होने के कराण गांववासियों को सड़क तक चलकर आना व जाना कठिनाइयों का सबब बना हुआ है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आपसे निवेदन है कि जनता की कठिनाइयों को देखते हुये कृपया इसका जल्द से जल्द समाधन कराने का कष्ट करें।

हम इसके लिये आपके आभारी रहेंगे।]

जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ रोड सिटी पेट्रोल पम्प के नेशनल हाई-वे-58 के पुल के नीचे सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कपिल देव अग्रवाल-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर के जानसठ रोड सिटी पेट्रोल पम्प के पास से नेशनल हाई-वे-58 के पुल के नीचे तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है। उक्त क्षेत्र में जनपद का ट्रान्सपोर्टनगर होने के कराण उक्त मार्ग पर भारी दबाव बना रहता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भियांव अन्तर्गत नेवादा-कलान चौराहा से जैतपुर सोसाइटी तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रितेश पाण्डेय-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

अवगत कराना है कि जनपद-अम्बेडकरनगर के जलालपुर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड-भियांव के अन्तर्गत नेवादा-कलान चौराहा से जनता इण्टर कालेज, पाण्डेय पुरवा होते हुये जैतपुर सोसाइटी तक का मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। स्कूली बच्चों के साथ किसानों को भी अपने उर्वरक, बीज आदि सोसाइटी से ले जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त मार्ग पर भारी यातायात का दबाव बना रहता है। उक्त मार्ग के निर्माण कार्य हेतु अनेकों बार सम्बन्धित विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुयी है, जिससे क्षेत्रीय जनता/किसानों में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है। स्थिति विस्फोटक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये सरकार से कार्रवाई/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत बेवाना कुर्चा रोड की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर-

[महोदय, जिला-अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र 281, अकबरपुर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत बेवाना-कुर्चा रोड से ग्राम सभा हुसैनपुर सकरवारी (पक्खनपुर) चौहान बस्ती तक (ल0 लगभग 2.0 कि0मी0) की सड़क अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है, जिससे क्षेत्री जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त/जर्जर मार्ग का पिच निर्माण कराये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया गया है परन्तु अभी तक क्षतिग्रस्त/जर्जर सड़क का पिच निर्माण नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।]

जनपद सहारनपुर के ग्राम मिरगपुर में स्थित बाबा फकीरादास मन्दिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग-

[महोदय, इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद सहारनपुर की देबबन्द तहसील के ग्राम मिरगपुर के समस्त निवासी पिछले 500 वर्षों से बाबा फकीरादास जी को अपने पूर्वजों के द्वारा दिये गये वचन का पालन करते हुये प्याज, लहसुन, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू से बनी कोई वस्तु अण्डा, मांस, मछली, और मदिरा का सेवन नहीं करते है। समस्त ग्रामवासी बाबा फकीरदास जी द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने वाले हैं। गांव में बाबा फकीरादास जी का मन्दिर स्थित है, जिस पर पूरे वर्ष श्रद्धालु, भक्तजन अनेक राज्यों से आकर अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर प्रसाद चढ़ाते हैं।

अतः इस अति लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये शासन से मांग करता हूं कि ग्राम मिरगपुर में स्थित बाबा फकीरादास के मन्दिर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, समाजिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक महत्व को देखते हुये शासन को निर्देशित करने का कष्ट करें कि इसे पर्यटक स्थल घोषित कर विकसित करने की कृपा करें।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के ग्राम नुनिया टोला में अधूरे पड़े मिनी सचिवालय को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार लल्लू-

[महोदय, जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज जनपद कुशीनगर में दशहवा ग्राम सभा के थाना बरवापट्टी के ग्राम नुनिया टोला में एक मिनी सचिवालय का निर्माण वर्ष 2010-11 में श्रम विभाग द्वारा करवाया गया था, जिसके ठेकेदारों द्वारा उक्त कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया जो आज तक अधूरा पड़ा है। सूचनादाता के पत्र सं0-361, दिनांक 21 जनवरी, 2019 द्वारा उक्त के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है। अतः जनहित में ग्राम नुनिया टोला के मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाना आवश्यक है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये तत्काल ग्राम नुनिया टोला में मिनी सचिवालय के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत सहारनपुर-देहारदून राष्ट्रीय राजमार्ग पर कस्बा गागालेडी में मुख्य तिराहे पर क्षतिग्रस्त महात्मा ज्योतिबाफुले चौक व मूर्ति के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेश सैनी-

[महोदय, अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत सहारनपुर-देहारदून राष्ट्रीय राजमार्ग पर कस्बा गागालेडी में मुख्य तिराहे पर लगभग 20 वर्ष पूर्व लोक निर्माण विभाग द्वारा महात्मा ज्योतिबाफुले चौक का भव्य निर्माण कराकर महात्मा ज्योतिबाफुले की मूर्ति को स्थापित किया गया था। उक्त चौक को दिनांक 30-11-2018 को एक अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार कर पूर्णतया क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिससे चौक पर बनी छतरी, रेलिंग आदि पूर्णतया क्षतिग्रस्त होकर गिर गयी थी।

इस सम्बन्ध में समय-समय पर जिला सैनी सभा सहारनपुर व अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा जिला प्रशासन सहारनपुर को प्रार्थना-पत्र के माध्यम से ज्ञापन तथा अन्य संचार के साधनों द्वारा अवगत करा दिया है परन्तु प्रशासन द्वारा इसके पुनः निर्माण हेतु कोई कार्यवाही अभी तक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नहीं हुयी है। क्षेत्र में भ्रमण के दौरान जनप्रतिनिधियों को जनता के जवाबदेही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। **उल्लेखनीय है कि उक्त के सम्बन्ध में मैं स्वयं जिलाधिकारी, सहारनपुर से मिलकर व पत्र व्यवहार द्वारा तथा प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ को व्यक्तिगत व पत्र के माध्यम से भी अवगत करा चुका हूं। परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुयी है। महात्मा ज्योतिबाफुले चौक का निर्माण न होने से यहां की जनता में भारी रोष व्याप्त है।**]

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत सहारनपुर देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर कस्बा गागालेडी में मुख्य तिराहे पर क्षतिग्रस्त महात्मा ज्योतिबाफुले चौक व मूर्ति के पुनर्निर्माण हेतु शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में गरीब मुसहर परिवार व अन्य दलित गरीब लोगों की भूमि को दंबग भू-माफियाओं के अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

[महोदय, आशा है कि आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे उपरोक्त विषय में निवेदन के साथ अवगत कराना है कि खड्डा विधान सभा क्षेत्र-329, जनपद-कुशीनगर नेपाल और बिहार से सटे मां नारायणी की गोद में बसा क्षेत्र है यह विधान सभा क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े विधान सभा क्षेत्र में गिना जाता है, इस क्षेत्र में भू-माफियाओं द्वारा गरीब मुसहर परिवार व अन्य गरीबों की भूमि को भू-माफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है, इस क्षेत्र में जंगल पार्टी का भी आतंक रहा है, प्रसिद्ध मरचहवा काण्ड इसी क्षेत्र में हुआ था। इसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है।

विधान सभा क्षेत्र के बोधी छापर, नरकहवां, छितौनी, विन्ध्याचलपुर, मरचहवां, शिवपुर, हरिहरपुर, भैसहां, बुलहवा, कटाई भरपुरवा, पनियहवा, मठिया, रामपुर गोनहा, हरपुर माफी, बन्धवा, मठिया खुर्द ऐसे दर्जनों गांवों के गरीब मुसहर परिवार, दलित परिवार अन्य गरीब पिछड़े परिवारों की जमीन पर उनका मालिकाना हक होने के बाद भी उस भूमि पर अवैध भू-माफियाओं व दबंगों द्वारा आज भी कब्जा है।

हमारा आपसे विनम्र आग्रह है कि खड्डा तहसील व पडरौना तहसील के गरीब मुसहर परिवार की जमीनों को मुक्त कराकर उन्हें आवंटित कराने की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा करें।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वसुन्धरा इन्क्लेव आवासीय योजना का मण्डलायुक्त द्वारा जांच के उपरान्त कार्रवाई न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधामोहन दास-

[महोदय, मण्डलायुक्त गोरखपुर (अध्यक्ष, गो0वि0प्रा0) ने वसुन्धरा इन्क्लेव रेजिडेन्स वेलफेयर सोसाइटी के आवेदन पर आवासीय योजना में व्याप्त कमियों की जांच के लिये एक सचिव प्राधिकरण, सहायक अभियन्ता (दिनेश चन्द्र त्रिपाठी), अवर अभियन्ता (अरूण कुमार सिंह तथा पी0के0 मित्तल) की एक टीम गठित की थी। टीम ने 29-05-2018 को कालोनी का निरीक्षण करने के उपरान्त 04 जून 2018 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। लेकिन 08 माह बीतने के उपरान्त भी प्राधिकरण ने कमियों को दूर करने की कोई कार्रवाई नहीं की।

रिपोर्ट के अनुसार हर ब्लाक के 12 आवंटियों के लिये दिये गये पार्किंग लाट में एक 04 पार्किंग लाट की जमीनों पर कमरे बनाकर जी0डी0ए0 बेचने का प्रयास कर रही है। इससे नागरिकों को अपनी गाड़ियां खड़ी करने में परेशानी हो रही है। पूरी कालोनी में हर तरफ ड्रेनेज सिस्टम खराब होने के कारण भीषण सीलन हो रही है, जिससे मकानों का रख-रखाव खराब हो रहा है।

आवासीय योजना में दर्शाये गये ग्रीन एरिया को जी0डी0ए0 के अधिकारी निजी बिल्डर की तरह कामर्शियल काम्प्लेक्स के रूप में बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में ढेरों कमियों को दर्शाया गया।

इसके अतिरिक्त कालोनी के आवंटियों द्वारा पंजीकृत वेलफेयर सोसयटी बनाये जाने के बावजूद जी0डी0ए0 के द्वारा उन्हें Maintinance Fund स्थानान्तरित न किये जाने से रख-रखाव प्रभावित हो रहा है।

अतः विधान सभा कार्य प्रक्रिया नियमावली के नियम-301 के तहत इस निश्चित तथा अविलम्बनीय विषय पर सरकार को जवाब देने हेतु निर्देशित करें।]

बलरामपुर सदर के अन्तर्गत सुआव नाला की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पल्टूराम-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर सदर के अन्तर्गत प्रसिद्ध सुआव नाला वर्तमान समय में बलरामपुर शुगर फैक्ट्री व पूरे शहर के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पानी का निकास होने के कारण नाला पूरी तरह पट गया है, जिसकी सफाई होना जनहित में नितान्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व/जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करजे हुये उक्त सुआव नाला की सफाई कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

[02:32] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

नियम-300 में कोई भी सूचना ऐसी नहीं है, जिसकी ग्राह्यता पर विचार लेना सम्भव हो, मैं इन्हें अग्राह्य करता हूं। अब मद संख्या-03 लेते हैं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-175/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(01)-2019, दिनांक 22 जनवरी, 2019†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-175/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(01)-2019, दिनांक 22 जनवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

[02:234] संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-176/ग्यारह-9 (42)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(02)-2019, दिनांक 22 जनवरी, 2019†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-176/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(02)-2019, दिनांक 22 जनवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गई।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-177/ ग्यारह-9(42)/17-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (03)-2019, दिनांक 22 जनवरी, 2019†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-177/ग्यारह-9(42)/17-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (03)-2019, दिनांक 22 जनवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-178/ ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017- आदेश(04)-2019, दिनांक 22 जनवरी, 2019†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-178/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(04)-2019, दिनांक 22 जनवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-179/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017- आदेश(05)-2019, दिनांक 22 जनवरी, 2019†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-179/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(05)-2019, दिनांक 22 जनवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 का शुद्धि-पत्रसंख्या-क0नि0-2-189/ ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश(07)-2019, दिनांक 24 जनवरी, 2019†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 का शुद्धि-पत्र संख्या-क0नि0-2-189/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश

(07)-2019, दिनांक 24 जनवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भू-तत्व एवं खनिकर्म अनुभाग की अधिसूचना संख्या-3091/86- 2018-183-2011, दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-19-2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-19-2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश वन निगम का वार्षिक लेखा विवरण 2015-2016†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वन निगम का वार्षिक लेखा विवरण 2015-2016 को उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 की धारा-23 की उपधारा-5(ए) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-12 में कुछ नहीं है। अब मद सं0-13

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2017-18) का 16वां प्रतिवेदन†

श्रीमती संगीता बलवन्त-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2017-18) का 16वां प्रतिवेदन जो बरेली एवं मुरादाबाद मण्डल

---

† छापी नहीं गई।

में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, महिला कल्याण विभाग, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं के साथ राजस्व विभाग, गृह विभाग एवं जिला कारागारों के स्थलीय निरीक्षण एवं विभागीय समीक्षा पर आधारित है, प्रस्तुत करती हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2017-18) का 17वां प्रतिवेदन†

श्रीमती संगीता बलवन्त-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2017-18) का 17वां प्रतिवेदन जो लखनऊ एवं अयोध्या मण्डल में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, महिला कल्याण विभाग, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं के साथ राजस्व विभाग, गृह, वन एवं पर्यावरण विभाग तथा जिला कारागारों के स्थलीय निरीक्षण एवं विभागीय समीक्षा पर आधारित है, प्रस्तुत करती हूं।

[02:40] उ0प्र0 विधान सभा की याचिका समिति (2017-2018) का आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्बन्धित प्रथम प्रतिवेदन

श्री विनोद कटियार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उ0प्र0 विधान सभा की याचिका समिति (2017-2018) का आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्बन्धित प्रथम प्रतिवेदन जो 'सुशान्त गोल्फ सिटी' के विकास में पायी गयी अनियमितताओं के विषय में है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

जो मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं, उनकी याचिका स्थगित करते हैं।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित कुल 6 हस्ताक्षरित याचिकायें (स्थगित)

श्री अध्यक्ष-

श्री अमिताभ बाजपेई की याचिका स्थगित करते हैं।

(1) जनपद कानपुर नगर के पटकापुर में तारघर से संगमलाल तिराहा तक रोड निर्माण के सम्बन्ध में श्री महेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

---

† छापी नहीं गई।

(2) जनपद कानपुर नगर के नरोना चौराहे के करीब स्थित पूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी व पं0 गणेश शंकर विद्यार्थी प्रतिमा स्थल के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में श्री विनय द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) जनपद कानपुर नगर तलाक महल चौराहे से राधा कृष्ण मन्दिर तक रोड निर्माण के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद अली व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) जनपद कानपुर नगर के चुन्नीगंज मेन रोड से एक्सेल हास्पिटल वाली रोड निर्माण के सम्बन्ध में श्री हसन रजा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(5) जनपद कानपुर नगर के घण्टाघर चौराहे पर स्थापित पण्डित जवाहर लाल नेहरू प्रतिमा पर छतरी के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हर प्रकाश अग्निहोत्री व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(6) जनपद कानपुर नगर के समस्त कांजी हाउस की बिल्डिंगें गिराकर किये गये कब्जे एवं सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सौरभ मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री पंकज गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद उन्नाव से सम्बन्धित कुल 2 याचिकायें (स्थगित)

श्री अध्यक्ष-

श्री पंकज गुप्ता की याचिका स्थगित करते हैं।

(1) जनपद उन्नाव में जानकी कुण्ड, बिठूर समीप स्थित मानाबंगना, मानदेवी मन्दिर फत्तेपुर पौराणिक स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती उर्मिला सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(2) जनपद उन्नाव के ग्राम रामसिंह खेड़ा, पो0 थाना से जुड़े थाना (नहरपुर) से पवई होते हुए मुर्तजानगर तक थाना से परमनी होते हुए परियर मार्ग का चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद इटावा शहरी क्षेत्र एवं यमुना पार के क्षेत्रों से सम्बन्धित हस्ताक्षरित याचिका

श्रीमती सरिता भदौरिया-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से इटावा शहरी क्षेत्र एवं यमुना पार के दूरस्थ कस्बायी क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था के सुधार हेतु नये 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण के प्रस्ताव

के सम्बन्ध में श्री मुकेश भदौरिया व अन्य निवासीगण जनपद इटावा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करती हूं।

श्री नागेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद फर्रुखाबाद से सम्बन्धित हस्ताक्षरित याचिका

श्री नागेन्द्र सिंह राठौर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद फर्रुखाबाद के नगर कमालगंज में बाईपास स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में श्री राजीव कुमार गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित कुल 2 याचिकायें

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से-

(1) जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में श्री भारत भूषण शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(2) जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा नरकटिया बाजार तहसील कसया में विवाह घर का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री संजय सिंह गंगवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित हस्ताक्षरित याचिका

श्री संजय सिंह गंगवार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद पीलीभीत में पीलीभीत बरेली हाई-वे रोड से खरूआ, सैजना, मीरपुर, ढकिया नथा, नवादा खुशहाली तक मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लाखन व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद गोण्डा के बिसुही नदी पर सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में हस्ताक्षिरत याचिका

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड-बभनजोत के अन्तर्गत ग्राम सभा केशवनगर ग्रन्ट के बिसुही नदी पर सेतु निर्माण कराये

जाने के सम्बन्ध में श्री बेचन राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री रामफेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित हस्ताक्षरित याचिका

श्री रामफेरन पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद श्रावस्ती के इकौना कस्बा में मण्डी बनाये जाने के सन्दर्भ में श्री बलराम शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर से सम्बन्धित कुल 2 याचिकायें

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से-

(1) जनपद मिर्जापुर के 397, मझवां विधान सभा क्षेत्र के माइनरों, नहरों, रजवाहों आदि के सफाई, जीर्णोद्धार एवं निर्माण के सम्बन्ध में श्री अशोक मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, तथा

(2) जनपद मिर्जापुर के 397, मझवां विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड सीटी टांडा फाल से निकली इरई माइनर के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में श्री लालता प्रसाद मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

प्रिन्स वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित कुल 3 हस्ताक्षरित याचिकायें

प्रिन्स वीर विक्रम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से-

(1) जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत नगर पंचायत कटरा में एन0एच0-24 से नगर की पटरी पर डामरीकरण कराते हुए रमापुर रोड से जोड़ने के सन्दर्भ में श्री राजीव कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड-मिर्जापुर, तहसील-कलान, ग्राम पंचायत-कुनिया नऊआबाद के ग्राम कुनिया की आबादी के ऊपर से 11 हजार वोल्टेज की लाइन जा रही है, को गांव के बाहर कराये

जाने के सन्दर्भ में श्री रजत मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(3) जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड-जैतीपुर व ग्राम पंचायत-खमरियां में पानी की टंकी की स्थापना कराये जाने के सन्दर्भ में श्री जितेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा के लिखित अनुरोध पर जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित कुल 06 हस्ताक्षरित याचिकायें (स्थगित)

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री लालजी वर्मा जी का पत्र प्राप्त हुआ है कि उनकी याचिका अगले दिन ली जाये।

(1) जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-277, कटेहरी के विकास खण्ड-कटेहरी के अन्तर्गत कटेहरी पुरानी भीटी में संतराम के घर से गोसाईगंज भीटी मार्ग तक जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री झिन्नू लाल भारती व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-277, कटेहरी के विकास खण्ड-कटेहरी के अन्तर्गत अकबरपुर-महरुआ मार्ग से जमालपुर बन्दनडीह दुर्गपुर गांव तक जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-277, कटेहरी के विकास खण्ड-कटेहरी के अन्तर्गत फत्तेपुर बेलीबाग (भिखनपुर) मो0 सलाम एवं राम प्रताप के घर तक जलालपुर-चांदपुर मार्ग (लगभग 900 मी0) जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री झिन्नू लाल भारती व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-277, कटेहरी के विकास खण्ड-कटेहरी के अन्तर्गत अशरफपुर-बरवां जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(5) जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-277, कटेहरी के विकास खण्ड-कटेहरी के अन्तर्गत खेवार-जैनपुर मार्ग से डउवा पुरवा श्री अयोध्या प्रसाद मिश्र

तक की जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम जनम वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(6) जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-277 कटेहरी के विकास खण्ड-कटेहरी के अन्तर्गत बनगांव-बनदनपुर मार्ग (बट्टूगढ़) से ग्राम रामपुर तक जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री रितेश पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित कुल 4 याचिकायें

श्री अध्यक्ष-

श्री रितेश पाण्डेय जी की याचिका को भी स्थगित कर रहा हूं।

(1) जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक-जलालपुर के ग्राम पंचायत-सलाहपुर (अकबालपुर) के अन्तर्गत मझुई नदी पर शवदाह गृह का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री अनिल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक-जलालपुर के ग्राम पंचायत-पेठिया कोटवा के अन्तर्गत तमसा नदी पर शवदाह गृह का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ज्ञानचन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक-जलालपुर के ग्राम पंचायत-धवरुआ दलित बस्ती से ग्राम सुल्तानपुर दलित बस्ती डौणीपुर घाट सम्पर्क मार्ग तक लगभग 2 कि0मी0 पिच मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(4) जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक-जलालपुर के ग्राम पंचायत-मंगुराडिला के अन्तर्गत तमसा नदी पर जलालपुर-बसखारी मुख्य मार्ग के पश्चिम तरफ शवदाह गृह का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामजीत केशरी व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-28 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-29

[02:46] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 13 फरवरी, 2019 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 14 फरवरी, 2019 से दिनांक 22 फरवरी, 2019 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 14, 15 एवं 18 फरवरी, 2019 को वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा सम्बन्धी मदें ली जायं।

2-दिनांक 19, 20, 21 एवं 22 फरवरी, 2019 को वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी मदें ली जायं।

3-दिनांक 15 फरवरी, 2019 को असरकारी दिवस में लम्बित संकल्प ले लिए जायं।

तद्नुसार दिनांक 14 फरवरी, 2019 से दिनांक 22 फरवरी, 2019 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

फरवरी 2019

14 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
15 शुक्रवार	1-वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा। 2-असरकारी दिवस (आधा दिन)।
16 शनिवार 17 रविवार	बैठक नहीं होगी।
18 सोमवार	वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

फरवरी 2019

19 मंगलवार 20 बुधवार 21 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
22 शुक्रवार	1-वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-**03:00 बजे अपराह्न** उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2019 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री सुरेश कुमार)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय राज्य मंत्री आवास एवं शहरी नियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वित्तीय वर्ष 2019-2020 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायती राज समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम निर्धारण की सूचना

श्री अध्यक्ष-

मुझे इस सदन को यह सूचना देनी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वित्तीय वर्ष 2019-2020 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'', ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायती राज समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :-

1-नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तिथि तथा समय	सोमवार, 18 फरवरी, 2019 को अपराह्न 4:00 बजे तक
2-नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	बुधवार, 20 फरवरी, 2019 को अपराह्न 3:00 बजे (प्रमुख सचिव, विधान सभा के कार्यालय-कक्ष में)
3-नामों की वापसी की तिथि तथा समय	शुक्रवार, 22 फरवरी, 2019 को समय अपराह्न 4:00 बजे तक
4-निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान	
(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक	बुधवार, 27 फरवरी, 2019

उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति तथा पंचायती राज समिति के लिये।

(ख) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के लिये।

विधान भवन, लखनऊ स्थित समिति कक्ष संख्या-44-ख में पूर्वाह्न 10:30 बजे से 4:00 बजे तक होगा।

उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा सम्पन्न किया जायेगा।

उक्त निर्वाचनों सम्बन्धी नाम-निर्देशन-पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वित्तीय वर्ष 2019-2020 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त सचिव सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'', ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायती राज समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने के प्रस्ताव

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री सुरेश कुमार)-

हम उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 14 फरवरी, 2019 को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं :-

''यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2019-2020 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायती राज समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिये सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2019-2020 के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करते है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम-निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिये यथासमय सदस्यों को

नाम-निर्देशित करने के लिये भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।''

श्री अध्यक्ष-

मै प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि ''यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2019-2020 की 'लोक लेखा समिति', 'प्राक्कलन समिति', 'अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति', 'सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति' तथा पंचायती राज समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिये सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2019-2020 के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम-निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिये यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिये भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

[02:54] कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-56 में कुल 12 सूचनायें प्राप्त हुयीं। पहली सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री संजय गर्ग जी, संग्राम यादव जी की है, यह माननीय सदस्य इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं। दूसरी सूचना श्री लाल जी वर्मा।

श्रम एवं सेवा योजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

यह सूचना दूसरी बार आई है, दो दिन पहले भी लगी थी, इन लोगों की जब रुचि नहीं रहती है सूचना लगाने में, तो सूचना लगाते क्यों हैं ? यह प्रदेश की जनता की आंख में धूल झोंकते हैं, इनको किसी से लेना-देना नहीं है। इसीलिये यह जावबदेही से भागते है। जब-जब यह सूचनायें आती हैं जो जनता से सीधे जुड़ी हुयी है उसकी अनदेखी कर यह सदन से हमेशा बहिर्गमन करते है इनकी यह नौटंकी बार-बार चलती है हम आपसे निवेदन करेंगे कि

यह सूचना पुनः न लिया जाये क्योंकि दो बार यह सूचना आई और दोनों बार सूचना लगाने वाले सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये।

श्री अध्यक्ष-

अब हम श्री अजय कुमार लल्लू की सूचना लेते हैं। प्रदेश में किसानों के आलू के समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी।

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अध्यक्ष जी, एक तरफ यह सरकार यह कहती है कि हम किसानों की दुगुनी आय करेंगे और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में यह घोषणा की कि हम स्वामीनाथन आयोग कमेटी की सिफारिश को मानते हुये डेढ़ गुना आय किसानों की करेंगे। मान्यवर, आलू उत्पादक किसान आज बड़ा हताश और निराश है। उसकी स्थिति यह है कि आज अगर देखा जाये, तो जो आलू उत्पादनकर्ता है वह लगभग 1200 रुपया प्रति कुंतल, उसके आलू उत्पादन का जो रुपया मूल्य पड़ता है इस सरकार ने मात्र 567/-रुपये ही निर्धारित करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं आज बाजार में चार सौ रुपया, छः सौ रुपया तक ही आलू बिक पा रहा रहा है। मान्यवर, अगर देखा जाये तो पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 12 जनपद आलू उत्पादक किसानों के हैं। आगरा, मैनपुरी, एटा, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, इटावा, हाथरस, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बाराबंकी और बांदा लगभग 32 करोड़ पैकेट हर साल आलू उत्पादक किसान तैयार करते थे। हालात यह है कि यह सरकार सिर्फ घोषणायें करती है जहां एक तरफ उनको राहत देनी चाहिये या उनके लिये कोई अनुदान की व्यवस्था करनी चाहिये इस सरकार ने अब तक कोई व्यवस्था नहीं की। पिछली बार इस सरकार ने 100 करोड़ रुपये की घोषणा की लेकिन हालत यह रही कि उस 100 करोड़ रुपये में मात्र सात करोड़ बांटा गया। उसमें आगरा में पांच करोड़ परिवहन अनुदान में और चार करोड़ 96 लाख रुपया 49 व्यापारियों को दे दिया गया। किसानों को मात्र 4 लाख रुपया दिया गया। यानि 100 करोड़ की घोषणा परिवहन के लिये करते हैं और मात्र चार लाख रुपया किसानों को देते हैं बाकी व्यापारियों को देने का काम करते हैं। अध्यक्ष जी, इतना ही नही इन लोगों ने बीज अनुदान के नाम पर, जब यू0पी0ए0 की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय सरकार बीज अनुदान के लिये 85 प्रतिशत देती थी और एन0डी0ए0 की सरकार आई तो उसको घटाकर इन लोगों ने पचास फीसदी कर दिया। इतना ही नहीं अध्यक्ष जी, इन लोगों ने हालत यह की कि इनके कारण तमाम किसानों ने फांसी तक लगा ली, उसमें अगर देखा जाये तो फांसी लगाने वालों में अछमेरा गांव के ओमसिंह राठोरा, बाद गांव के अशोक कुमार चहार, ताहपुर के राजेश कुमार, दोखड़ बसेड़ी के चहार और रज जसवीर सिंह। गोली मारकर अपने सिर पर, आत्म हत्या करने वाले पलोखरा के ओमवीर सिंह, जहर खाकर आत्महत्या करने वाले अछमेरा के बदन सिंह, और सदमे के कारण हार्टअटैक होने वाले फतेहबाद के

बलवीर सिंह, बंगलौरी के सीतल सिंह माथुर के राजू खान, नगला के नाथू भगवान प्रसाद और महाबीर प्रसाद, यानि 38 आलू उत्पादक किसान सरकार की गलत नीतियों के कारण कहीं न कही फांसी लगा लिये। नहीं तो आत्महत्या गोली मारकर कर लिये, या हार्ट अटैक के नाते उनकी यह स्थिति रही। अध्यक्ष जी, इनकी हालत यह है कि इन लोगों ने शीत भण्डारण गृह को 20 रुपया प्रति कुन्टल देने का फैसला किया जबकि किसान के लिये इनके पास कोई योजना नहीं थी।

माननीय अध्यक्ष जी, गुजरात में इन्हीं की सरकार है। गुजरात सरकार परिवहन अनुदान के नाम पर कोल्ड स्टोरेज को लगभग 200 रु0 प्रति कुन्टल देती है और ये लोग 300 किलोमीटर से जो दूर परिवहन के लिये ले जाता है, उसे 200 रु0 कुन्तल देते हैं। जबकि इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, इन लोगों ने 1 रुपया तक परिवहन अनुदान के नाम पर कोल्ड स्टोरेज को नही दिया। आज ही हमने प्रश्न लगाया था, जिसमें इन लोगों ने स्पष्ट तौर से कह दिया कि हम नहीं देंगे। हालात यह है कि जब-जब ओला पड़ता है, बारिश होती है या किसी तरह की आपदा पड़ती है तो जो फसल का नुकसान होता है तो उसको सहायता राशि मिलती है, लेकिन इनको आज तक किसी भी प्रकार की कोई सहायता राशि नहीं मिल पायी है। अगर देखा जाये तो पिछली बार लगभग 2015 में ओला पडा था, 2017 में पड़ा था और इन लोगों ने ओला से जो पीड़ित किसान था, उनको एक भी रुपये का मुआवजा देने का काम नहीं किया और आज के दिन भारी ओला पड़ा है, भारी बारिश हुयी है, जिससे वहां के आलू उत्पादक किसानों और गेहूं उत्पादक किसानों की सारी फसल नष्ट हो गयी है। इसका भी सरकार संज्ञान ले और उन्हें उचित मुआवजा दिलाने का प्राविधान करे।

श्री अध्यक्ष-

अब तो आपकी बात हो गयी है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अध्यक्ष जी, 2017 में 100 प्रतिशत पूरी फसल बर्बाद हो गयी। यही नहीं इनकी स्थिति और परिस्थिति को देखते हुये कुछ दिन पहले आप जानते होंगे कि एक आगरा के किसान प्रदीप कुमार शर्मा जो लगभग 32 लाख रुपये के कर्ज में था और 32 लाख रुपये के कर्ज में होने के नाते उसने मुख्य मंत्री, प्रधानमंत्री सबसे इच्छामृत्यु तक की मांग की थी। यही नहीं उसके पिता समाप्त हो गये, चाचा समाप्त हो गये। अभी उसने आलू उत्पादन किया था, जिसको मण्डी में बेचा था और मण्डी में बेचने के बाद लगभग 490 रुपया उसको लाभ हुआ था, उसने जो मनीआर्डर प्रधानमंत्री जी को किया था और जिस पर यह लिखकर आ गया कि ऐसी कोई जानकारी नही है, इस नाते इनका मनीआर्डर वापस किया जाता है। हालत यह है कि बहुत सारे किसान जो बहुत ही खराब स्थिति में हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इन लोगों के लिये कहीं न कहीं एक समुचित व्यवस्था की जाये और सरकार

इन लोगों के लिये आलू बोर्ड का गठन करे, आलू किसान सहकारी समिति का गठन किया जाये, देश में 25 प्रतिशत आलू आगरा, अलीगढ़ मण्डल में उत्पादित होता है, उसके लिये आलू अनुसंधान केन्द्र बनाया जाये। अन्य राज्यों में आलू के परिवहन के लिये रेलवे के परिवहन की तत्काल व्यवस्था हो। आलू उत्पादक किसानों को 85 प्रतिशत के बीज के लिये अनुदान राशि दी जाये। आलू समर्थन मूल्य लगभग 1800 रु0 जो कि सरकार की घोषणा थी, डेढ़ गुना देने की, वर्तमान समय में 1200 रु0 कीमत की लागत है, उनको 1800 रु0 की व्यवस्था की जाये। जिन किसानों की सिंचाई का बिजली का बिल आया है, उसको माफ करने की व्यवस्था की जाये तथा सरकारी स्तर पर कोल्ड स्टोरेज का किराया तय किया जाये और आलू मण्डी समिति का जो ढ़ाई प्रतिशत टैक्स है, उस ढाई प्रतिशत टैक्स को समाप्त किया जाये। कर्जमाफी योजना की सूची के अनुसार तत्काल किसानों को लाभ दिया जाये। यह आपके माध्यम से मै सरकार से मांग करना चाहूंगा।

कृषि मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे मित्र श्री अजय कुमार लल्लू जी हमारे पड़ोसी हैं और बातों को बढ़ा-चढ़ा कर रखने में और कहानियों को गढ़ने में इनका कोई सानी नहीं है।

पांच प्रतिशत से भी कम आलू की खोदाई हुई है और बाजार भाव कहीं पर भी जनवरी महीने से साढ़े पांच सौ रुपये से नीचे नहीं है। यह जो इन्होंने चिन्ता व्यक्त की है योगी आदित्यनाथ की सरकार मार्च, 2017 में बनी थी तब आलू की खोदई हो चुकी थी। उस समय आलू के बाजार भाव 200 रुपये कुन्तल चल रहे थे। हमारे मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कैबिनेट की बैठक करके और बाजार हस्तक्षेप योजना के माध्यम से आलू की खरीददारी करने का फैसला किया 549 रुपये प्रति कुन्तल की दर से और उसका परिणाम यह हुआ कि बाजार भाव ऊपर की ओर उठा और उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को राहत मिली। उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन में आज देश का अग्रणी राज्य है। उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर है और 30 से लेकर 35 प्रतिशत देश के आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। इसलिए आलू किसान की चिन्ता बराबर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है। किसी भी प्रकार से उनको कठिनाइयों में नहीं जाने दिया जायेगा। आपने मुख्य मंत्री जी की घोषणा की कुछ बातों को अपनें भाषण में सम्मिलित कर लिया है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने अपने विचारों को रखते हुए जो घोषणाएं की उसमें से कुछ चीजें उठाकर रख ली है। प्रदेश के अन्दर दो सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फार पोटैटो की स्थापना की जायेगी। यह हमारे मुख्य मंत्री जी ने फैसला किया है कि हम सेन्टर आफ एक्सीलेंस बनाएंगे। अच्छे प्रकार के बीज को किसानों को उपलब्ध कराया जाना, उसके उत्पादन गुणवक्ता को बढ़ाया जाना और साथ-साथ उसके मार्केटिंग की व्यवस्था उस सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से करायेंगे। पी0एम0के0एस0वाई0 के भीतर हम स्पिंकलर और डीप इरीगेशन के माध्यम से किसानों के खेतों में लगभग पचास हजार हेक्टेयर तक की सिंचाई कराये जाने की व्यवस्था अनुदान के आधार पर कराने की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। मुझे खुशी

है कि इस समय तक 55 हजार का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें से 41 हजार 769 हेक्टेयर के भीतर यह सुविधायें हम लोगों ने एक साल के भीतर प्रदान की है। दूसरी बात पांच सौ हेक्टेयर एरिया के भीतर अच्छे क्वालिटी चिप्सोना, कुफरी आदि की वैरायटी है जिसकी अन्य राज्यों के भीतर भी मांग है और विदेशों में मांग है उनको प्रोत्साहित किये जाने के लिये मुख्य मंत्री जी ने कहा कि 25 हजार रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जायेगा और राज्य सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि बाजार के भीतर प्रोसेसिंग के लिये जिन आलू की आवश्यकता है उसको प्रोत्साहित करें इस दिशा में राज्य सरकार ने काम किया है। जैसा कि मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के अन्दर सर्वाधिक उत्पादन होता है और इसलिये पिछले साल भी हम लोगों ने बायर सेलर मीट आयोजित किये थे विभिन्न राज्यों के भीतर और उसी का परिणाम हुआ कि उत्तर प्रदेश में जितना हमने आलू का भण्डारण किया था लगभग 111 लाख मीट्रिक टन शीत गृहों से 100 प्रतिशत आलू निकाला और बाजार के भीतर उसकी खपत हो गयी और कहीं पर भी जो पूर्व की सरकारों के जमाने में आलू सड़कों पर फेंका जाता था खेतों में बिछाया जाता था, वह परिस्थितियां नहीं रहीं आलू इस साल प्रदेश के भीतर नवम्बर, दिसम्बर महीने में कहीं पर सड़ा नहीं। हम शत-प्रतिशत आलू राज्य के बाहर पहुंचाने में सफल रहे और इस प्रकार से हमारी नीति एक बेहतर दिशा की ओर आगे बढ़ रही है । अब तक अभी तक पूरा आलू उत्तर प्रदेश का जमीन के भीतर है ज्यादातर पंजाब का आलू बाजार के भीतर आया कुछ कन्नौज और इटावा के आस-पास का आलू बाजार के भीतर आया लेकिन अभी पूरा आलू जमीन के भीतर है और इसलिए अभी तक इस तरह की कोई समस्या नही आयी है जैसे आप चर्चा कर रहे हैं लेकिन हमारी सरकार ने सावधानी बरतने की दृष्टि से अभी पांच राज्यों के भीतर बायर सेलर मीट का आयोजन किया और उत्तर प्रदेश के आलू को वहां तक कैसे पहुंचा सकें इस बारे में अन्य राज्यों के भीतर हम सम्पर्क कर रहे है उनको जानकारी दे रहे हैं। अभी 20 फरवरी को आन्ध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के भीतर भी एक दिवसीय बायर सेलर मीट आयाजित किया गया है। इस प्रकार से प्रयास है कि उन राज्यों के भीतर जहां पर आलू का उत्पादन कम होता है वहां पर हम उत्तर प्रदेश के आलू को भेजकर यहां के किसानों को सही कीमत दिला सकें जैसा कि मैंने आपको कहा कि बाजार हस्तक्षेप योजन के माध्यम से जब हम लोगों ने कीमतें तय कीं तो स्वाभाविक रूप से बाजार ऊपर उठ गया इस साल जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने गेहूं की खरीददारी कराई 53 लाख मीट्रिक टन जो गेहूं की खरीददारी हुई उसका परिणाम यह है कि गेहूं बाजार के भीतर दिसम्बर महीने के बाद दो हजार इक्कीस सौ और साढ़े इक्कीस सौ के हिसाब से बिका है।

हमने खरीददारी 1840 पर किया, लेकिन हमनें इतने बड़े पैमाने पर खरीददारी की और हमारी खरीददारी का परिणाम है कि बाजार आज ऊपर की ओर है और सरकार निगाह रखे हुये है कि यदि उत्पादन में तथा कीमतों में 10 परसेंट कमी आयेगी या उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी और उसकी वजह से बाजार प्रभावित होंगे तो सरकार इस साल भी बाजार

हस्तक्षेप योजना के माध्यम से आलू की खरीददारी करेगी। उसके लिये निर्यात प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत भी हम निर्यात को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अभी आपने बता दिया कि वह व्यापारियों को गया तो राज्य से बाहर आलू कौन पहुंचाता है। किसान तो आलू मण्डी में लेकर आता है फिर व्यापारी उसको खरीदता है और राज्य के बाहर लेकर जाता है। जो व्यापारी राज्य के बाहर लेकर गये उनको हम प्रति क्विंटल एक किलो के हिसाब से और एक किलो पर एक रुपये के हिसाब से अधिकतम 25 परसेंट जो ढुलाई भाड़ा था उसका हम लोंगो ने अनुदान दे करके उसको पहुंचाने की व्यवस्था की है। सरकार इस बात का भी प्रयास कर रही है कि राज्य के बाहर और देश के बाहर भी एक्सपोर्ट हो सके और उसकी गुणवत्ता को भी सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और इस दिशा में भी सरकार की ओर से निरन्तर ध्यान दिया जा रहा है। हम लोगों ने प्रदेश के भीतर भण्डारण की क्षमता भी बढ़ाई है और किसी भी किसान का आलू हम प्रदेश के भीतर सड़ने नहीं देंगे। हम किसान को सही कीमतें दिलाएगें, उसके लिये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और उस दिशा में हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है। जहां तक आपने कहा और जिन 6 जनपदों की चर्चा की है उन 6 जनपदों के भीतर हम आपरेशन ग्रीन योजना के माध्यम से यह विचार कर रहे हैं कि वहां के किसानों को हम कैसे और भी बेहतर कीमतें दे सकें और ढुलाई-भाड़े में वृद्धि करके वहां पर यह प्रयास किया जायेगा कि उनको सही कीमतें मिल सकें वह अपने यहां से दूर जा करके अपने आलू को पहुंचा सकें इसलिये हम लोग भारत सरकार की मदद से आपरेशन ग्रीन योजना भी चलाने वाले हैं और उनके लिये नेफेड को नोडल एजेंसी बनाया गया है जो आलू को खरीदने और उसको भेजने की व्यवस्था किये जाने की चिन्ता करेगी। इसलिये आपके माध्यम से मैं इस सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि यह सरकार आलू किसानों के प्रति जागरूक है, उनको किसी भी प्रकार से हताश और निराश नहीं होने देगी। हम आलू की प्रोसेसिंग के लिये भी 35 परसेंट अनुदान सामान्य स्थिति में और इन जनपदों के भीतर 50 परसेंट अनुदान पर प्रोसेसिंग के लिये भी हमारी सरकार ने नीति बनाई है। हमारा आपसे आग्रह होगा और आप तो खुद ही एक बड़े व्यवसायी और व्यापारी हैं तो आप आइए और पूंजी निवेश कीजिये, 50 परसेंट प्रोसेसिंग का काम शुरू कराइये। हमारी सरकार बिना भेदभाव के आपकी भी मदद करेगी। (सत्ता पक्ष की तरफ से मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अध्यक्ष जी, बस दो मिनट। केवल स्पष्टीकरण चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 कृषि मंत्री जी ने तो आपको सीधे आलू की सुविधा देने की बात कह दी है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अध्यक्ष जी, सरकार ने प्रदेश को पूरी तरह से गुमराह करने का काम किया है। अगर यह इतना पारदर्शी है तो जो 100 करोड़ का अनुदान दिया है उसमें किसान को इन्होंने

मात्र 4 लाख क्यों दिया ? बाकी सारा लाभ वहां के जो व्यापारी थे उनको देने का काम किया है। दूसरी तरफ से मैंने इनसे जानना चाहा कि गुजरात की भांति क्या यह परिवहन कोल्ड स्टोरेज को भी 200 रुपये प्रति क्विंटल का अनुदान देंगे तो उन्होंने उसका स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तीसरी बात, 38 लोग अब तक मर चुके हैं,

और बहुत सारे लोग फांसी लगा चुके हैं। अभी एक किसान प्रदीप शर्मा, जिसने 18 एकड़ आलू की फसल का उत्पादन किया था, जिसकी कमाई 490 रुपये थी, उसने मनी आर्डर के तौर पर मा0 प्रधानमंत्री जी को भेजा था, जिस पर यह लिखकर आ गया था कि यह पता सही नही है। मान्यवर, 'योगी जी की योजना इस लेटर पर और किसान वेंटीलेटर पर' यह हाल है इस सरकार का। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बस 3-4 छोटी-छोटी बातें जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अभी आपके चार प्रश्न और बाकी हैं ?

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, जो बाजार का मूल्य है क्या उसे 1800 रुपये प्रति क्विंटल करने का काम यह सरकार करेगी, क्योंकि डेढ़ गुना करने की घोषणा इन्होंने की थी ? दूसरा, आलू किसान समिति का गठन करने पर क्या यह सरकार विचार करेगी ? आलू बोर्ड का गठन करने पर क्या यह सरकार विचार करेगी ? बस इन 3-4 छोटे-छोटे सवालों के उत्तर यह सरकार दे दे। आज आगरा और अलीगढ़ मण्डल में ओलावृष्टि हुई है और वहां के सैकड़ों-हजारों किसानों का आलू और गेहूं पूरी तरह से नष्ट हो गया है। तो क्या यह सरकार उन लोगों के लिए किसी अनुदान की घोषणा करेगी ? 2017 में भी ओलावृष्टि की वजह से बहुत सारे किसानों की फसल बर्बाद हुई थी और उनको कोई भी अनुदान नहीं मिला था, उसकी व्यवस्था यह सरकार करेगी या नहीं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार दैवीय आपदा की परिस्थितियों में अब तक की सबसे जागरूक सरकार रही है (सत्ता पक्ष द्वारा मेजें थपथपायी गईं) और प्रदेश के भीतर जहां कहीं भी ओले पड़े, अति वर्षा हुई या बिजली गिरने की घटना हुई समयबद्ध तरीके से किसानों को राहत पहुंचाये जाने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। जब आप अलग से यह सवाल करेंगे तो मैं उसके बारे में बता दूंगा। आपने अभी जिस वर्षा के बारे में चर्चा की है उसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है वह अपने जनपद के भीतर आंकलन कर रहे हैं और जहां तक गेहूं की फसल की बात है इस सम्बन्ध में बताना चाहूंगा कि गेहूं की फसल को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। आलू की फसल के बारे में हम लोग परीक्षण करायेंगे उसके बाद जब यह पाया जायेगा कि आलू की फसल को नुकसान हुआ है तो उसके

बारे में जितने किसानों ने बीमा कराया होगा उनको बीमा के माध्यम से त्वरित लाभ पहुंचाने की व्यवस्था बनवायेंगे और शेष पर सरकार जानकारी प्राप्त कर रही है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं कि सरकार आलू बोर्ड का गठन करेगी या नहीं, आलू किसान सहकारी समिति का गठन करेगी या नहीं और गुजरात की भांति 200 रुपया परिवहन भाड़ा अगर 300 किलोमीटर से अधिक है तो क्या सरकार उसकी व्यवस्था करेगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

अब मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि यह किसान है या व्यापारी है ? अभी जो आलू जमीन के भीतर है और जिसकी अभी तक खुदाई नहीं हुई है, जब तक उस आलू की खुदाई नहीं होगी तब तक किस आधार पर आंकलन हो पायेगा कि वह आलू खराब हो गया है या नहीं खराब हुआ है ? मान्यवर, आज फरवरी की 14 तारीख है और अभी आलू के छिलके बहुत पतले होंगे। किसान भी अभी आलू की खुदाई नहीं करना चाहता है। अगर आज की तारीख में आलू की खुदाई कर ली जायेगी तो तीन-चार दिन में ही आलू को बेचना पड़ेगा। इसलिए आलू का परीक्षण कराया जायेगा और यदि क्षति हुई होगी तो जरूर हम लोग उस पर विचार करेंगे।

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप संरक्षण दीजिए। आप हम लोगों के संरक्षक हैं और सबसे बड़ी पीठ पर आप विराजमान हैं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैंने केवल यह पूछा है कि मात्र 100 करोड़ अनुदान में 4 लाख रुपया आपने किसान को दिया है। 100 करोड़ में मात्र 7 करोड़ रुपया इन्होंने बांटा है तो 93 करोड़ रुपया इनके पास है। दूसरा सवाल हमने मा0 मंत्री जी से यह किया है कि जो भाड़ा 200 रु0 गुजरात सरकार देती है उसे यह देंगे या नहीं, आलू बोर्ड का गठन करेंगे या नहीं और आलू बोर्ड के सहकारी समिति का गठन करेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

अब उत्तर आ गया है।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, भाड़ा अधिकतम 25 प्रतिशत तक राज्य सरकार दे रही हैं।

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अध्यक्ष जी, यू0पी0ए0 की सरकार ने 385 प्रतिशत अनुदान दिया था।

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-51 की सूचनायें लेते हैं।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अध्यक्ष जी, यह सरकार किसान विरोधी है, किसानों के साथ यह सरकार भेदभाव करती है किसानों के साथ कहीं-न कहीं यह अन्याय है, आलू किसानों के साथ धोखा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी सरकार के इस जवाब के खिलाफ सदन से बहिर्गमन करती है।

(कांग्रेस दल के सभी सदस्य, 'किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी' के नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए)

श्री अध्यक्ष-

अभी आप रुके रहिए हम नियम-51 की हाजिरी ले रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष के सदन से बहिर्गमन किये जाने के कारण नेता कांग्रेस द्वारा बजट पर चर्चा शुरू कराये जाने की मांग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, आज सभी विपक्षी दलों के नेताओं को बजट चर्चा में भाग लेना था, उन्हीं को बोलना था अब यह लोग तो चले गये इनका कोई एजेंण्डा विधान सभा से ताल्लुक रखता नहीं है किसी न किसी बात को लेकर सदन चलाने में व्यवधान पैदा करना, कार्यवाही को बाधित करना और उसके बाद सदन से बहिर्गमन कर जाना, आखिरकार कब तक इस प्रकार से चलेगा। इस समय सदन में कांग्रेस के नेता नही हैं और बसपा तथा सपा के लोग तो पहले ही सदन से बहिर्गमन कर गये हैं। यदि आप उचित समझे तो माननीय नेता, अपना दल को बजट पर बोलने की अनुमति प्रदान कर दें।

श्री अध्यक्ष-

सदन की परिपाटी है कि नेता विरोधी दल से बजट पर चर्चा शुरू होती है। स्थापित परिपाटी के अनुसार माननीय वित्त मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी ने बजट प्रस्तुत कर दिया है जिसके बाद अब नेता विरोधी दल को बजट पर बोलना था उनके बाद दूसरे बड़े विपक्षी दल के नेता को बोलना था, फिर क्रमानुसार तीसरे दल को बोलना था जिसके बाद माननीय नेता, अपना दल का अवसर आता है।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

माननीय अध्यक्ष जी, बजट एक महत्वपूर्ण विषय है लेकिन उस पर विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता है। इसका सीधा मतलब है कि नेता विपक्ष और अन्य दलों के नेता बजट को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। यदि वह आते और चर्चा करते तो जो विषय उनके समक्ष राज्य की जनता के हितों के लिए रखे गये हैं उन पर बहुमूल्य सुझाव आ सकते थे। हम क्यों न यह मान लें कि यह इतना अच्छा बजट है कि विपक्ष में साहस नहीं है कि वह इस बारे में कुछ कह सकें। विपक्ष के लोग इसीलिए जानबूझ कर सदन से बायकाट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

निश्चित रूप से बजट पर चर्चा परसों से टल रही है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का आज का कथन अपनी जगह पर बिल्कुल सही है क्योंकि पहले परसों नेता विरोधी दल को बोलना था, फिर कल की तिथि निर्धारित हुई थी लेकिन कल का दिन भी बीत गया। जिसके बाद आज का दिन निश्चित हुआ था लेकिन आज भी वह चले गये हैं, श्री अजय कुमार लल्लू जी सदन में आ गये हैं, क्या आप बजट पर बोलेंगे।

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ही बजट पर चर्चा की शुरुआत करें और इस परिपाटी को न तोड़ा जाये। कृपया कल से इसे शुरू किया जाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, चार दिन हो गये हैं और आखिर कब तक इस बात के लिए इन्तजार किया जायेगा। यदि नेता विरोधी दल नहीं बोलना चाहते हैं तो नेता, कांग्रेस दल का बोलना उचित होगा अथवा कह दें कि वह भी बजट का समर्थन करते हैं। अगर समर्थन करना है तो खड़े होकर समर्थन कर दें क्योंकि मौन समर्थन ठीक नहीं है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत विद्वान, वरिष्ठ, पुराने एवं अनुभवी सदस्य हैं लेकिन लगातार इस तरह का व्यंग करना कभी-कभी उपयोगी और अच्छा नहीं रहता है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपको हंसा रहे थे।

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग माननीय मंत्री जी की प्रतिभा का सम्मान करते हैं। पिछली विधान सभा में जब यह विपक्ष में थे तो हम लोग बहुत सारी चीज इनसे सीखते थे।

जब यह विपक्ष में रहते हैं तो दूसरी बात कहते हैं और जब उधर सरकार में चले जाते है तो बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी चीज की एक गरिमा है। कल हमारे नेता प्रतिपक्ष जी भाषण शुरू करेंगे और फिर उनके बाद हम लोग बोलेंगे। उनसे पहले हमारा बोलना उचित नहीं है। हम बोलेंगे और बजट की पूरी खामियों पर बोलेंगे। हम बनारसी लड्डू नहीं दिखायेंगे कि जो खाये वह पछताये और जो न खाये वह भी पछताये। यह बनारसी लड्डू जो इन लोगो ने बजट के रूप में पेश किया है हम उसकी पूरी आलोचना कल करेंगे और पूरी स्थिति स्पष्ट करेंगे कि सरकार किस रूप में बजट लाई है।

श्री अध्यक्ष-

अगर किसी वजह से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कल फिर नही आयेंगे तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे।

श्री अजय कुमार लल्लू-

यदि वह कल नहीं बोलेंगे तो हम कल निश्चित बोलेंगे।

श्रम एवं सेवा योजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा की कार्यवाही उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्य संचालन नियमावली और पीठ से दिये गये व्यवस्था और निर्देश के क्रम में चलती हैं। जब लगातार चार दिन से विपक्ष का पलायनवादी रवैया सीधे-सीधे अलोकतांत्रिक है और साथ ही साथ इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बजट पर बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। यही कारण है कि कोई बहाना लेकर यह लोग हमेशा पलायन कर जाते हैं। विगत कई वर्षों से मैंने भी देखा है कि कदाचित किसी विशेष कारणवश यदि नेता विरोधी दल नहीं हैं तो वह तिथि दूसरे दिन के लिए टाली जाती थी, लेकिन यहां कोई विशेष काम नहीं है। यह जानबूझ कर राजनैतिक षड़यंत्र है। यह लोग सरकार द्वारा उपस्थित बजट की जवाबदेही से इसीलिए भाग रहे है क्योंकि जिस तरीके उत्तर प्रदेश सरकार का बजट दलितों, गरीबों, पिछड़ों और साथ ही साथ यह बजट आम वर्ग के उपेक्षित वंचित सभी लोंगों के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। यह पूरे प्रदेश ही नहीं देश में भी सराहा जा रहा हैं। इसी कारण से यह लोग उत्तर देने से बचने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, लगातार यह पलायनबादी रवैया तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी पीठ से कोई व्यवस्था नहीं आयेगी। मान्यवर, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया और आज चौथा दिन है तो लगातार इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा देना सदन की कार्यवाही से बाहर हो जाना। अतः यह विपक्ष के लोग जब सत्ता में रहते हैं तो प्रदेश में गुंडाराज चलाते हैं और जब बिपक्ष में रहते हैं तो सदन के अन्दर गुंडाराज तथा अराजकता फैलाते हैं (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, इस पर आपकी पीठ से कोई न कोई व्यवस्था आनी चाहिए जिससे कि सदन नियमित ढंग से संचालित हो। सत्ता पक्ष और

विपक्ष दोनों की जवाबदेही सुनिश्चित करें क्योंकि लोकतंत्र में जितना महत्वपूर्ण स्थान सत्ता पक्ष का है उतना ही महत्वपूर्ण स्थान विपक्ष का भी होता है।

श्री अध्यक्ष-

बिल्कुल सही है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, अगर सत्ता पक्ष प्रदेश की समस्याओं के निस्तारण के लिए जनता के विकास के लिए और कल्याणकारी योजनाओं के लिए संकल्पित है तो वहीं पर विपक्ष का भी यह धर्म है कि प्रदेश की जो भी समस्यायें हों समय-समय पर इस सदन के माध्यम से अवगत करायें जिससे यदि सरकार से कहीं भी चूक हुई हो तो आगे उसमें काम किया जा सके। चार दिन से लगातार नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इस सदन का समय बेकार कर रही है क्योंकि इस सदन के संचालन में बहुत ज्यादा आर्थिक खर्च आता है। वह आर्थिक खर्च जनता की गाढ़ी कमाई, खून पसीने तथा मेहनत का पैसा होता है। इसका मतलब है यह कि यह जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। साथ ही साथ आज भी अराजक रवैये के माध्यम से सदन को अव्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा कि आपके माध्यम से इस पर कोई व्यवस्था आ जाए जिससे यह सदन संचालित हो। मान्यवर, अभी कांग्रेस के नेता ने कहा कि अगर कल नेता विरोधी दल नहीं आयेंगे तो कल वह बोलेंगे अगर नेता विराधी दल के न आने से वह कल बोल सकते हैं तो नेता विरोधी दल के आज न आने से क्यों नहीं बोल सकते हैं ? मान्यवर सीधे-सीधे कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यह तीनों के तीनों जनता की जवाबदेही से भाग रहे हैं, इसीलिए यह भगोड़े जैसी स्थिति लगातार स्थापित कर रहे हैं। अगर इनको कल बोलना है तो आज बोलें क्योंकि यह कल बोल सकते हैं तो आज नेता विरोधी दल के न आने से भी बोल सकते हैं।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, किसी को भी संसदीय मर्यादा में रहकर यहां बोलने का औचित्य है। अगर भगोड़ा जैसे शब्दों का प्रयोग होगा तो हर आदमी जानता है कि कौन भगोड़ा है और कौन क्या है ? अध्यक्ष जी, कहीं न कहीं नियमों के हवाले से और परम्पराओं के हवाले से यह सदन चलता है। और नेता प्रतिपक्ष अगर अपने विषयों को लेकर, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोका गया, उनके साथ मारपीट की नौबत आयी, किसी भी व्यक्ति को इतनी आजादी है कि वह कहीं भी जाकर भाषण दे सके, सभा कर सके। आपके मुख्य मंत्री जी हर रोज प्रयागराज पहुंच जा रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। आपके मा0 राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी चले जा रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं हैं। अगर एक पार्ट्री के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रयागराज जा रहे हैं किसी सभा में जा रहे हैं सम्मान में जा रहे हैं किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो इसमें कौन सी औचित्य की स्थिति आ गयी। वह जाते छात्रसंघ का उद्घाटन करते अपने विचारों को जनता के बीच रखते।

यह दोनों लोग कहीं न कहीं सांठ-गांठ किये हुए हैं और पूरे प्रदेश में एक दूसरी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। आज अगर नेता प्रतिपक्ष इस बात की मांग कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमें दर्ज हुये उनको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। एक राजनीतिक विधायक दल के नेता का यह कर्तव्य बनता है कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए खड़ा हो। अध्यक्ष जी, यही सरकार है जब मैं बालू खनन के खिलाफ धरने पर बैठा तो मुझे लाठियों से पीटकर 12 दिन जेल भेजने का काम इस सरकार ने किया।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, यह तो विषय बदला जा रहा है। आप बैठें।

श्री अजय कुमार लल्लू-

और आज यह नैतिकता की दुहाई देते हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल इस सदन में नहीं होना चाहिए।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

यह खनन ही नहीं होने दे रहे थे और बाजार भाव ऊपर की ओर जा रहा था। और खनन माफियाओं की सह पर धरने पर बैठ गये। निवेदन किया जा रहा है कि आप उठ जाइए। और यहां आकर कहते हैं कि बालू का भाव बढ़ रहा है और वहां धरने पर बैठकर माफियाओं का साथ दे रहे हैं।

(श्री अजय कुमार लल्लू के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप बैठें। जहरीली शराब पर आप बोल चुके हैं। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का, मा0 कृषि मंत्री जी का, मा0 श्रम मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्या जी का मन्तत्व यह था। यह बातें ठीक हैं कि अगर किसी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी परेशानी में पड़ता है और उस पार्टी की दृष्टि में वह परेशानी किसी सत्तापक्ष से पैदा हुयी तो ठीक है वह अपने जुलूस निकालता है। आन्दोलन करता है। यह भी ठीक है। इस आदरणीय सदन में वह प्रश्न कर सकता है। यह भी ठीक है। लेकिन इस आदरणीय सदन को इसी आधार पर 3-4 दिन तक बाधित करना यह कहां का न्याय है। यही बात मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, मा0 कृषि मंत्री जी, मा0 श्रम मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्या जी कहना चाहते थे। आज भी उसी विषय पर सदन बाधित हुआ, कल भी उसी विषय पर सदन बाधित हुआ। वह विषय उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और जनतंत्र की कार्यवाही में सबको अपना पक्ष जनतांत्रिक दिखायी पड़ता है और दूसरे का पक्ष अलोकतांत्रिक दिखाई पड़ता है लेकिन सदन में बाधा डालना क्या यह लोकतंत्र है। यह एक बहुत बड़ी बहस है जो आज हो सकती है, कल हो सकती है, कभी भी हो जाये। सड़क पर प्रदर्शन करना, जुलूस निकालना, शान्तिपूर्ण जुलूस निकालना, भाषण देना, संविधान के

अनुच्छेद-19 का प्रयोग करते हुए निर्बाध विचार अभिव्यक्ति की आजादी का लाभ उठाना। यह सब बातें जनतंत्र के लिए ठीक हैं। लेकिन उन्हीं बातों के बहाने उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च जनप्रतिनिधि निकाय को उसकी कार्यवाही को ही बाधित करना यह लोकतंत्र नही है और यही चिन्ता आप लोग व्यक्त कर रहे थे। हम नहीं समझते कि इधर से कोई पालिटिकल बयान दिया गया।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, उन्होंने भगोड़ा शब्द कहा है।

श्री अध्यक्ष -

अगर कहीं कोई ऐसी बात आयी है जो आपको ठीक नहीं लगी। लेकिन यह उत्तर प्रदेश के एक-एक व्यक्ति को जो किसी दल में नहीं है और मैं उसे मान रहा हूं कि वह प्रमाणिक होगा। नहीं तो जो भाजपा में होगा वह भाजपा के पक्ष में, जो कांग्रेस में होगा वह कांग्रेस के पक्ष में सोचेगा, ऐसा स्वाभाविक है। लेकिन कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति यह नहीं मानेगा कि सदन के भीतर हंगामा करना, वेल ऑफ दी हाउस में आ जाना, सदन को बाधित कर देना और 403 के सदन को 40-45-50 लोग हांकें और अपने अनुसार चलायें यह उचित नहीं होगा। यही सबकी पीड़ा है और जो नये सदस्य आये हैं उनके लिए तो यह बहुत बड़ी पीड़ा है। जब परसों यह दृश्य हो रहा था तो लखनऊ के एक बहुत अच्छे विद्यालय के बच्चे दीर्घा में बैठे थे और यहां बवाल हो रहा था और वह बच्चे बहुत डर गये होंगे। एक बार पहले भी हमने इस सदन में बताया था कि कॉमनवेल्थ देशों के लगभग 70 देशों के प्रतिनिधि यहां आये हुए थे और खन्ना जी और हम उनके साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि हम विधान सभा देखेंगे। संयोग से वह उसी दिन विधान सभा की गैलरी में बैठे जिस दिन हम लोग यहां लोकतंत्र सेनानी बने हुए थे। लोकतंत्र की आराधना, लोकतंत्र की उपासना, लोकतंत्र के निराजन-उपासन और उसके संवर्धन में नारेबाजी कर रहे थे और हुल्लड़ मचा रहे थे। इसके बाद जब हम लोग उनके साथ भोजन कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि क्या यहां पर सदन इसी तरह चलता है ? उनको लगा कि यह कार्यवाही का भाग है जो सब लोग बड़ा आनन्द-मग्न हैं। तो यह एक पीड़ा और व्यथा का प्रश्न है। बाकी बजट आया है तो पारित होगा ही। हम सभी को बजट पर बोलना चाहिए और हम लोग यदि बजट पर बोलते तो ज्यादा अच्छा होता। इस समय सब लोग खाली ही होंगे और क्या कर रहे होंगे। इससे बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे पास नये विधायकों की सूची आती है और मैं उस सूची को जेब में रख कर मायूष होकर चला जाता हूं और वह पूछते हैं कि हम कब बोलेंगे।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, जब आप और हम बैठे थे तो आप ही के कक्ष में यह तय हुआ था कि कल पहले आप लोग बोलियेगा उसके बाद सत्तापक्ष वाले बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी विषय उठाया कि आपकी अनुमति हो तो कोई दूसरा बोल दे तो मैंने कहां अनुमति दी। मैं तो कार्य-मंत्रणा वाली बैठक पर अटल हूं लेकिन हमारी यह बातें एक अध्यक्ष की दृष्टि से न सही, लेकिन इस आदरणीय सदन के विनम्र सदस्य के रूप में मेरा निवेदन है कि यह उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत खराब लगता है। आप कह रहे थे कि टेलीविजन का प्रसारण देर शाम तक हो जाये, अगर देर शाम तक प्रसारण हो जायेगा तो गांव के बच्चे डरने लगेंगे कि सदन में क्या हो रहा है। जब हम लोग गांवों में जाते हैं तो वह पूछते हैं कि सदन में क्या होता हैं। हम पक्ष-प्रतिपक्ष के विषय में नहीं बोल रहे हैं। अगर किसी को लगे कि हम पक्ष-प्रतिपक्ष के विषय में बोल रहे हैं तो उसके लिए मुझे खेद है। लेकिन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सदन को बाधित करना यह लोकतंत्र कैसे है ? इसके लिए कोई मेरा मार्गदर्शन यहां कर दे या बाहर कर दे तो मैं उसके घर चला जाऊंगा। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की गरिमा, महिमा एवं प्रतिष्ठा के लिए शांतिपूर्ण जुलूस निकालना, अखबारों में लेख निकालना और अगर संभव हो तो सभायें करना, यह सब तो ठीक है लेकिन इस पवित्र सदन को बाधित करना मेरी दृष्टि से ठीक नहीं है और हमने कहा है कि नेता विरोधी दल की एक मान्यता है और हम समझते हैं कि सदन में नेता विरोधी दल को लगातार इस विधान सभा में खूब प्रतिष्ठित सम्मान मिला है और उनका सम्मान इस सदन में है लेकिन यह जो होता है यह अच्छा नहीं है जिस दिशा की ओर हमारी लोकतांत्रिक यात्रा जा रही है और अजय जी कह रहे थे कि वेल में आना लोकतंत्र का भाग है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगा कि यह बहुत बड़ी बात कह गये क्योंकि एक राष्ट्रीय दल के नेता एवं उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के नेता श्री अजय कुमार लल्लू जी कह रहे हैं कि वेल ऑफ दी हाउस में जाना लोकतंत्र का भाग है। अगर यह लोकतंत्र का भाग है तो एक दिन इसमें ताला डालना भी लोकतंत्र का भाग हो जायेगा। फिर कभी-कभी जब लोग यहां आयेंगे तो वह बच्चों को बतायेंगे कि यहां पर एक विधान सभा हुआ करती थी और अब नहीं होती है क्योंकि विधान सभा को बन्द करना लोकतंत्र मान लिया गया है। क्या लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र का कांसेप्ट एवं लोकतंत्र की अवधारणा बदल जायेंगी ? हम आपको और मौर्या जी को बोलने से रोक नहीं रहे हैं। मैं यही समझ रहा था कि आप दोनों की भावनायें यही थीं कि अगर वह लोग आज बोलते तो आप लोग भी बोलते। इसी धमा-चौकड़ी में आप भी बोलने से रह गये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आपकी पीठ से जो निर्देश होता है, वह हम लोगों का मार्ग-दर्शन करता है। चूंकि कांग्रेस के माननीय नेता यहां कई वर्षों से हैं, इसलिए वरिष्ठ हो गये। आपने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकरण को उठा रहे थे। मान्यवर, यह नियमावली में भी हैं और पीठ की व्यवस्था भी है कि चल रहे सदन में यदि कोई प्रकरण एक बार उठ जाता है तो दोबारा उसको

उठाने की अनुमति नहीं दी जाती है। एक बार उठ गया तो उसी दिन वह प्रकरण खत्म, अब दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन लगातार उठना यह नियमावली के भी विरुद्ध है।

श्री अध्यक्ष-

बिल्कुल।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इसीलिए मैंने आपसे अनुरोध किया था कि इस पर आपकी तरफ से कोई न कोई व्यवस्था और दिशा-निर्देश आने चाहिए।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 14.02.2019 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 64 सूचनायें प्राप्त हुईं, इसमें 25 सूचनायें स्वीकार की गयीं, जिनकी सूचनाएं स्वीकृत हुई हैं, मैं उनके नाम पढ़ देता हूं।

पहली सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की (वक्तव्य हेतु स्वीकृत), दूसरी सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की (वक्तव्य हेतु स्वीकृत), तीसरी सूचना प्रिंस वीर विक्रम सिंह की (वक्तव्य हेतु स्वीकृत), चौथी सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की (वक्तव्य हेतु स्वीकृत), पांचवी सूचना श्री लाल जी वर्मा की (वक्तव्य हेतु स्वीकृत), छठवीं सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की (केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत), सातवीं सूचना श्री राकेश सिंह की (केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत), आठवीं सूचना श्री मुकेश चन्द्र वर्मा की (ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत), नौंवीं सूचना डा0 जी0एस0 धर्मेश की (ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत), दसवीं सूचना श्रीमती लीना तिवारी की (ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत), ग्यारहवीं सूचना श्री संजय गर्ग की (ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत), बारहवीं सूचना श्री नरेश सैनी की (ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत), तेरहवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की (ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत), चौदहवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की (ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत), पंद्रहवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की (ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत), सोलहवीं सूचना डा0 नीरज बोरा की (ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत), सत्रहवीं सूचना श्री हरीराम की (ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत), अट्ठारहवीं सूचना श्री विनय शंकर तिवारी की (ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत), उन्नीसवीं सूचना श्री राजीव कुमार सिंह 'बब्बू भैया' की (ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत), बीसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की (ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत), इक्कीसवीं सूचना श्रीमती सुषमा पटेल की (ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत), बाइसवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की (ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत), तेइसवीं सूचना श्री अगयश राम शरन वर्मा की (ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत),चौबीसवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की (ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत), और पच्चीसवीं सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की (ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत)। शेष सूचनायें अस्वीकार की गयीं। इसमें जो सदस्य अनुपस्थित है, उनके स्थान पर दूसरे सदस्यों की सूचनाएं ले ली जायेंगी।

तद्नुसार नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

पहली सूचना श्री अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'' की जनपद-बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हर्रैया में मनवर नदी के तट पर वर्षों पुराने बने बंधे का मुआवजा किसानों को दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' की जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में चखनीताल ड्रेन में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना प्रिंस वीर विक्रम सिंह की जनपद-शाहजहांपुर के तहसील-जलालाबाद के अन्तर्गत स्वामी जयदेव योगी इण्टर कालेज मुजफ्फरपुर में वर्ष 2018-19 की परीक्षा के दौरान हुई प्रशासनिक लापरवाही की जांच के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद-फिरोजाबाद के थाना-शिकोहाबाद में श्री भुवन प्रताप सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की प्रो0 वी0के0 विमल, निदेशक होम्योपैथी द्वारा भारी संख्या में की गयी अवैध नियुक्तियों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठीं सूचना श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी की जनपद-कुशीनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री राकेश सिंह की जनपद-रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर में ग्राम कोरिहर को नगर पंचायत घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री मुकेश चन्द्र वर्मा की जनपद-फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के संयुक्त चिकित्सालय में डाक्टरों की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवी सूचना डॉ0 जी0 एस0 धर्मेश की जनपद-आगरा के विधान सभा क्षेत्र कैंट में नाली एवं इण्टरलॉकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्रीमती लीना तिवारी की जनपद-जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मडियाहूं में कतिपय चेकडैमों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री योगेश धामा की जनपद-बागपत स्थित परशुरामेश्वर महादेव मन्दिर में प्रशासक नियुक्त कर समुचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री नरेश सैनी की जनपद-सहारनपुर में कतिपय स्थानों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री मसूद अख्तर की जनपद-सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर देहात में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में लाभार्थियों का राशन कार्ड बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया की जनपद-कुशीनगर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और प्राण रक्षक औषधियों के दुरुपयोग किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना डॉ0 नीरज बोरा की जनपद-लखनऊ के निरालानगर में आर0ओ0बी0 से 8 नं0 चौराहे तक की सड़क का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री हरीराम की जनपद-सोनभद्र में रेनूसागर पावर प्रोजेक्ट के जी0एम0 द्वारा आम आवागमन रास्ते को बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की बुलन्दशहर नगर स्थित काली नदी से अनूपशहर रोड पर गलत तरीके से बन रहे

नाले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया की जनपद-बदायूं के दातागंज नगरपालिका में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की लखनऊ नगर निगम की सीमा के अन्दर शहर के आवासीय कालोनियों के बीच में चल रही डेरियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना डॉ0 श्याम बिहारी लाल की जनपद-बरेली के नगर पंचायत फतेहगंज पूर्वी में पुराने नाले को अतिक्रमण मुक्त कराकर दोबारा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री जटाशंकर त्रिपाठी की जनपद-कुशीनगर के पडरौना तहसील की ग्राम सभाओं में कतिपय शासकीय भूमि को चिन्हित कर अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की प्रदेश में राशन कार्डों के निरस्तीकरण एवं निर्गतीकरण में गहन समीक्षा एवं परीक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद-जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा पच्चीसवीं सूचना डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल की जनपद-गोरखपुर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के पिछले 8 माह से बकाये वेतन का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गईं :-

क्रम	नाम	क्रम	नाम
1	श्री अमिताभ बाजपेई	14	श्री पारस नाथ यादव
2	श्री कारिन्दा सिंह	15	श्री वीरेन्द्र यादव
3	श्री धनन्जय कनौजिया	16	श्री प्रभु नारायण यादव
4	श्री संजय सिंह गंगवार	17	श्री मनोज कुमार पारस
5	श्री जन्मेजय सिंह	18	श्री धर्मराज यादव उर्फ सुरेश यादव
6	श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा	19	श्री असलम अली
7	श्री योगेश धामा	20	चौधरी नाहिद हसन
8	श्री ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया	21	श्री दुर्गा प्रसाद यादव
		22	श्री उमाशंकर सिंह
9	श्री पल्टू राम	23	श्री राकेश प्रताप सिंह
10	श्री संजय गर्ग	24	श्री विनय शंकर तिवारी
11	श्रीमती जय देवी	25	श्रीमती विमला सिंह सोलंकी
12	डा0 अनीता लोधी राजपूत	26	डा0 अरुण कुमार
13	श्री ब्रजेश कठेरिया	27	श्री सुशील कुमार शाक्य

क्रम	नाम	क्रम	नाम
28	श्री उज्जवल रमण सिंह	34	श्रीमती सुषमा पटेल
29	श्री कपिल देव अग्रवाल	35	श्री महबूब अली
30	श्री हाकिम लाल बिंद	36	श्री सीताराम वर्मा
31	श्री आजाद अरिमर्दन	37	श्री रामअचल राजभर
32	श्री रितेश पाण्डेय	38	श्री राम नरेश रावत तथा
33	श्री संजय प्रताप जायसवाल	39	श्री वीरेन्द्र।

जनपद फिरोजाबाद के निर्माणाधीन मेडिकल कालेज में कैंसर यूनिट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2019 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के परिप्रेक्ष्य में निम्नवत् अवगत कराना है :-

1-केन्द्र सहायतित योजना (फेज-1)

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 24-02-2014 द्वारा जनपद फिरोजाबाद में जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत कर नया मेडिकल कालेज खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस हेतु तत्समय फंडिंग पैटर्न 75:25 था, जो कि कालान्तर में 60:40 हो गया। मेडिकल कालेज के निर्माण हेतु शासनादेश दिनांक 26-07-2016 द्वारा लागत रु0 185.7333 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रायोजना में चालू कार्यों में लागत के सापेक्ष अब तक कुल रु0 125.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। एल0ओ0पी0 के अनुसार निर्माण कार्य माह फरवरी, 2019 में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

2-भारत सरकार की गाइड लाइन्स एवं एम0सी0आई0 मानक के अनुसार मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद से सम्बद्ध जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत परियोजना के अनुसार किया जा रहा है। इस प्रकार शिक्षण एवं प्रशासनिक कार्य नवीन मेडिकल कालेज परिसर में तथा चिकित्सा/इलाज सम्बन्धी कार्य मेडिकल कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालय (जिला अस्पताल) में संचालित किया जायेगा। मेडिकल कालेज खोले जाने की स्वीकृति के फलस्वरूप प्रायोजना से सम्बन्धित डी0पी0आर0 पर भारत सरकार की इम्पावर्ड कमेटी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रायोजना के अन्तर्गत पृथक कैंसर अस्पताल यूनिट का प्राविधान किये जाने में कठिनाई है।]

जनपद लखनऊ के नरपत खेड़ा में पी0एच0सी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2019 को दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)

मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ से दिनांक 12-02-2019 को आख्या प्राप्त की गयी है।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम में दिनांक 14-08-2018 को एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने की घोषणा की गयी है। शासनादेश संख्या-3430/पांच-6-2018-26 (निर्माण)/18 टी0सी0, दिनांक 19-11-2018 द्वारा उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। उक्त के क्रम में मा0 विधायक श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव के पत्र संख्या-18792-19, दिनांक 10-01-2019 द्वारा हंसखेड़ा में नजूल की भूमि खसरा सं0-2307 एवं 2308 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी है। नरपतखेड़ा की उक्त रिक्त भूमि पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्मित किया जाना प्रस्तावित है, किन्तु भूमि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को हस्तानान्तरित नहीं है।

मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या-मु0चि0अ0/2018/536-6, दिनांक 01-02-2019 के द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ से एवं जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या-51/डी0एल0आर0सी0/ पुर्न0/2019, दिनांक 28-01-2019 द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ से भूमि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को हस्तानान्तरित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), लखनऊ द्वारा नगर आयुक्त नगर निगम, लखनऊ से प्रश्नगत स्थल हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र मांगा गया है, जिससे भूमि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हेतु पुनर्ग्रहीत की जा सके। नगर निगम, लखनऊ से अनापत्ति प्रर्माण-पत्र अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) को प्राप्त नहीं हुआ है। शासन के पत्र संख्या-नियम-36/पांच-6-2019, दिनांक 13-02-2019 द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु हंसखेड़ा नरपतखेड़ा में चिन्हित भूमि को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को शीघ्र हस्तानान्तरित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः भूमि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को हस्तगत होने के उपरान्त नरपतखेड़ा की चिन्हित भूमि पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में कतिपय पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 श्याम बिहारी लाल द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2019 को दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

इनौनिया मोहनपुर के खर्रा की पुलिया का सम्बन्ध इमरती स्केप पर पुलिया से है। इमरती स्केप ...

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

बिन्दु सं0-1-इनौनिया मोहनपुर के खर्रा की पुलिया (वि0ख0-भुता) के सम्बन्ध में :-

[देवहा नदी में गिरती है। देवहा नदी से लगभग 100 मीटर ऊपर इमरती स्केप पर पुलिया की मांग की गयी है। इस स्थान पर पुलिया निर्माण हेतु परियोजना का गठन किया जा रहा है। यह परियोजना आगामी मुख्य अभियन्ता समिति में प्रस्तुत की जायेगी। परियोजना की

सक्षम स्तर से स्वीकृति तथा धन की उपलब्धता के अनुरूप पुलिया का निर्माण किया जाना सम्भव होगा।

बिन्दु संख्या0-2-सलेमपुर से खुदागंज मार्ग पर गोहनईया नाले की पुलिया (वि0ख0-भुता) के सम्बन्ध में :-

सलेमपुर से खुदागंज मार्ग पर गोहनईया नाले की पुलिया की मांग की गयी है। इस स्थान पर जनपद शाहजहांपुर की तरफ लोक निर्माण विभाग, शाहजहांपुर एवं जनपद बरेली की तरफ लोक निर्माण विभाग, बरेली द्वारा सड़क का निर्माण किया किया गया है। अतः इस स्थान पर पुलिया का निर्माण लोक निर्माण विभाग, बरेली द्वारा कराया जाएगा।

बिन्दु सं0-3-नगरिया के कल्यानपुर मार्ग पर गोहनईया नाले की पुलिया (वि0ख0-भुता) के सम्बन्ध में :-

नगरिया से कल्यानपुर मार्ग पर गोहनईया नाले की पुलिया की मांग की गई है। इस स्थान पर दोनों तरफ से जिला पंचायत बरेली द्वारा मिट्टी एवं खड़ंजा का कार्य कराया जा रहा है अतः इस स्थान पर पुलिया का निर्माण जिला पंचायत बरेली द्वारा कराया जाएगा।

बिन्दु सं0-4-टाण्डा सिकन्दरपुर में नहर के नाले की पुलिया (वि0ख0-फरीदपुर) के सम्बन्ध में :-

टाण्डा सिकन्दरपुर में नहर की पुलिया (विकास खण्ड फरीदपुर) का तात्पर्य रजबहा फतेगंज के किमी0 8.00 पर स्थित आर्च-पुलिया से है, जो सुरक्षित है, किन्तु पैरापिट क्षतिग्रस्त है। पैरापिट की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता पर कराया जायेगा।

बिन्दु सं0-5-मटिया नगला में नहर की पुलिया (वि0ख0-फरीदपुर) के सम्बन्ध में :-

मटिया नगला विकास खण्ड फरीदपुर का तात्पर्य पैगापुर माइनर के किमी0 0.50 से है। यह मार्ग रसुईया रेलवे स्टेशन से कुईया खेड़ा वाया मठिया नगला, लौगपुर, कीरतपुर परेबा को जोड़ता है, उक्त मार्ग पर पुलिया लोक निर्माण विभाग द्वारा पाइप डालकर बनायी गयी है।]

जनपद बुलन्दशहर के गांव शरीफपुर के मजरा फतेहपुर में जल निकासी की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2019 को दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 सदस्य द्वारा उल्लिखित सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिला पंचायत राज अधिकारी, बुलन्दशहर ..

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[ने पत्र दिनांक 13 फरवरी, 2019 द्वारा उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत शरीफपुर भैसरोली के मजरा फतहपुर, विकास खण्ड-अगौता में मुख्य मार्ग की पानी की निकासी हेतु न तो पूर्व से कोई तालाब निर्मित है और न ही तालाब हेतु ग्राम पंचायत में भूमि उपलब्ध है। श्री भूपेन्द्र सिरोही पुत्र श्री ओम प्रकाश द्वारा उक्त पानी को अपने खेत में जाने की सहमति दी गई है। उक्त सहमति के क्रम में मुख्य मार्ग का पानी श्री सिरोही के खेत में जा रहा है। वर्तमान में अब मुख्य मार्ग पर जलभराव की समस्या नहीं है।]

जनपद मिर्जापुर में पुलिस की उदासीनता के चलते बैंको से अवैध रूप से धन निकाले जाने के सम्बन्ध में श्री रमाशंकर पटेल द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2019 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

वादी श्री रमाशंकर पटेल, मा0 विधायक मड़ियान की तहरीर पर...

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मु0अ0सं0:303/18 धारा-379/419/420 भा0द0वि0 बनाम अजय कुमार सिंह प्रोपराइटर शंकर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, सलखन चोपन, सोनभद्र के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात, मीरजापुर में दिनांकः 28-09-2018 को पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना वर्तमान में जनपद मीरजापुर की अपराध शाखा द्वारा प्रचिलित है। इस अभियोग में वादी मुकदमा श्री रमाशंकर पटेल, मा0 विधायक द्वारा यह शिकायत की गई है कि उनके खाता संख्याः 50214955286

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इलाहाबाद बैंक शाखा-भरुहना, मीरजापुर से रु0 8,35,000/ (आठ लाख पैंतीस हजार रुपये) की धनराशि धोखधाड़ी एवं जालसाजी करके चेक के माध्यम से इलाहाबाद बैंक सलखन जनपद सोनभद्र में शंकर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के प्रोपराइटर अजय कुमार के खाते में ट्रांसफर कर दी गई।

प्रश्नगत अभियोग की विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादी द्वारा पत्थर तोड़ने वाली एवं पोकलैंड मशीन, जिसकी कीमत रु0 64,27,077/- (चौंसठ लाख सत्ताइस हजार सतहत्तर रुपये) थी, अजय कुमार सिंह की शंकर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के माध्यम से खरीदा गया तथा रु0 49,50,000/(उन्चास लाख पचास हजार रुपये) चेक के माध्यम से भुगतान किये गये। कुछ छूट देने के बाद रु0 8,35,000/-(आठ लाख पैंतीस हजार रुपये) शेष रहे, जिसके एवज में वादी मुकदमा द्वारा अजय सिंह को डिजटल चेक दिये गये। वादी का यह कहना है कि उसके द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म को चेक नहीं दिये गये, बल्कि उसके चेक चोरी चले गये। यह भी उल्लेखनीय है कि चोरी गये चेकों के सम्बन्ध में तत्समय वादी द्वारा कोई एफ0आई0आर0 पंजीकृत नहीं करायी गयी और न ही कोई शिकायत की गयी।

विवेचना के दौरान आरोपी अजय कुमार सिंह प्रोपराइटर शंकर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी सोनभद्र द्वारा यह भी बताया गया कि वादी द्वारा क्रय की गई दोनो मशीनों (रांकब्रेकर एवम् पोकलैंड) के सापेक्ष शेष बची धनराशि के भुगतान का कोई प्रमाण अगर वादी के पास हो तो उसे प्रस्तुत करें, किन्तु विवेचना के दौरान अब तक ऐसा कोई प्रमाण वादी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस बिन्दु पर भी साक्ष्य संकलन किया जाना शेष है।

आरोपी अजय कुमार सिंह का यह कहना है कि लम्बे समय तक शेष धनराशि का भुगतान वादी मुकदमा द्वारा न किये जाने की स्थिति में उसके द्वारा वादी से प्राप्त डिजटल चेक भुगतान हेतु सम्बन्धित बैंक में लगा दिये गये और उनका भुगतान भी प्राप्त करते हुये धन का अन्तरण इलाहाबाद बैंक सलखन जनपद सोनभद्र में स्थित अपने खाते में दिनांक 24-09-2018 को करा लिया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि इतनी बड़ी धनराशि का बैंक द्वारा चेक के माध्यम से अन्तरण किये जाने की स्थिति में खाता धारक से पुष्टि कराई जाती है, जो कि बैंक द्वारा नहीं कराया गया है, जिससे बैंक प्रबन्धन की भूमिका और आरोपी से उसके मिली-भगत होने का संशय उत्पन्न होता है।

वर्तमान वादी के चेकों को आरोपी द्वारा चोरी कर लेने तथा रु0 8,35,000/ (आठ लाख पैंतीस हजार रुपये) का व्यपहरण करते हुये अपने खाते में सम्बन्धित बैंक मैनेजर की मिली-भगत से धनराशि स्थानान्तरित कराने के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित है, जिसे शीघ्र पूर्ण करा लिया जाएगा।

जनपद मुजफ्फरनगर में हीमोफीलिया नामक बीमारी की रोकथाम किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद उटवाल द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2019 को दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश के निम्नलिखित 28...

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[केन्द्रों पर ''हीमोफीलिया चिकित्सा केन्द्र'' स्थापित किये गये हैं, जहां हीमोफीलिया से ग्रस्त मरीजों को निःशुल्क उपचार हेतु फैक्टर उपलब्ध कराया जाता है :-

क्रमांक	हीमोफीलिया चिकित्सा केन्द्र
1	एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा
2	जे0एन0मेडिकल कालेज (AMU), अलीगढ़
3	मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद
4	गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज, आजमगढ़
5	जिला चिकित्सालय, बरेली
6	जिला चिकित्सालय, बस्ती
7	राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा
8	जिला चिकित्सालय, गोडा

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्रमांक	हीमोफीलिया चिकित्सा केन्द्र
9	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर
10	बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर
11	एम0एल0बी0 मेडिकल कालेज, झांसी
12	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन
13	जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर
14	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज
15	एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ
16	के0जी0एम0यू0, लखनऊ
17	एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज, मेरठ
18	जिला चिकित्सालय, मीरजापुर
19	जिला चिकित्सालय, मुरादाबाद
20	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर
21	इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (बी0एच0यू0), वाराणसी
22	जिला चिकित्सालय, बहराइच
23	उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
24	जिला चिकित्सालय, ललितपुर
25	सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान, नोएडा
26	एम0एम0जी0 जिला चिकित्सालय, गाजियाबाद

3-चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में हीमोफीलिया से ग्रसित मरीजों के निःशुल्क उपचार हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा रु0 24.50 करोड़ तथा राज्य सरकार द्वारा रु0 10.00 करोड़ अर्थात् कुल 34.50 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है। प्रदेश में स्थापित हीमोफीलिया चिकित्सा केन्द्रों में फैक्टर उपलब्ध कराने हेतु संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ प्रॉक्योरमेंट एजेन्सी के रूप में नामित है। रिट याचिका संख्या-9787(एम/बी)/2018 हीमोफीलिया सोसायटी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09-03-2011 के अनुपालन में हीमोफीलिया रोगियों के उपचार की समुचित व्यवस्था हेतु कोर कमेटी का गठन किया गया है।]

जनपद फतेपुर में जरौली के अन्तर्गत रजबहे के दोनों किनारे पटरियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा पासवान द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2019 को दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

फतेहपुर शाखा के कि0मी0 122.50 दायीं पटरी से सुजानपुर रजबहा ...

श्रम एवं सेवा योजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(सिंचाई मंत्री केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[निकलता है। इस रजबहा का हेड डिस्चार्ज 99 क्यूसेक तथा कुल लम्बाई 41.60 कि0मी0 है। फतेहपुर शाखा के कि0मी0 116.00 पर जरौली पम्प नहर द्वारा जलापूर्ति के माध्यम से सुजानपुर रजबहा में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

जनपद फतेहपुर की नहरों के आन्तरिक सेक्शन सुधार एवं बैंकों के सुदृढ़ीकरण की एक परियोजना फतेहपुर प्रखण्ड निचली गंगा नहर फतेहपुर द्वारा तैयार की जा रही है, जिसमें सुजानपुर रजबहा की पटरियों को सुदृढ़ करना एवं अति कटान बाहुल्य क्षेत्र (फिलिंग रीच में) कंक्रीट लाइनिंग का कार्य प्रभावित है। परियोजना स्वीकृति के उपरान्त वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना सम्भव होगा।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम कल पूर्वाहन 11:00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 03 बजकर 43 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 14 फरवरी 2019

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 54 विधान सभा (67)-30-06-2021-631 प्रतियां।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।